



व्याख्यान सार-संग्रह पुस्तकमाला का १८ वाँ पुण्य

श्रीमज्जैनाचार्य

पूज्य श्री जदाहिरलालजी महाराज के  
व्याख्यानों के आधार पर

# आवक के चार शिक्षा ब्रत

---

सम्पादक—

बालचन्द्र श्रीश्रीमाल

मन्त्री—श्री साधुमार्गी जैन

पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज  
की सम्प्रदाय का

हितेच्छु आवक मण्डल, रतलाम (मालवा)

---

वि० सम्वत् १९९७	अर्द्ध-मूल्य	प्रथम संस्करण
वीर सम्वत् २४६७		
इंस्ट्री सन् १९४०	॥	१०००

प्रकाशक—

श्री साधूमार्गी जैन  
पूज्य श्री हुक्मीचन्द्रजी महाराज  
की सम्रदाय का  
हितेचर्ष्णु श्रावक मण्डल, रतलाम (मालवा)

अखिल भारतवर्षीय

श्री शेताम्बर स्थानकव्यासी जैन

कॉन्फ्रेन्स द्वारा

श्री साहित्य निरीक्षक समिति

से

प्रमाणित

मुद्रक—

के० हमीरमल लूणियाँ

अध्यक्ष—

दि० ढायमण्ड जुविली (जैन) प्रेस,  
अजमेर

## आवश्यक दो शब्द

श्रीमज्जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री जवाहिरलालजी महाराज साहिब के फरमाये हुए व्याख्यानों के आधार पर “आवक के चार शिक्षा व्रत” नामक यह पुस्तक “व्याख्यान सार-संग्रह पुस्तक माला” का अठारहवाँ पुष्प आपके सन्मुख उपस्थित करते हुए हमें अत्यानन्द होता है। इस से पूर्व के प्रकाशित व्याख्यान सार-संग्रह पुस्तक माला के सतरह पुष्पों को जैन और जैनेतर जनता ने जिस भाव से अपनाये हैं उसी के परिणाम स्वरूप यह अठारहवाँ पुष्प भी हम आपके कर-कमलों में पहुँचाने के लिये प्रोत्साहित हुए हैं।

मण्डल से प्रकाशित साहित्य के मुख्यतया दो विभाग हो सकते हैं। एक कथा विभाग और दूसरा तत्त्व विभाग। प्रस्तुत पुस्तक तत्त्व विभाग की है। कथा विभाग में जो रोचकता आ सकती है वह तत्त्व विभाग के साहित्य में नहीं आ सकती, किर भी यह विषय इतना उपयोगी और भाव-प्रद है कि प्रत्येक जैन को इसे समझने की आवश्यकता है क्योंकि सामायिकादि क्रियाएँ जैन आवक के नित्य कर्म हैं और वे आत्मोत्थान के मार्ग हैं। ‘इस’ विषयक सत् साहित्य के

अभाव के कारण यह कियाएँ बर्तमान समय में प्रायः अर्थशून्य हो रही हैं। अतः यह पुस्तक आवक जीवन में नया ही आत्मबल संचार करेगी पेसी आशा है।

नियमानुसार यह पुस्तक अखिल भारतवर्षीय श्री श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेन्स ऑफिस, बंबई द्वारा साहित्य निरीक्षक समिति से प्रमाणित कराली गई है और उनकी तरफ से मिली हुई सूचनाओं के अनुसार उचित संशोधन भी कर दिये गये हैं।

मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की कीमत केवल कागज और छपाई की लागत के अन्दाज से रखी जाती है और अन्य किसी प्रकार के खर्च का भार पुस्तक पर नहीं डाला जाता है, इस कारण इस मण्डल द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का मूल्य अन्य संस्थाओं की पुस्तकों की अपेक्षा बहुत ही कम होता है। फिर भी सर्व साधारण इसका विशेष रूप से लाभ उठा सकें, इस भावना से प्रेरित होकर देशनोक ( जिला-चीफानेर ) निवासी श्रीमान् सेठ सुगन्धनद्जी अबीरचन्द्रजी साहिव भूरा ने आधी लागत अपने पास से देकर इस पुस्तक को अर्द्ध मूल्य में वितरण कराई है। एतदर्थ आपकी उदारवृत्ति के लिये प्रशংসা करते हुए युरोपीय महायुद्ध के कारण कागज और छपाई के साधन महँगे होते हुए भी इस पुस्तक का अर्द्ध मूल्य केवल तीन आने ही रखके गये हैं।

यहां पर यह भी स्पष्ट कह देना उचित समझते हैं कि श्रीमद्जैनाचार्य महाराज साहिव के व्याख्यान साधु-भाषा एवं परिमित शब्दों में ही होते हैं किन्तु यह पुस्तक केवल व्याख्यानों में से ही संग्रह करके सम्पादन नहीं की गई है, अपितु व्याख्यानों का आधार लेकर ही सम्पादन की गई है। अतः इसमें जो कुछ भूल या सूत्र विरुद्ध शब्द आगये हौं तो उसके जवाबदार हम ही हैं पूज्य महाराज साहिव नहीं। जो कोई सज्जन वन्धु-भाव से हमें सप्रमाण भूलें सूचित करेंगे तो आभार सहित स्वीकार की जावेगी और द्वितीय संस्करण में उचित संशोधन भी कर दिया जावेगा। इत्यलम्।

### भवदीय—

बालचंद श्रीश्रीमाल, वर्द्धभान पीतलिया  
सैकेटरी— प्रेसीडेण्ट —

श्री साधुमार्गी जैन पूज्य श्री हुक्मीचंदजी महाराज की  
सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल, रत्लाम (मालवा)

श्रो जैन हितेच्छु श्रावक मण्डल ऑफिस, रत्लाम  
श्रावण पूर्णिमा संवत् १९९७ विं] [ वीर संवत् २४६७



कागज और छपाई की लागत के हिसाब से  
इस पुस्तक का मूल्य छः आने होता है

किन्तु

देशनोक (बीकानेर) निवासी

श्रीमान् सेठ


सुगन्धनंदजी अवीरचन्दजी साहिव भूरा  
ने

सर्व साधारण लाभ उठा सकें, इस हेतु

इसकी कमी अपनी तरफ से देकर

अर्द्ध-मूल्य तीन आने में

वितरण कराई है।



# ॥ प्रकरण सूची ॥

---

पृष्ठांक	
प्रकरण	
विषय प्रवेश	...
१ सामायिक व्रत—	...
सामायिक व्रत का महत्व	...
सामायिक व्रत	...
सामायिक का उद्देश्य	...
सामायिक से लाभ	...
सामायिक कैसी हो	...
सामायिक व्रत के अतिचार	...
२ देशावकाशिक व्रत—	...
देशावकाशिक व्रत	...
देशावकाशिक व्रत की दूसरी व्याख्या	...
देशावकाशिक व्रत के अतिचार	...
३ पौषधोपवास व्रत—	...
पौषधोपवास व्रत	...
पौषधोपवास व्रत के अतिचार	...
४ अतिथि-संविभाग व्रत—	...
अतिथि-संविभाग व्रत	...
अतिथि-संविभाग व्रत के अतिचार	...
उपसंहार	...

1

## विषय-प्रवेश

---

वृक्ष जब हरा-भरा सघन छाया युक्त होता है और उस पर फल फूल होते हैं, तब वह बड़ा ही मनोहर रम्य तथा सुन्दर धिखाई देता है। एवं देखने वाले को आहादित करता है। किन्तु वृक्ष के ऐसा होने का कारण उसके मूल का हरा-भरा होना ही है। वृक्ष के मूल का जब तक सिंचन होता रहता है और उसको पोषक द्रव्य की प्राप्ति होती रहती है, तभी तक वृक्ष की मनोहरता और रम्यता भी थनी रहती है।

जिस प्रकार वृक्ष की मनोहरता और रम्यता का कारण उसका मूल है, उसी प्रकार आत्मा को परम सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति का कारण सम्यक् ज्ञान, धर्म तथा धारित्र युक्त त्याग मय जीवन है। ऐसा जीवन दो तरह का होता है। जिनमें से एक है साधुता

पूर्ण जीवन और दूसरा है आवकत्व-पूर्ण जीवन। जिनका जीवन साधुता-पूर्ण है, उनके लिए तो सांसारिक-बन्धन के सभी तंतु दूर जाते हैं और उनका प्रयत्न मोक्ष प्राप्त करने का ही रहता है। किन्तु गृहस्थ-आवक के सामने अनेक सांसारिक झंजट एवं अनु-कूल प्रतिकूल आकर्षण रहते हैं तथा उन्हें कौदुम्बिक और जीवन-यापन सम्बन्धी बाधाएँ भी घेरे रहती हैं। इन सब के होने पर भी आवक के लिए आत्म-कल्याण के हेतु आवकत्व-पूर्ण जीवन विचारा आवश्यक है। इस बात को दृष्टि में रख कर ही शास्त्रार्थों ने, आवकों के लिए पौचं भूल व्रत की रक्षा के उद्देश्य से, मूल व्रत को सिंचन देने वाले तीन गुण व्रत और चार शिक्षा व्रत का विधान किया है। जिस प्रकार मूल को सिंचन मिलता रहने पर ही वृक्ष दृष्टि-भरा रहता है, वसी प्रकार आवक के पौचं मूल व्रत भी तभी विशुद्ध रहेंगे जब उन्हें गुण व्रत और शिक्षा व्रत द्वारा सिंचन मिलता रहेगा।

शिक्षा व्रत स्वीकार करने का अर्थ है, आत्मा को जागृत रख कर शुद्ध दशा प्रकटाने के लिए विशेष उद्यमो बनाना। इसलिए अब यह देखते हैं, कि आवक के द्वारा व्रत में से पिछले चार व्रतों को शिक्षा व्रत क्यों कहा जाता है, इन चार व्रतों से शेष आठ व्रतों का क्या सम्बन्ध है और इन चार व्रतों का पिछले आठ व्रतों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

श्रावक जो ब्रत स्वीकार करता है, वे सर्व से नहीं किन्तु देरा से होते हैं। इसलिए श्रावक को त्याग बुद्धि को सिंचन मिलना अत्यावश्यक है। पाँच अणु ब्रत को सिंचन मिलता रहे इसीलिए तीन सुण ब्रत स्वीकार करके अपनी आवश्यकताएँ सीमित कर दी जाती हैं और पुढ़गलों में आनन्द मानना त्याग कर जीवन-निर्वाह के लिए बहुत थोड़े पदार्थ का उपभोग किया जाता है। लेकिन यह वृत्ति तभी टिकी रह सकती है, जब आत्मा-अनात्मा का भान हो और पदार्थ तथा आत्मा का भेद विद्यान हो। सामायिकादि चार शिक्षा ब्रत आत्म-भान को जागृत बनाये रखने और भेद विद्यान स्थिर रखने के साधन हैं। इसलिए इन चार ब्रतों का जितना भी अधिक आचरण किया जावेगा, पूर्व के आठ ब्रतों पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा और वे उतने ही अधिक विशुद्ध होते जावेंगे।

शिक्षा ब्रत पूर्व के आठ ब्रतों की भाँति यावज्जीवन के लिए स्वीकार नहीं किये जाते हैं, किन्तु गृहकार्यादि से अवकाश पाकर उस अवकाश का सदुपयोग इन ब्रतों के आचरण द्वारा करने का विधान है।

सामायिक ब्रत का आचरण करके श्रावक यह विचार करे कि मैंने जो स्थूल अहिंसादि ब्रत स्वीकार किये हैं, उन ब्रतों के द्वारा मेरे में किस अंश तक सम्भाव आया है। इसी प्रकार

दिक्-परिमाणादि व्रतों द्वारा मुझ में सांसारिक पदार्थों के प्रति कितनी विरक्ति आई है तथा मैं आत्मा को समाधि भाव में किस अंश तक स्थिर कर सका हूँ। सामायिक व्रत मूल व्रत और गुण-व्रत की परीक्षा स्वरूप है। देशावकासिक व्रत द्वारा कुछ समय के लिए विशेष आत्म संयम किया जाता है एवं न्यूनतम सामग्री से अपनी आवश्यकताएँ पूरी करके सन्तोष-वृत्ति की ओर धड़ा जाता है। संसार में जिन भोग्योपभोग पदार्थ के लिए हाय-हाय मची रहती है, छेष-कंकास और विप्रह होता रहता है, जिनके न गिलने से लोग दुःखी रहते हैं, श्रावक इस देशावकासिक व्रत को स्वीकार करके उन पदार्थों का अधिक से अधिक त्याग करता है और इस प्रकार संसार का दुःख कैसे मिट सकता है इस बात का आदर्श रखता है।

श्रावक जिस उष्ण स्थिति पर पहुँचना चाहता है, और जिस पूर्ण विरक्ति का इच्छुक है, पौष्ट्रोपवास द्वारा उस स्थिति पर पहुँचने तथा विरक्त दशा प्राप्त करने का अभ्यास करता है और अपने जीवन को उत्तमता की ओर ले जाता है। अर्थात् आत्म-ज्योति जगाता है।

अपर कहे गये तीनों व्रत अपने आत्मा को उन्नत धनाने के लिए अभ्यास रूप हैं, लेकिन चीथा अतिथि संविमाग व्रत जैन धर्म की विशालता और विश्व-पन्धुत्व की भावना का परिचय

देता है। इस व्रत का विशेष सम्बन्ध वाह्य जगत से है। इस व्रत का प्रचलित नाम 'अतिथि संविभाग' है, लेकिन शास्त्रों में इस व्रत का नाम 'अहा संविभाग' बताया गया है। इस नाम का यह भाव भी है कि अपने खान-पान के पदार्थों के प्रति ममत्व या गृह्णि भाव न रख कर उनका भी विभाग करना और साधु आदि को देने की भावना रखना। यद्यपि इस व्रत के पाठ में मुख्यता साधु को ही है लेकिन आशय बहुत ही गहन है। लक्ष्यार्थ बहुत विशाल है। इस प्रकार यह व्रत, श्रावक की उदारता और विशाल भावना का वाह्य जगत को परिचय देता है।

सारांश यह है कि ये चारों शिक्षा व्रत श्रावक के जीवन को पवित्र उप्रत तथा आदर्श बनाते हैं। साथ ही श्रावक को, उपस्थित सांसारिक प्रसङ्गों में न फँसने देकर संसार व्यवहार के प्रति ज़ल-ज़मलवत बनाये रखते हैं। इसलिए इन घ्रतों का जितना भी अधिक आचरण किया जावे, उतना ही अधिक लाभ है।







# सामायिक व्रत





## सामायिक व्रत का महत्व

---

जैन समाज में सामायिक का बहुत ही महत्व है।

सामायिक करने के लिए आग्रह किया जाता है, उपदेश-आदेश भी दिया जाता है तथा यह प्रतिष्ठा भी कराई जाती है कि एक दिन या एक महीने में इतनी सामायिक अवश्य ही करूँगा। दूसरे त्याग प्रत्याख्यान या श्रावकत्व विषयक दूसरी किसी योग्यता की उतनी अधिक अपेक्षा नहीं की जाती, जितनी सामायिक की की जाती है। साधु महात्मा और धार्मिक लोग सामायिक के लिए अधिक प्रेरणा करते देखे जाते हैं। उनकी सामायिक विषयक प्रेरणा को उचित एवं हितावह मानने में दो मत हो भी नहीं सकते। क्योंकि सामायिक का महत्व ऐसा ही है। ऐसा होते हुए भी सामायिक के प्रति पहले के छोगों में

जैसी श्रद्धा थी या वर्तमान वृद्ध लोगों में, जैसी श्रद्धा देखी जाती है और वे सामायिक विषयक उपदेश-आदेश अथवा प्रेरणा का नितना आदर करते हैं, उतना आदर या सामायिक के प्रति वैसी श्रद्धा वर्तमान नवयुवकों में नहीं देखी जाती। इस अन्तर का कोई कारण भी अवश्य ही होना चाहिए। विचार करने पर इसका यही कारण जान पड़ता है, कि साधु महात्माओं अथवा धार्मिक गृहस्थों को ओर से सामायिक करने के लिए की जाने वाली प्रेरणा के परिमाण में सामायिक की विशद व्याख्या, सामायिक का महरव एवं उद्देश्य आदि समझाने का प्रयत्न उतना नहीं किया जाता है। वर्तमान नवयुवकों के सामने न तो कोई ऐसा आदर्श ही है, न साहित्य ही है, जिसको देखकर सामायिक की ओर उनकी रुचि थड़े। सामायिक विषयक जो थोड़ासा साहित्य है, वह भी ऐसा है, कि जिसे थड़े से वे लोग ही जान सकते हैं, जिनकी गणना विद्वानों में है। जन साधारण में सामायिक विषयक साहित्य का प्रचार नहीं है। इस कारण सामायिक करने वाले लोगों में से अनेक लोग, सामायिक के मूल उद्देश्य के बिरुद्ध सामायिक में होने पर भी ऐसे-ऐसे काम कर छालते हैं, जिनका फरना उस समय सर्वथा अनुचित है जबकि सामायिक प्रहण की हो। उस समय सामायिक प्रहण किये हुए व्यक्ति को, एकान्त में ऐठकर परमात्मा का भजन-स्मरण या ध्यान-चिंतन आदि

करना चाहिए। परन्तु कई लोग आत्म शुद्धि के लिए ऐसे कार्य करने के बदले सामायिक लेफर वैठे होने पर भी ऐसी बातें या ऐसे कार्य करते हैं, जिनके कारण समीप वैठे हुए अन्य सामायिकधारी लोगों के चित्त की भी एकाग्रता नष्ट होती है, तथा उनका चित्त भी उन बातों या कार्यों की ओर खिच जाता है। जहाँ धर्मकार्य के लिये अनेक लोग एकत्रित होते हैं, ऐसे पौष्ठशाला आदि स्थानों पर तो सामायिक करने वालों का चित्त विशेष एकाग्र रहना चाहिए, चित्त में स्थिरता होनी चाहिए, किन्तु सामायिक का उद्देश्य एवं सामायिक की विधि न जानने वाले लोगों के कारण ऐसे धर्म स्थानों का भी बातावरण दूषित हो जाता है और कभी-कभी तो किसी एक के कुछ कहने पर दूसरा कुछ तथा तीसरा कुछ कहता है और होते-होते वह धर्म स्थान कलह स्थान घन जाता है।

तात्पर्य यह है कि सामायिक विषयक श्रेष्ठतम आदर्श और सरल साहित्य के अभाव के कारण वर्तमान युवकों की रुचि और अद्वा सामायिक के प्रति कम देखी जाती है। इस धात को दृष्टि में रख कर ही सामायिक विषयक यह साहित्य जनता के सामने रखा जाता है। आशा है कि यह साहित्य सामायिक सम्बन्धी प्रवृत्ति में घुसे हुए दूधणों को निकाल कर सामायिक के प्रति लोगों में अद्वा एवं रुचि स्तप्न करने में सहायक होगा। (संपादक)

## सामायिक व्रत

---

सामायिक व्रत, आवक के बारह व्रतों में से नववर्षों और आवक के चार शिक्षा व्रतों में से पहला है। यह व्रत, पाँच मूल और तीन गुण ऐसे आठ व्रतों को विशुद्ध रखने एवं आरम्भ्योति प्रकटाने की शिक्षा प्रदान करता है, इसलिए इस व्रत की गणना चार शिक्षा व्रत में की गई है। आत्मा में प्रदीप विषय-क्षयाय की आग को शान्त करके आत्मा को पवित्र यनाने एवं वन्धन रहित करने के लिए सामायिक व्रत मुख्य साधन है। इस व्रत के आचरण से आत्मा में परम शान्ति प्राप्त होती है। इसलिए सांसारिक दण्डियों से समय घचाकर इस व्रत के आचरण में जितना भी अधिक समय लगाया जा सके, उतना ही अच्छा है।

अब यह देखते हैं कि १ सामायिक किसे कहते हैं, २ सामायिक किस उद्देश्य से को जाती है, ३ सामायिक करने से क्या लाभ होता है और ४ सामायिक किस तरह करनी चाहिए। जिससे उस सामायिक का दूसरों पर प्रभाव पड़े और अपने लिये ध्येय के समीप पहुँचने में सिद्धि प्राप्त हो। इन चार विधयों में से प्रथम सामायिक किसे कहते हैं, आदि बताने के लिए टीकाकार कहते हैं—

समो रागद्वेष वियुक्तो यः सर्वं भूतान्यात्मवत्  
पश्यति तस्य आयो लाभं प्राप्तरितीं पर्यायाः।

अन्य च-समस्य आयः समायः समोहि

प्रतिक्षणं म पूर्वैर्ज्ञानं दर्शनं चरणं

पर्यायैर्भवाटवो भ्रमणं संकल्पं विच्छेदकै—

निरूपम सुखं हेतु भिरयः कृतं चिन्तामणि

कामधेनुं कल्पद्रुमोपमैर्युज्यते स पर्वं समायः

प्रयोजनमस्य क्रियानुष्ठानस्येति मूलं गुणा—

नामाधारं भूतं सर्वं सावद्यं विरति रूपं

चारित्रम् सामायिकं समायं एवं सामायिकं।

अर्थात्—रागद्वेष रहित होकर सब जीवों को आत्म तुल्य मानने को 'सम' कहते हैं। इस समभाव की आय (समभाव के लाभ) को 'समाय' कहते हैं। इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विशेष रूप से यह कहते हैं कि प्रतिक्षण अपूर्व ज्ञान, दर्शन, चारित्र की पर्याय से जो भव-रूपी अटवी में अभ्रण करने के संकल्प को विच्छेद करके उस निरूपम परम। सुख का कारण है, जिस परम सुख के लिए कोई उपमा हो नहीं है, तथा संसार में सुख के उल्कृष्ट साधन माने जाने वाले चिन्तामणि कामधेनु और कल्प वृक्ष को भी जो परम सुख तुच्छ बना देता है, उसको 'सम' कहते हैं।

येसे समत्व की भाय ( समत्व का लाभ ) 'समाय' कहलाता है। इस समाय में जिस किया के द्वारा प्रवृत्ति की जाती है, उसी किया को सामायिक कहते हैं।

टीकाकार के इस फरपत से स्पष्ट है कि सामायिक शब्द 'सम' और 'आय' इन दो शब्दों के संयोग से 'क' प्रत्यय लगाकर बना है। सग + आय=समाय का मतलब है समभाव की प्राप्ति। इस प्रकार जिस किया के द्वारा समभाव की प्राप्ति होती है और राग-द्वेष कम पड़ता है, विषय-कथाय की आग शान्त होकर चित्त स्थिर होता है तथा सांसारिक प्रपञ्चों को और आङ्गर्हित न होकर आरमभाव में रमण किया जाता है, उस किया को शास्त्रज्ञार 'सामायिक' कहते हैं।

बद्ध उत्तर कर आसन विद्वा के घैठ जाना और मुख-ब्लिका मुख पर थौंध रजोदरण, पूँजनी, माला आदि धारण करना, सामायिक के अनुरूप साधन अवश्य हैं, लेकिन इन साधनों को लेकर घैठ जाना ही सामायिक नहीं है। सामायिक तो तथ है, जब उक्त साधनों से युक्त होकर स्थान्य कार्यों को स्थान दिया जावे और चित्त को शान्त तथा एकाग्र करके प्रशस्त विधार किया जावे। यानी आरम अनारम अथवा जीव और पुद्गल के स्वरूप को विधार किया जावे, या पदस्थ पिंडस्थ आदि चार प्रकार के ज्यात में आरम को छोड़ा दिया जावे। पदस्थ पिंडस्थ आदि ज्यात आत्मा का सचा

स्वरूप प्रकट करते हैं और आत्मा को समभाव में स्थापित करते हैं। इसलिए सामाजिक में किये जाने वाले चारों प्रकार के ध्यान का रूप, एक कवि के कथनानुसार संक्षेप में बताया जाता है। वह कथि कहता है—

अक्षर पद को अर्थ रूप ले ध्यान में,  
जे ध्यावें इम मन्त्र रूप इक तान में।  
ध्यान पदस्थ जु नाम कहो भुनिराज ने,  
जे यामे वह लोन लहें निज काज ने॥

**अर्थात्**—पंच परमेष्ठि मन्त्र के पैंतीस अक्षरों को भिन्न-भिन्न रूप में विकल्प कर उनका ध्यान करना और पंच-परमेष्ठि मन्त्र के पाँचों पद का भिन्न-भिन्न अर्थ विचार कर उन अर्थ में लौ लगाना, अथवा पंच-परमेष्ठि मन्त्र के स्वर व्यंजन का वर्गीकरण करके अपने नामि-मंडल में मन्त्र के पदों से कमल का रूप कल्पना, एक पद को मध्य में रखकर शेष चार पद को चारों दिशा में रखकर उस कमल में आत्मा को स्थित करना, इत्यादि पदस्थ ध्यान है।

या पिण्डस्थ ध्यान के माँहि, देह विष्ये स्थित आत्म ताहि।  
चिन्ते पंच धारणा धारि, निज आधीन चित्त को पारि॥

**अर्थात्**—इस देह में रहे हुए अविनाशी शास्त्रत अमूर्त और सिद्ध स्वरूप आत्मा का पृथ्वी अमि वायु जल और तत्त्वरूपवती इन पाँच तत्त्व की कल्पना द्वारा ध्यान करना, पिण्डस्थ ध्यान है। पाँच तत्त्व की कल्पना में किस किस प्रकार की कल्पना की जाती है, यह संक्षेप में नीचे बताया जाता है।

पृथ्वी की कल्पना करने में द्वीप समुद्र आदि का ध्यान करता हुआ स्वर्यभूरमण समुद्र का ध्यान करके अपने को स्वर्यभूरमण समुद्र

जैसा शान्त तथा गम्भीर बनाकर, उस समुद्र में रहे हुए कमळ का ध्यान करे और उस कमळ के मध्य की कण्ठिका पर आत्मा को स्थित करे।

अग्नि की कल्पना करने में, यह माने कि पृथ्वी तत्त्व विषयक कमळ की कण्ठिका पर स्थित आत्मा, कर्म-मळ को पवित्र भावना रूपी अग्नि से भस्म करने में समर्थ है।

वायु की कल्पना में यह माने, कि पवित्र भावना रूपी अग्नि द्वारा जलाये गये कर्म-गळ की भस्मराशि उड़ जाने पर आत्मा निर्मल और शुद्ध होता है।

जल के विषय में, जिस पर को भस्मराशि उड़ गई है, उस आरम-तत्त्व को निर्मल रखने के लिए जलधार की कल्पना करे और उस जलधार से आत्मा पर लगे हुए भस्मक्षण धोकर आत्मा को शुद्ध करे।

तत्त्व रूपवती की कल्पना में, निर्मल तथा व्योतिर्भव आत्मा के स्वरूप का दर्शन करे।

यह विण्ठस्य ध्यान की बात हुई। आगे रूपस्य ध्यान के विषय में कवि कहता है—

सर्वं चिभव युत जान, जे ध्यावै अरिहन्त को।

मन दसि करि सति भान, ते पावै तिस भाव को॥ (सोरठा)

भर्त्यात्—ज्ञानादि अनन्त चतुष्य के धारक, अप मदा प्रतिद्वार, चौतीस भवित्वाय और यागी के देवतास गुण-युक्त, इन्द्र तथा देवों के

पूजनीय, ज्ञानावरणीय आदि घातक कर्म के नाशक, अनन्त केवलज्ञान रूप लक्ष्मो से युक्त, अरिहन्त भगवान के स्वरूप का ध्यान करके यह मानना कि मेरा भी आत्मा ऐसा ही है, अन्तर केवल यही है कि अरिहन्त भगवान ने आत्मा रूपी सूर्य का प्रकाश रोकने धाले कर्म रूपी आवरण को नष्ट कर दिया है, लेकिन मेरा आत्मा कर्म-मल से आच्छादित है, उस कर्म-मल को हटा देने पर इस परमात्म स्वरूप में और मेरे में कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार की भावना करते हुए, जीवनमुक्त-अजन्मा और नष्ट पाप परमात्मा से तन्मयता साधना, रूपस्थ ध्यान है।

इति विगत विकल्पं क्षीण रागादि दोषं  
विदित सकल वेदं त्यक्त विश्व ग्रपंचः ।  
शिवमजमनवद्यं विश्व लौकीक नाथं  
परम पुरुप मुंचै र्भविशुद्ध्या भजस्वः ॥

( मालिनी वृत्तम् )

अर्थात्—जिनके समस्त विकल्प मिट गये हैं, रागादि दोष क्षीण हो चुके हैं, जो समस्त पदार्थों को जानते हैं, जिनने जन्म-मरण का प्रवाह नष्ट कर दिया है, जो पाप-रहित हो गये हैं, जो समस्त लोक के नाथ होकर लोकाम पर स्थित हैं, उन रूपातीत सिद्ध भगवान के स्वरूप का चिन्तवन करके अपने को उस रूप में लय करदे, उनके स्वरूप से आत्मा की तुलना करता हुआ सत्ता की अपेक्षा से आत्मा को भी उनके समान जानकर आत्मा का वैसा ही रूप प्रकट करने के लिए उनके रूप के ध्यान में तालीन हो जाना, रूपातीत ध्यान है।

ऊपर बताये गये ध्यानों में रमण करने का नाम ही सामायिक है। ऐसे ध्यान के द्वारा आत्मा समभाव को प्राप्त होता है।

---

## सामायिक का उद्देश्य

---

**सा**मायिक क्यों करनी चाहिये ? सामायिक का उद्देश्य क्या है ? इसके लिये कहा गया है कि—

समभावो सामाद्यं, तण फंचण सत्तुमित्त वित्त संउत्ति ॥

णिरभिसंगं चित्तं, उचित्य पवित्रि पहाणाणं ॥ १ ॥

इस गाथा में कहा है कि सामायिक का उद्देश्य है—समभाव की प्राप्ति अर्थात् तृष्ण और कंचन, शत्रु और मित्र पर राग-द्वेष रद्धित एतका समभाव का प्राप्त करना यद्यपि सामायिक करने का उद्देश्य है किन्तु इस तरह का समभाव पूर्णतया तो तभी प्राप्त होता है, जब रागद्वेष का सर्वेया नाश हो जावे और रागद्वेष का पूर्णतया नाश तभी प्राप्त होता है, जब वीतराग दशा प्रकट हो। जब तक रागद्वेष सर्वेया नष्ट नहीं हो जाता, तब तक वीतराग दशा प्रकट नहीं हो सकती।

और जब तक वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है, तब तक रागद्वेष का सर्वथा नाश भी नहीं होता है, न पूर्ण समझाव की प्राप्ति ही होती है। वीतराग दशा प्रकट करने का मार्ग, आत्मा को शुकुध्यान में लगाकर मोहकर्म को प्रकृतियों को उड़ाना और ग्यारहवें या बारहवें आदि गुणस्थान पर पहुँचना है। ऐसी दशा में यह प्रश्न होता है, कि जब तक इस स्थिति पर न पहुँचा जाय, तब तक क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए सिद्धान्त कहता है कि पूर्ण समझाव तो वीतराग दशा प्रकट होने पर ही होगा, फिर भी इसके लिए किया करते रहना चाहिए। बिना किया किये एक दम वह स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती, कि जिसके प्राप्त होने पर पूर्ण समझाव प्राप्त हो जाय। वह स्थिति किया करते रहने से ही प्राप्त हो सकती है। अतः वीतरागावस्था को ध्येय धनाकर, वह अवस्था प्राप्त करने लिए किया करते ही रहना चाहिए। किया न करके केवल यह कह कर बैठ रहने से कि 'ज्ञानो महाराज ने ज्ञान में जैसा देखा होगा वैसा होगा' कोई भी व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह के कथन का अर्थ तो यही हुआ, कि हमारे किये कुछ भी नहीं होता है, लेकिन ऐसा मान बैठना, जैन सिद्धान्त को न समझना है। जिन लोगों को जैन सिद्धान्त का थोड़ा भी अभ्यास है, वे तो यही मानेंगे, कि हमें किया अवश्य ही करनी चाहिए। यद्यपि होता तो वही है, जो

करता हूँ, उतने समय के लिए सावद्य व्यापार (कार्य) का दो करण सीन योग से त्याग करता हूँ। यानी मन वचन काय के योग से न सो मैं स्वर्य ही सावद्य कार्य करूँगा, न दूसरे से ही कराऊँगा। इतना ही नहीं, किन्तु सामायिक प्रहृण करने से पहले मैंने जो सावद्य अनुष्ठान किये हैं, उन सब की वचन से निन्दा करता हूँ, मन से शृणा करता हूँ और उन कपायादि दुष्प्रवृत्तियों से अपनी आत्मा को हटाता हूँ।

इस प्रकार सामायिक करने के लिए वे समस्त कार्य त्यागे जाते हैं जो सावज्ञ हैं। सावज्ञ का अर्थ है 'स अवज्ञः सावज्ञः' यानी अवज्ञ सहित कार्य को सावज्ञ कहते हैं। अवज्ञ का अर्थ है पाप इसलिए सामायिक प्रहृण करने के लिए वे सब कार्य त्याज्य हैं, जिनके करने से पाप का बन्ध होता है और आत्मा में पाप कर्म का स्रोत आता है।

शास्त्रकारों ने पाप की व्याख्या करते हुए अठारह कार्य में पाप घोषया है। उन अठारह में से किसी भी कार्य को करने पर कर्म का बन्ध होकर आत्मा भारी होता है और जो आत्मा कर्म के धोक्ष से भारी है वह समझाव को प्राप्त नहीं कर सकता। जिन कार्यों से कर्म का बन्ध हो कर आत्मा भारी होता है, योंमें उन पाप कार्यों का भी वर्णन किया जाता है।

१ प्राणातिपात यानी जीव हिंसा—इस सम्बन्ध में प्रभ होता है कि जीव तो शाश्वत है। जीव का अजीव न सो कभी हुआ है, न होता ही है और न होगा ही। फिर हिंसा किसकी

होती है और पाप क्यों लगता है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि जीव का नाश तो कभी नहीं होता, परन्तु जीव ने अपना जीवत्व व्यक्त करने के लिये जो सामग्री एकत्रित की है, और जीव की जिस सामग्री को प्राण कहा जाता है, उस सामग्री को नष्ट करना या घटक का पहुँचाना—यानी प्राण नष्ट करना या प्राण को आघात पहुँचाना ही हिंसा है। इसके लिए कहा भी है कि—

प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणं हिंसा ।

इसका भावार्थ यह है कि ऐसा विचार करना, ऐसी भाषा बोलना या ऐसा कार्य करना कि जिससे किसी भी प्राणी के प्राणों को आघात पहुँचे, वह हिंसा है और ऐसी हिंसा ही 'प्राणातिपात' पाप है ।

२ मृषावाद यानी झूठ बोलना—जो बात जैसी है या जो पदार्थ जैसा है उसको बैसा न कह कर विपरीत कहना, बताना और वास्तविकता को छिपाना 'मृषावाद' है। ऐसा करने से कई प्रकार के अनर्थ होते हैं इसलिये यह भी पाप है ।

३ अदत्ता दान यानी चोरी—जो पदार्थ अपना नहीं किन्तु दूसरे का है वह सचित अचित या मिथ पदार्थ उस पदार्थ को मालिक से छिपा कर गुप रीति से प्रहण करना चोरी है। अथवा दूसरे के अधिकार की वस्तु पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेना भी चोरी है। क्योंकि उसकी आत्मा दुःख पाती है इस तरह की चोरी 'अदत्ता दान' नाम का पाप है ।

४ मैथुन—मोह दंशा से विकल होकर खी आदि मोहक पदार्थ पर आसक्त हो खी पुच्छ का परस्पर वेद-जन्म्य चेष्टा करना (विकार में प्रधृत्त होना) मैथुन है। 'मैथुन' में फँसे हुए लोग अकृत्य कार्य भी कर डालते हैं और आरम्भाव को भूल जाते हैं। इसलिए 'मैथुन' भी पाप है।

५ परिग्रह—किसी भी सचित अचित अथवा मिथ पदार्थ के प्रति ममत्व रखना, उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करना, प्राप्त पदार्थ का संग्रह करना, उन्हें अपने अधिकार में रखने की चेष्टा करना और उनके प्रति आसक्त रहना 'परिग्रह' है। परिग्रह के लिए अनेक अनर्थ किये जाते हैं, इसलिए यह भी पाप है।

६ क्रोध—किसी निमित्त के कारण अथवा अकारण अपने या दूसरे के आत्मा को तप्त करना 'क्रोध' है। जष क्रोध होता है तथा अक्षानवरा हितादित नहीं सूक्ष्मता है, लेकिन क्रोधावेश में छिये गये कार्य के लिए फिर पश्चात्ताप पोता है। क्रोध, कष्ट का मूल है इसलिए 'क्रोध' भी पाप है।

७ मान—दूसरे को तुच्छ और स्वर्य को महान् मानना 'मान' है। मानी व्यक्ति ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सातता है जिन्हें सुनकर दूसरे को यहुत दुःख होता है और दूसरे के हृदय में प्रति-हिंसा की भावना जागृत होती है। इसलिए 'मान' भी पाप है।

८ माया—अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को ठगते और घोखा देने की जो चेष्टा की जाती है, उसे 'माया' कहते हैं। माया के कारण दूसरे प्राणी को कष्ट में पड़ना पड़ता है, इसलिए 'माया' भी पाप है।

९ लोभ—हृदय में किसी चोज की अत्यधिक चाह रखने का नाम 'लोभ' है। लोभ ऐसा दुर्गुण है कि जिसके कारण सभी पापों का आचरण किया जा सकता है। दशवैकालिक सूत्र में कहा है कि क्रोध मान और माया से तो एक एक सद्गुण का ही नाश होता है, लेकिन लोभ सभी सद्गुणों को नष्ट करता है। इसी कारण 'लोभ' की गणना पाप में की गई है।

१० राग—किसी भी पदार्थ के प्रति आसक्ति रूप प्रेम होने का नाम 'राग' है अथवा सुख की अनुसंगति को भी 'राग' कहते हैं। वास्तव में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है परन्तु जब उस वस्तु को अपनी मान लिया जाता है, तब उसके प्रति राग होता है और जहाँ राग है वहाँ सभी अनर्थ सम्बन्ध हैं। इसीलिए 'राग' को भी पाप में माना गया है।

११ द्वेष—अपनी प्रकृति के प्रतिकूल बात सुनकर या कार्य अथवा पदार्थ देख कर जल उठना, उस बात, कार्य या पदार्थ को न चाहना और उस बात कार्य या पदार्थ को निःशेष करने की भावना अथवा प्रवृत्ति करना द्वेष है। 'द्वेष' की गणना भी पाप में है।

१२ कलह—किसी भी अप्रशस्त संयोग के मिळने से मन में कुद्दकर बांगुद्ध करना 'कलह' है। कलह से अपने आत्मा को भी परिताप होता है और दूसरे को भी। इसलिए 'कलह' भी पाप है।

१३ अभ्याख्यान—किसी भी मनुष्य पर कोई बहाना पाकर घोपारोपण करना, कल्पक 'चढ़ाना, 'अभ्याख्यान' है, जो पाप है।

१४ पैशुन्य—किसी मनुष्य के सम्बन्ध में चुगली खाना इधर की घात उधर लगाना 'पैशुन्य' है। 'पैशुन्य' की गणना भी पाप में है।

१५ परपरिवाद—किसी की बढ़ती न देख, सकने के कारण उस पर सब्बा क्षटा दूषण लगा कर उसकी निन्दा करना 'परपरिवाद' है। यह भी पाप है।

१६ रति अरति—निज स्वरूप को भूल कर पर भाव में पदा हुआ पुद्गलों में आनन्द मानने वाला व्यक्ति अनुफूल वस्तु की प्राप्ति से आनन्द और प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति से दुःख मानता है। यह 'रति अरति' है, जो पाप है।

१७ माया मृपा—क्षण सहित क्षूठ खोलना, यानी इस तरह चालाकी से खोलना या ऐसा व्यवहार करना कि प्रकृत में 'सत्य दीखे परन्तु वास्तव में क्षूठ है और जिसको दूसरा व्यक्ति

सत्य तथा सरल मान कर नाराज न हो 'माया मृषा' है। आजकल जिसे पॉलिसी कही जाती है, वह पॉलिसी शास्त्र के समीप 'माया मृषा' है, जो पाप है।

१८ मिथ्या दर्शन शल्य—तत्त्व में अतत्त्व-बुद्धि और अतत्त्व में तत्त्व-बुद्धि रखना, देव को कुदेव और कुदेव को देव, गुरु को कुगुरु और कुगुरु को गुरु, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानना या ऐसी बुद्धि रखना 'मिथ्या दर्शन शल्य' रूप विपरीत मान्यता का पाप है।

'ये अठारहों पाप' स्थूल रूप हैं। सूक्ष्म रूप तो बहुत गहन हैं। सामायिक प्रहण करने के समय इन अठारहों पापों का त्याग दो करण तीन योग से किया जाता है।

'सामायिक दो' तरह की होती है, एक 'देश सामायिक' और 'दूसरी' सर्व सामायिक। 'देश सामायिक' प्रहण करने वाला आवक अपने अवकाशानुसार समय के लिए उसी पाठ से सामायिक प्रहण करता है, जो पाठ ऊपर कहा गया है। सर्व सामायिक के बल वे ही लोग प्रहण करते हैं या कर सकते हैं; जिन्हें सांसारिक विषय कथाय से घृणा हो गई है। चकवर्ती को प्राप्त होने वाले सुख के 'साधन तथा' भोग्य पदार्थ भी जिन्हें नहीं ललचा सकते हैं, दुःख के पहाड़ भी जिन्हें क्षुभित नहीं कर सकते हैं और जो पौदूगलिक 'पदार्थ' से सर्वथा निर्ममत्व हो गये हैं। यद्यपि इस विषय में भी

चार भांगे हैं। यद्यपि कई लोग सर्व सामायिक प्रहण करने के समय इस स्थिति पर पहुँचे हुए भी नहीं होते हैं, किन्तु दुःख अथवा किसी प्रलोभन के कारण उत्पन्न वैराग्य से सर्व विरती सामायिक स्वीकार कर लेते हैं और फिर ज्ञान द्वाने पर उक्त स्थिति पर पहुँच जाते हैं फिर भी आदर्श तो उत्कृष्ट ही प्रतिपादन होगा। इसलिए यही कहां जा सकता है कि सर्व सामायिक वे ही लोग प्रहण करने के योग्य हैं जिनमें उक्त योग्यता विद्यमान हो या सम्भावना हो। सर्व सामायिक वही प्रहण करता है और सर्व सामायिक प्रहण करने का पाठ भी वही पढ़ता है जो गृहस्थावस्था स्थाग कर दीज्ञा प्रहण करता है। देश सामायिक और सर्व सामायिक प्रहण करने के पाठ में अन्तर यह है कि सर्व सामायिक प्रहण करने वाला अठारह पापों का यावज्जीवन के लिए स्थाग करता है और देश सामायिक प्रहण करने वाला व्यक्ति अपनी सुविधानुसार एक, दो, चार, पाँच या अधिक मुहूर्त के लिए। यह भेद काल की अपेक्षा से हुआ, भाव की अपेक्षा से यह भेद है कि सर्व सामायिक प्रहण करने वाला व्यक्ति अठारह पापों का सीन करण तीन योग से स्थाग करता है और देश सामायिक प्रहण करने वाला दो करण सीन योग से स्थाग करता है। गृहस्थ शावक गृहस्थावस्था से पृथक् नहीं दो गया है, इस कारण उससे अनुमोदन का पाप नहीं छूट सकता। इसलिए यह दो करण और सीन योग से ही पाप का स्थाग करता है। यानि

यह प्रतिज्ञा करता है कि इतने समय के लिए मैं मन, वचन और काय द्वारा न तो कोई पाप करूँगा ही और न कराऊँगा ही। इसके विरुद्ध सर्व सामायिक स्वीकार करने वाला सामायिक प्रहण करने के समय यह प्रतिज्ञा करता है, कि मैं जीवन भर मन, वचन, काय द्वारा न तो कोई पाप करूँगा, न कराऊँगा और न किसी पाप का अनुमोदन ही करूँगा। यानि सर्व सामायिक स्वीकार करने वाला व्यक्ति पाप के अनुमोदन का भी त्याग करता है।

तात्पर्य यह है कि सामायिक दो प्रकार की होती है। एक तो इवर और दूसरी भाव। यानि एक तो देश सामायिक और दूसरी सर्व सामायिक। इतर सामायिक थोड़े समय के लिए प्रहण की जाती है और सर्व सामायिक जीवन भर के लिए। दोनों प्रकार की सामायिक का उद्देश्य तो यही है, कि जो आत्मा अनादिकाल से विषय-क्षण्य में फँसकर पापपूर्ण कार्य करने के कारण कर्मों के लेप से भारी हो रहा है, उस आत्मा को इन कार्यों के त्याग और सम्भाव की प्राप्ति द्वारा हल्का किया जावे। देश या सर्व सामायिक, पूर्ण समभाव प्राप्त करने का अनुष्ठान है। लेकिन अनुष्ठान तभी सफल होता है, जब वह विधि-पूर्वक किया जावे और आत्मा एकाग्र होकर उस अनुष्ठान को करे। अनुष्ठान तब तक सिद्ध नहीं हो सकता, जब तक चित्त में एकाग्रता न हो और चित्त सभी एकाग्र हो सकता है, जब उसको स्थिर किया जावे तथा इन्द्रियों में चंचलता

न रहे॥ इसलिए सामायिक करने वाले मुमुक्षुं को इस दाता की सांख्यपानी रखनी चाहिए और यह पता छागते रहना चाहिए, कि मेरे मन की चंचलता मिटी है या नहीं और इन्द्रियों, विषय छोलुप और कर्मों की ओर दौड़ती तो नहीं हैं। सामायिक मन और इन्द्रियों की चंचलता मिटाने का अभ्यास है। अतः सामायिक की शुद्धता और सफलता तभी समझनी चाहिए, जब इन्द्रियों विषयों की ओर आकर्षित न हों और मन इधर-उधर न दौड़े। चाहे जैसे सुहावने शब्द या गान-वाद्य हो अथवा चाहे जैसे कठोर एवं कर्कश शब्द हों, उनको सुनकर कान न तो हर्षित हों, और न व्याकुल ही हों। सामने चाहे जैसा सुन्दर या भयंकर रूप आवे, आँखें उस रूप को देखकर न तो प्रसन्नता मानें न व्यथित या भीत हों। इसी प्रकार जब पौनों इन्द्रियों अनुकूल विषय की, और आकर्षित न हों, प्रतिकूल विषय से शुणा न करें, तथा मन में भी ऐसे समय पर रागद्वेष न भावे निलगु समतोष रहे, तब समझना कि हमारी सामायिक शुद्ध है। अब हमारी राधना सफलता की ओर बढ़ रही है। यदि इसके निम्न वापृति हो, तो उस दशा में साधना यानि अनुष्ठान का सफल होना कठिन है। इसलिए सामायिक करने वाले और गत की अंगबद्धता दशा में का प्रयत्न फरज़ा चाहिए, इस छस्य की ओर।

करने पर सामायिक-क्रिया के द्वारा कभी पूर्ण समझाव भी प्राप्त किया जा सकता है और आत्मा पूर्णता को पहुँच सकता है। जब आत्मा में पूर्ण समझाव होगा तब आत्मा जीवन-मुक्त होकर परमात्मा बन जावेगा।

इन्द्रिय और मन की चंचलता एकदम से नहीं मिट सकती। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। जब इन्द्रियों अपने विषयों की ओर आकर्षित हों और अपने साथ मन को भी उस ओर धसी-टने लगें, तब इन्द्रियों को रोकने के लिए ज्ञान-ध्यान आदि शुभ एवं प्रशस्त क्रिया का अवलम्बन लेना चाहिए। ऐसा करने पर इन्द्रियों विषयों की ओर जाने से रुक जावेगी और मन भी रुक जावेगा। छःव्यस्थ जीवों के मन वचन के योग का निरोध स्थायी रूप से नहीं हो सकता। श्री प्रज्ञापनादि सूत्रों में भगवान महावीर ने मन वचन के योग की स्थिति जघन्य एक समय और उत्कृष्ट अन्तर्सुहृत्त की बताई है। छःव्यस्थ जीवों के मन और वाणी के परमाणु अन्तर्सुहृत्त से अधिक समय तक एक स्थिति में नहीं रह सकते। वे तो पलटते ही रहते हैं। श्री गीताजी में भी मन की दुर्दमनता और उसके निरोध के विषय में कहा है—

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमथि घलबद्वद्वहम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरित्वं सु दुःकरम् ॥

अर्थात्—हे कृष्ण ! मन धड़ा ही चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला पूर्व

है। इसलिए उसे धरा करना वैसा हीं दुष्कर जान पड़ता है, जैसा दुष्कर वायु को धरा में करना है।

अर्जुन के इस कथन के उत्तर में कृष्ण ने कहा—

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्णते ॥-

अर्थात्—हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चंचल और दुर्निग्रह है परन्तु हे कौन्तेय ! अभ्यास और वैराग्य से मन को भी धरा में किया जा सकता है।

सामायिक करना मन को धरा में करने का अभ्यास है। इसलिए समझाव प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले को चाहिए कि वे मन को ऐसे प्रशस्त कामों में लगावें कि जिसमें वह इन्द्रियों के साथ विषयों की ओर न दौड़े और न इन्द्रियों ही विषय-लोकुण हों। इसके लिए सामायिक प्रश्न किये हुए व्यक्ति को निकम्मा न बैठना चाहिए, न सांसारिक प्रपञ्च की बातों में ही लगना चाहिए। निकम्मा बैठना, इघर उघर की सांसारिक प्रपञ्चपूर्ण धर्थवा विषय-विकार से भरी हुई ऐसी बातें करना जिनसे अपने या दूसरे के हृदय में रागद्वेष पढ़े, सामायिक क्षा उद्देश्य भूलना है। और जब उद्देश्य ही त्रिसूत कर दिया जावेगा तब किया सफल कैसे हो राकती है! इसलिए सामायिक के समय ऐसे सब कार्य त्याग कर सब्र सिद्धान्त का अध्ययन-मनन करना चाहिए, सत्त्वों का विषार करना चाहिए, धर्थवा जिनका ध्यान स्मरण करने से परमपद की

प्राप्ति हो सकती है, उन महापुरुषों की भक्ति और उन महापुरुषों के गुणानुवाद में मत लगा देना चाहिए। ऐसा करने पर आरम्भ समन्वय के समीप पहुँचेगा।

मन को स्थिर करने के लिए शास्त्रकारों ने पाँच प्रशस्त साधन बताये हैं। वे पाँच साधन इस प्रकार हैं—वांचना, पूछना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्मन्कथा। इन पाँचों का रूप थोड़े में बताया जाता है।

१—वांचना से मतलब है प्रशस्त साहित्य का पढ़ना। प्रशस्त साहित्य वही है जो सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी अहंत भगवान का छहा हुना प्रवचन हो और जिसे सर्व अचार सन्निपाती गणधरों ने सूत्र रूप में गृहा हो। अद्यता ऐसे ही साहित्य के भागार से निर्मित प्रन्थों की गणना भी प्रशस्त साहित्य में है।

इस व्याख्या पर से यह प्रश्न होता है कि क्या ऐसे साहित्य के चिवा शेष साहित्य प्रशस्त नहीं है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही कहा जावेगा, कि जिसकी दृष्टि सभ है, जिसको सबे तत्त्व का बोध है, उसके लिए सभी साहित्य प्रशस्त हो सकता है, ऐसा नन्दी सूत्र में कहा है। समहृष्टि और सभे तत्त्व को जानने वाला व्यक्ति जिस साहित्य को भी देखेगा, उस साहित्य में से तत्त्व निकाल कर उस तत्त्व का सम्यक् परिणमन ही करेगा। लेकिन ऐसी शक्ति आप वाक्य ही प्रकान करते हैं, इसलिए जिसे आप बचन का बोध है,

वही व्यक्ति दूसरे साहित्य से लाभ उठा सकता है। जिसको आप वचन का धोध नहीं है, वह व्यक्ति यदि दूसरा साहित्य देखेगा, तो लाभ के बदले हानि ही उठावेगा।

२—मन को स्थिर करने का दूसरा साधन 'पूछना' है। आप-साहित्य के बांचन से हृदय में तर्क-वितर्क का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। क्योंकि आप वाक्य अनन्त आशय वाले हैं, छव्यस्थ व्यक्ति पूरी तरह नहीं समझ सकता। इसलिए हृदय में उत्पन्न तर्क-वितर्क के विषय में विशेष ज्ञानी से पूछ-ताक करके समाधान किया जाता है।

३—तीसरा साधन 'पर्यटना' है। जो जानकारी प्राप्त की है, जो ज्ञान मिला है, उसे हृदयंगम करने के लिए उस ज्ञान का बार-बार चिंतन करना, पर्यटना है। जब तक ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण नहीं हटता है, तब तक प्राप्त ज्ञान भी नहीं टिकता। इसलिए प्राप्त ज्ञान का पुनः पुनः आवर्तन अथवा पारायण करते रहना चाहिए। सामायिक में पर्यटना करने से चित्त स्थिर रहता है और आत्मा पर-भाव में नहीं जाता है।

४—चौथा साधन प्राप्त ज्ञान के घाण रूप से ही सन्तुष्ट न होकर उसके भीतरी तत्त्व की खोज करना 'अनुप्रेक्षा' है। यानि प्राप्त ज्ञान से मुक्ते क्या धोध लेना, चाहिए इस बात को दृष्टि में रख कर प्राप्त ज्ञान के अन्तस्तल तक प्रहुँचने का प्रयत्न करना। और

अनुभव घड़ाना अनुप्रेक्षा है। बाह्य ज्ञान की अपेक्षा अनुभूत ज्ञान महा निर्जरा और समझाव को समीप करने वाला है। कहा है—

मन वच तन थिरते हुए, जो सुख अनुभव माँय ।

इन्द्र नरेन्द्र फणेन्द्र के, ता समान सुख नाय ॥


(शांति प्रकाश)

५—धर्म कथा, उक्त चारों साधनों द्वारा आत्मा जो अनुभव प्राप्त करता है, उस अनुभव का दूसरे को लाभ देना, लोगों को हिताहित का बोध करा कर धर्म के सम्मुख करना और पतित होने से बचाना ‘धर्म कथा’ है।

उक्त पाँचों साधन इन्द्रीय और मन का निप्रह करके समाधि भाव में प्रवर्त्तने के लिए प्रशस्त हैं। सामायिक प्रहण किये हुए व्यक्ति को इन्हीं साधनों का सहारा लेना चाहिए, जिससे सामायिक प्रहण करने का उद्देश्य, आत्मा को पूर्ण समाधि भाव में स्थित करना सफल हो।



## सामायिक से लाभ



अब यह देखते हैं, कि सामायिक करने से क्या लाभ

होता है ? क्योंकि जब तक कार्य का फ़ल ज्ञात नहीं होता, तब तक कार्य के प्रति रुचि नहीं होती और धिना रुचि का कार्य पूर्णता तक नहीं पहुँचता । इसलिए यह जानना आवश्यक है, कि सामायिक करने से लाभ क्या होता है ?

सामायिक से क्या लाभ होता है, यह बताने के लिए श्री उत्तराध्ययन सूत्र के २९ वें अध्ययन में गुरु-शिष्य के संवाद रूप प्रश्नोत्तर किया गया है कि—

प्रश्न—सामादण्ड भंते जीये किं जणयई ?

उत्तर—सामादण्ड सावज्ञा जोग विरद्दं जणयई ।

इस प्रश्नोत्तर में शिष्य प्रश्न करता है कि हे भगवन् !

सामायिक से जीव को क्या लाभ होता है ? शिष्य के हस्त प्रभ के उत्तर में गुरु ने कहा कि सामायिक से जीव को सावध योग याती पाप-प्रबृत्ति से दूर होने रूप महाफल की प्राप्ति होती है ।

हस्त प्रभोत्तर में गीतार्थ गुरु ने जो उत्तर दिया, उसे उन महा प्रश्नावान शिष्य ने समझ लिया होगा, लेकिन साधारण लोगों की समझ में तो उक्त उत्तर तभी आ सकता है, जब कुछ विशेष स्पष्टीकरण किया जावे । गुरु ने सामायिक का फल बताते हुए न तो देव-भव सम्बन्धी सुख का प्राप्त होना कहा है, न उचित आदि किसी सिद्धि का ही मिलना बताया है, कि जो इसी लोक में प्रत्यक्ष किया जा सके । इसलिए इस उत्तर का स्पष्टीकरण होना और भी आवश्यक है ।

कार्य का फल देखने के लिए पहले यह देखना चाहिए, कि इमाय उद्देश्य क्या है ? इसके अनुसार सामायिक के लिए भी यह देखना उचित है, कि हम सामायिक किस उद्देश्य से करते हैं । आत्मा अनादिकाल से पौद्गलिक सुख से परिचित है और इस कारण पौद्गलिक सुख के साधन ही एकत्रित करता है । आत्मा जैसे जैसे पौद्गलिक सुख के साधन एकत्रित करता है, वैसे ही वैसे उन साधनों के साथ उन्होंने हुई चिन्ता से बिर कर दुःखी होता जाता है । सामायिक ऐसे दुःख से छूटने के लिए ही की जाती है । वास्तव में पौद्गलिक साधनों में सुख होता, तो

छः खण्ड पृथ्वी के स्वामी चक्रवर्ती को ऐसे साधनों की क्या कम हो सकती है जो वे ऐसे साधनों को त्याग कर निकले, इसमें यही स्पष्ट है कि पौद्गलिक साधनों में सुख नहीं है। इसलिए सामायिक इस प्रकार के साधन प्राप्त करने के लिए नहीं कंजाती है, किन्तु जिस प्रकार बन्धन से जकड़ा हुआ आत्मा ज्ञान होने पर बन्धन मुक्त होने का प्रयत्न करता है, उसी प्रकार इस संसार की उपाधि से मुक्त होने के लिए ही सामायिक कंजाती है। ऐसी दशा में सामायिक के फल स्वरूप इहलौकिक या पारलौकिक सुख सम्पदा चाहना या सामायिक के फल सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करना भी सर्वया अनुपयुक्त है। किंतु आदमीने शारीरिक सुखके लिए बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रखे हीं लेकिन उन वस्त्रों के कारण गर्भ लगाने लगे और घबराहट होने लां तव शान्ति तभी हो सकती है, जब वे वस्त्र उत्तार कर अलग कर दिये जावें। इसके विरुद्ध यदि अधिक वस्त्र शरीर पर लाद लिये गये तो उस दशा में गर्भ या घबराहट भी नहीं मिल सकती, शान्ति ही हो सकती है। इसी के अनुसार जिन पौद्गलिक संयोगों के कारण आत्मा भारी हो रहा है, उन्हीं संयोगों में अधिक फँसने पर आत्मा को शान्ति नहीं मिल सकती। शान्ति तो उनका त्याग करने पर ही मिल सकती है।

कहना यह है कि सामायिक का फल इहलौकिक या पारलौकिक

नहीं है, किन्तु सामायिक का फल निर्जरा अथवा राग द्वेष रहित सम-भाव की प्राप्ति है। श्री दशवैकालिक सूत्र के नववें अध्ययन के चौथे उद्देशो में यह स्पष्ट कहा गया है, कि आत्म-कल्याण के लिए किये जाने वाले अनुष्ठान इहलौकिक सुख, पारलौकिक उद्धि, या कीर्ति शांघा, महिमा आदि के लिए नहीं, किन्तु केवल निर्जरा के लिए ही होने चाहिए। यही बात सामायिक के लिए भी है। आत्मा के लिए जो असमाधि के कारण हैं, उन सांसारिक उपाधियों से छूटने के लिए ही सामायिक की जाती है। इसलिए सामायिक का फल ऐसी उपाधियों के कारण होने वाली पाप प्रवृत्ति का त्याग ही है। यह फल, बहुत अंश में सामायिक प्रहण करते ही प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात् जिस समय सामयिक प्रहण को जाती है, उसी समय आध्यात्मिक सुख में बाधक प्रवृत्तियों से छुटकारा मिल जाता है और समाधि का अनुभव होने लगता है। सांसारिक उपाधियों का छूटना ही सम-भाव है और सम-भाव की प्राप्ति ही सामायिक का फल है।

इस प्रकार सामायिक का फल तत्त्वाल प्राप्त होता है। यदि सामायिक प्रहण करते ही उक्त फल न मिला, समभाव न हुआ, आत्मा विषय-कथाय की आग से जलता ही रहा, पीदूगलिक सुखों की लालसा न मिटी, तो समझना कि अभी न सो हम विधिपूर्वक सामायिक ही प्रहण कर सके हैं, न हमको सामायिक का फल

ही मिला है। जिस सामायिक का तात्कालिक फल प्राप्त नहीं हुआ है, उसका परम्परा पर प्राप्त होने वाला फल भी कैसे मिल सकता है। शास्त्रकारों ने स्पष्ट ही कह दिया है, कि इस आत्मा ने द्रव्य सामायिक बहुत की है और रजोदृशण मुखविधिका आदि उपकरण भी इतने धारण किये तथा स्थागे हैं कि एकत्रित करने पर उनका देर पर्वत की तरह हो सकता है, फिर भी उन सामायिकों या उपकरणों से आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इस असफलता का कारण सामायिक के तात्कालिक फल का न मिलना ही है। जिस सामायिक का तात्कालिक फल मिलता है, उसका परम्परा पर भी फल मिलता है और जिसका तात्कालिक फल नहीं मिलता उसका फल परम्परा पर भी नहीं मिलता।

लोग सामायिक के फल स्वरूप पौद्यगलिक सुख चाहते हैं। यानी इस भव में धन, जन, प्रतिष्ठा आदि और परन्भव में इन्द्र अहमिन्द्रादि पद प्राप्त होने की इच्छा करते हैं। यदि यह मिला तब तो सामायिक आदि धर्म करणी को सफल समझते हैं, जन्यथा निष्फल मानते हैं। इस प्रकार विपरीत फल चाहने के कारण ही आत्मा अब तक सामायिक के वास्तविक फल से वंचित रहा है। यदि अब भी आत्मा की भावना ऐसी ही रही, आत्मा सामायिक के फल स्वरूप इसी तरह की सांसारिक सम्पदा चाहता रहा, तो आत्मा उस आध्यात्मिक द्वाम से वंचित रहेगा ही, जिसके सामने

संसार की समस्त सम्पदा तुच्छ है । सामायिक के वास्तविक फल की तुलना में सांसारिक सम्पदा किस प्रकार तुच्छ है, यह धताने के लिए भगवान् महावीर के समय की एक घटना का वर्णन किया जाता है ।

एक समय भगवाधिष महाराजा श्रेणिक ने श्रमण भगवान् महावीर से अपने भावी भव के सम्बन्ध में पूछा । वीतराग भगवान्महावीर को राजा श्रेणिक की प्रसन्नता अप्रसन्नता की कोई अपेक्षा न थी । इसलिए राजा श्रेणिक के प्रभ के उत्तर में, भगवान् ने राजा श्रेणिक से कहा कि—राजन् ! यहाँ का आयुष्य पूर्ण करके तुम रत्नप्रभा पृथ्वी यानी नरक में उत्पन्न होओगे । राजा श्रेणिक ने भगवान् से फिर प्रभ किया, कि प्रभो ! क्या कोई ऐसा उपाय भी है, कि जिससे मैं नरक की यातना से बच सकूँ ? भगवान् ने उत्तर दिया कि उपाय तो अवश्य है, लेकिन यह उपाय तुम कर न सकोगे । जब श्रेणिक ने भगवान् से उपाय धताने के लिए आग्रह किया तब भगवान् ने उसे ऐसे चार उपाय दत्ताये, जिनमें से किसी भी एक उपाय के करने पर वह नरक जाने से बच सकता था । चन चार उपायों में से एक उपाय पूनिया श्रावक की सामायिक लेना था ।

महाराजा श्रेणिक पूनिया श्रावक के पांस लाकर उससे थोड़ा, कि भाई पूनिया ! तुम मुझ से इच्छानुसार धन ले भो और उसके

बदले में सुन्मे अपनी सामायिक दे दो । राजा के इस कथन के उत्तर में पूनिया श्रावक ने कहा, कि सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है, यह मैं नहीं जानता हूँ । इसलिए जिनने आपको मेरी सामायिक लेना बताया है, आप उन्हीं से सामायिक का मूल्य जान लीजिये ।

राजा श्रेणिक फिर भगवान महावीर को सेवा में उपस्थित हुआ । उसने भगवान को पूनिया श्रावक का कथन सुनाकर पूछा, कि पूनिया श्रावक की सामायिक का क्या मूल्य हो सकता है ? भगवान ने राजा श्रेणिक से पूछा, कि तुम्हारे पास इतना सोना है, कि जिसकी छप्पन पहाड़ियाँ ( हुंगरियाँ ) बन जावें, परन्तु इतना धन तो सामायिक की दलाली के लिए भी पर्याप्त नहीं है । फिर सामायिक का मूल्य कहाँ से लोगे ? भगवान का यह कथन सुनकर, राजा श्रेणिक चुप हो गया ।

यह घटना इसी रूप में घटी हो या दूसरे रूप में या कथानक की कल्पना मात्र ही हो किन्तु बताना यह है, कि सामायिक के फल के सामने सांसारिक सम्पदा तुच्छ है, फिर वह कितनी और कैसी भी क्यों न हो !

सामायिक की सफलता-निष्फलता को सामायिक करने वाला स्वयं ही जान सकता है । कोई निन्दा करे या प्रशंसा करे, गाड़ी दे या धन्यवाद दे, मारे पीटे या छाया करे, धन हरण करे या

प्रदान करने लगे, फिर भी अपने मन में किसी भी प्रकार का विषम भाव न लावे, राग द्वेष न होने दे, किसी को प्रिय अप्रिय न माने, हृदय में हर्ष शोक न होने दे, किन्तु अनुकूल और प्रति-कूल दोनों ही स्थिति को समान माने, दुःख से छूटने या सुख प्राप्त करने का प्रयत्न न करे, यह माने कि ये पौद्वगलिक संयोग वियोग आत्मा से भिन्न हैं और आत्मा इनसे भिन्न है, इन संयोग वियोग से न तो आत्मा का द्वित ही हो सकता है न अद्वित ही, ऐसा सोच कर जो समभाव में स्थिर रहते हैं, उन्हीं की सामायिक सफल है। इस प्रकार जिनमें आत्म दृढ़ता है, वे ही सामायिक को सफल बना सकते हैं। इसके विरुद्ध जिनकी आत्मा कमजोर है, वे लोग थोड़ा दुःख होते ही घबरा कर और थोड़ा सुख होते ही प्रसन्न होकर सामायिक के ध्येय को भूल जाते हैं वे सामायिक को सफल नहीं बना सकते। जिनकी आत्मा दृढ़ है, वे लोग यह भावना रखते हैं, कि—

होकर सुख में मन न पूल्दूँ, दुःख में कभी न घबराऊँ।  
पर्वत नदी स्मशान भयंकर, अटवी से नहिं भय खाऊँ॥  
रहूँ सदा अडोल अकम्पित, यह मन दृढ़तर बन जावे।  
इष वियोग अनिष्ट योग में, सहन शीलता दिखलावे॥

जो इस प्रकार की भावना रखता है और ऐसी भावना को कार्यान्वित करता है, वही प्रत्येक स्थिति में समभावी रह सकता है और सामायिक का फल प्राप्त करता है।

यह तो हुई सामायिक का फल आप ही जानने की बात। इस बात के साथ ही सामायिक करने वाले को संसार में अपना यास व्यवहार भी ऐसा रखना चाहिए, कि जिससे सामायिक का फल प्राप्त होना जाना जा सके। इसके लिए उन कामों से सदा बचे रहना चाहिए, जो आत्मा में विषम-भाव उत्पन्न करते हैं। यद्यपि संसार-व्यवहार में रहे हुए व्यक्ति के लिए हिंसा, हँड आदि का सर्वथा स्थाग फरना कठिन है, फिर भी सामायिक करने वाले श्रावक का लक्ष्य यही होना चाहिए, कि मैं अन्य समय में भी हिंसा, हँड आदि से जितना भी बच सकूँ, उतना ही अच्छा है। इस बात को लक्ष्य में रखकर श्रावक को उन कामों से सदा बचे रहना चाहिए कि जिन कामों से इस लोक में अपयश अपकीर्ति होती है और परलोक बिगड़ता है।

कई लोग समझते हैं कि 'हम संसार व्यवहार में चाहे जो कुछ करें, हिंसा, हँड, चोरी आदि पाप कार्य का कितना भी आचरण करें, सामायिक कर लेने पर वे सब पाप नष्ट हो जाते हैं और हम पाप-मुक्त हो जाते हैं। संसार-व्यवहार तो पापपूर्ण ही है। पाप किये धिना संसार व्यवहार चल नहीं सकता।' इस तरह समझने के कारण कई लोग कृत पाप से मुक्ति पाने के लिए ही सामायिक करते हैं किन्तु पाप-कार्य का स्थाग आवश्यक नहीं मानते हैं। लेकिन इस तरह की समझ वाले लोगों ने सामायिक करने का उद्देश्य नहीं समझा है, न उन्हें सामायिक का फल ही ज्ञात है।

ज्ञानियों का कथन है, कि जो लोग कृत-पाप से मुक्ति पाने के लिए सामायिक करते हैं अर्थात् पाप-कार्य का स्थागन करके सामायिक द्वारा पाप के फल से बचना चाहते हैं, वे लोग चास्तब में सामायिक नहीं करते हैं, किन्तु धर्म ठगाई करते हैं। ऐसे व्यक्ति संसार से धर्म का अपमान करते हैं और सामायिक का महत्व घटाते हैं। इतना ही नहीं किन्तु वे लोग अपने को अधिक पाप में फँसाते हैं। सामायिक से पाप नष्ट हो जाते हैं या पाप का फल नहीं भोगना पढ़ता, ऐसी मान्यता वाले लोग पाप-कर्म करने की ओर से निर्भय हो जाते हैं और पुनः पुनः पाप करते हैं। इसलिए इस तरह की मान्यता स्वाज्य है। सामायिक करनेवाले का उद्देश्य पाप-कार्य से बचते रहना ही होना चाहिए। उसकी भावना यह रहनी चाहिए, कि सामायिक के समय ही नहीं, किन्तु संसार व्यवहार के समय भी मुझे आरम्भादि में प्रवृत्त होना पड़े, तो उन कार्यों में गुद्धि या मूर्छा न रखकर इस तरह का विवेक रखना चाहिए, कि जिसमें आकृत के स्थान पर भी संवंत्र निपजे। जो लोग ऐसी भावना रखते हैं और ऐसी भावना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करते हैं, उन्हीं का सामायिक करना सफल है और उन्हींने सामायिक करने का उद्देश्य भी समझा है। जिसमें इस तरह की भावना नहीं है, अथवा जो ऐसी भावना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं करता है, उसने

सामायिक का उद्देश्य भी नहीं समझा है, न उसकी सामायिक ही सफल हो सकती है। ऐसे व्यक्ति का सामायिक करना, केवल प्रशंसा या प्रतिप्राप के लिए अथवा धर्म-ठगाई के लिए स्वार्थ-साधन के लिए चाहे हो, सामायिक के वास्तविक फल के लिए नहीं है।

कई पूर्वाचार्य, सामायिक के फल स्वरूप कई पत्योपम या सागरोपम के नरक का आयुष्य दूटना और देवता का आयुष्य घंघना बताते हैं। किसी अपेक्षा से यह वर्त ठोक भी हो सकती है, लेकिन इस फल की कामना के बिना जो सामायिक की जाती है, उसका फल यहुत ज्यादा है। इसलिए सामायिक इस तरह के पारलौकिक फल की कामना रखकर करना ठोक नहीं है, किन्तु इसलिए करनी चाहिए, कि मेरा आत्मा सदा जागृत रहे और पाप से यचा रहे। जिस प्रकार घड़ी में एक बार चाबी देने पर वह किसी नियत समय तक बराबर चला करती है, इसी तरह सामायिक करने वाले को भी एक बार सामायिक करने के पश्चात् पाप कर्म से सदा बचते रहना चाहिए, तथा संसार व्यवहार में भी समाधि भाव रखना चाहिए, किसी पारलौकिक या इहलौकिक फल की लालसा न करनी चाहिए। ऐसे फल की लालसा से, सामायिक का महत्व घट जाता है। इसके बिरुद्ध जो सामायिक ऐसे फल की लालसा के बिना केवल आरम्भुद्धि के लिए ही की जाती है, उसका महत्व यहुत अधिक है।

## सामायिक कैसी हो

---

**सा**मायिक इस तरह करनी चाहिए कि जिससे दूसरे के हृदय में सामायिक के प्रति अद्वा हो और दूसरे लोग सामायिक करने के लिए उद्यत हों। सामायिक करने के लिए सब से पहले भूमिका को शुद्धि होना आवश्यक है। यदि भूमि शुद्ध होती है तो उसमें धोया हुआ बीज भी फलदायक होता है। इसके विरुद्ध जो भूमि शुद्ध नहीं है तो उसमें धोया गया बीज भी सुन्दर और सुस्वादु फल कैसे दे सकता है! इसके अनुसार सामायिक के लिए भी भूमिका को शुद्धि आवश्यक है। सामायिक के लिए चार प्रकार को शुद्धि आवश्यक है, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। इन शुद्धि के साथ जो 'सामायिक' की

जाती है, वही सामायिक पूर्ण फलदायिनी हो सकती है। इन चारों तरह की शुद्धि की भी योग्य में व्याख्या को जाती है।

१ द्रव्य शुद्धि—सामायिक के लिए जो द्रव्य जैसे भंडोपकरण, वस्त्र, पुस्तक आदि आवश्यक हैं उनका शुद्ध होना भी जरूरी है। भंडोपकरण यानी मुँहपत्तो, आसन, रजोदरण, ( पूँजनी ) माला ( सुमरनी ) आदि ऐसे हों, जिनसे किसी प्रकार की अयत्ता न हो। ये उपकरण जीवों की यज्ञा ( रक्षा ) के उद्देश्य से ही रखे जाते हैं, इसलिए ऐसे होने चाहिए कि जिनके द्वारा जीवों की यज्ञा हो सके।

कई लोग सामायिक में ऐसे आसन रखते हैं जो खबें वाला सिये हुए होते हैं, अथवा खुन्दरता के लिए रंग-बिरंगे ढुकड़ों को जोड़ कर बनाये गए होते हैं। ऐसे आसन की भली-भांति प्रतिलेखन नहीं हो सकता। इसलिए आसन ऐसा हो ही अच्छा है, जो साफ हो, विना सिया हुआ एक ही ढुकड़े का हो वहूरंगा न हो, न विकारोत्पादक भढ़फोला ही हो, किन्तु साफ हो। इसी प्रकार पूँजनी और माला भी सादी तथा ऐसी होने चाहिए, कि जिनसे जीवों की यज्ञा हो, किन्तु अयज्ञा न हो। कठोरों के पास ऐसी पूँजनियें होती हैं, जो केवल शोभा के लिए ही होती हैं, जिनसे सुविधा पूर्वक पूँजा नहीं जा सकता। इस तरा के उपकरण शुद्ध नहीं कहे जा सकते। पूँजनी सादी होनी चाहिए

तथा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे भलो-प्रकार पूजा जा सके । इसी तरह माला भी ऐसी हो कि जिसे फिराने पर किसी तरह अचल्ना न हो । वस्त्र भी सादे एवं स्वच्छ होने चाहिएँ । ऐसे चमकीले भङ्गकीले न होने चाहिएँ कि जिनसे अपने या दूसरे के चित्तमें किसी प्रकार की अशान्ति हो, न ऐसे गन्दे हो हों कि जिनके कारण दूसरे को घृणा हो अथवा जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हों । पुस्तकें भी ऐसी हों, जो आत्मा की ज्योति को प्रदीप करें । जिनसे किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हो ऐसी पुस्तकें न होनी चाहिएँ ।

२ क्षेत्र शुद्धि—क्षेत्र से सतलब उस स्थान से है, जहाँ सामायिक करने के लिए बैठना है, या बैठा है । ऐसा स्थान भी शुद्ध होना आवश्यक है । जिस स्थान पर बैठने से विचार-धारा दूटती हो, चित्त में चंचलता आती हो, अधिक खी-पुरुप या पशु-पक्षी का आवागमन अथवा निवास हो, विषय-विकार उत्पन्न करने वाले शब्द कान में पड़ते हों, हृषि में विकार आता हो, या ऊंश उत्पन्न होने की सम्भावना हो, उस स्थान पर सामायिक करने के लिए बैठना ठीक नहीं है । सामायिक करने के लिए वही स्थान उपयुक्त हो सकता है, जहाँ चित्त स्थिर रह सके, आत्मचिंतन किया जा सके, गुरु महाराज या स्वधर्मी धन्धुखों का सामित्र हो । जिससे ज्ञान की वृद्धि हो सके । इस तरह के स्थान पर सामायिक करना

क्षेत्र-शुद्धि है। आत्मा को उच्च दृशा में पहुँचाने वाले साधनों में क्षेत्र शुद्धि भी एक है।

**३ काल शुद्धि**—काल से मतलब है समय। समय का विचार रखकर जो सामायिक की जाती है, वह सामायिक निविंग और शुद्ध होती है। समय का विचार न रखकर सामायिक करके घैठने पर, सामायिक में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प होते हैं और चित्त शान्त नहीं रहता है। इसलिए सामायिक का काल भी शुद्ध होना चाहिए।

**४ भाव शुद्धि**—भाव शुद्धि से मतलब है मन, वचन और काय की एकाप्रता। मन, वचन, काय के योग की एकाप्रता जिन दोषों से नष्ट होती है, उन दोषों का त्याग करना, भाव शुद्धि है। भाव शुद्धि के लिए उन दोषों को जानना और उनसे वचना आवश्यक है जो दोष मन, वचन, काय के योग की एकाप्रता भंग करते हैं।

इन चारों तरह की शुद्धि के साथ ही सामायिक बत्तों से दोषों से रहित होनी चाहिए। किन कार्यों से सामायिक दूषित होती है और कौन से दोष सामायिक का महत्व घटाते हैं यह नीचे बताया जाता है।

अविवेक जस्सो कित्ती लाभथी गद्व भय नियाणत्यो ।

संसय रोस अविणउ अवहुमाणप दोसा भणियव्वा ॥

**१ अविवेक**—सामायिक के सम्बन्ध में विवेक न रखना,

१ कार्य के औचित्य-अनौचित्य अथवा समय-असमय का ध्यान न रखना 'धर्मिक' नाम का पहिला दोष है।

२ यश-कीर्ति—सामायिक करने से मुझे यश प्राप्त होगा, अथवा मेरी प्रतिष्ठा होगी, समाज में मेरा आदर होगा, या लोग मेरे को धर्मात्मा कहेंगे आदि विचार से सामायिक करना 'यश-कीर्ति' नाम का दूसरा दोष है।

३ लाभार्थ—धन आदि के लाभ की इच्छा से सामायिक करना 'लाभार्थ' नाम का तीसरा दोष है। जैसे इस विचार से सामायिक करना कि सामायिक करने से व्यापार में अच्छा लाभ होता है, 'लाभार्थ' नाम का दोष है।

४ गर्व—सामायिक के सम्बन्ध में यह अभिमान करना, कि मैं बहुत सामायिक करने वाला हूँ, मेरी तरह या मेरे बराबर कौन सामायिक कर सकता है, या मैं कुछों हूँ आदि गर्व करना 'गर्व' नाम का चौथा दोष है।

५ भय—किसी प्रकार के भय के कारण, जैसे राज्य, पंच या लेनदार आदि से बचने के लिए सामायिक करके बैठ जाना 'भय' नाम का पाँचवाँ दोष है।

६ निदान—सामायिक का कोई भौतिक फ़ल चाहना 'निदान' नाम का छठा दोष है। जैसे, यह संकल्प करके सामायिक करना, कि मेरे को अमुक पदार्थ या सुख मिले, अथवा

सामायिक करके यह चाहना कि यह मैंने जो सामायिक की है, उसके फल स्वरूप मुझे अमुक चस्तु प्राप्त हो 'निदान' दोप है।

७ सन्देह—सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना 'सन्देह' नाम का सातवाँ दोप है। जैसे यह सोचना कि मैं जो सामायिक करता हूँ, गुम्खे चसका कोई फल गिलेगा या नहीं, अथवा मैंने इतनी सामायिक की, किर भी मुझे कोई फल नहीं मिला आदि सामायिक के फल के सम्बन्ध में सन्देह रखना, 'सन्देह' नाम का सातवाँ दोप है।

८ कपाय—राग द्वेषादि के फारण सामायिक में क्रोध, मान, माया, लोभ करना 'कपाय' नाम का आठवाँ दोप है।

९ अविनय—सामायिक के प्रति विनय-भाव न रखना, अथवा सामायिक में देव, गुरु, धर्म की असातना करना, उनका विनय न करना 'अविनय' नाम का नववाँ दोप है।

१० अवहुमान—सामायिक के प्रति जो आदरभाव होना चाहिए, उस आदरभाव के बिना किसी दयाय से या किसी प्रेरणा से घेगारी की तरह सामायिक करना 'अवहुमान' नाम का दसवाँ दोप है।

- ये दसों दोप मन के द्वारा लगते हैं। इन दस दोषों से बचने पर सामायिक के लिए मन शुद्धि होती है और मन एकाप्र रहता है।

कुवयण सहवाकारे सछंद संखेय कलहं च ।  
विभग्हा वि हासोऽशुद्धं निरवेक्खो मुणमुणा दोसादस ॥

१ कुवचन—सामायिक में कुस्तित वचन बोलना 'कुवचन' नाम का दोष है ।

२ सहसाकार—बिना विचारे सहसा इस तरह बोलना, कि जिससे दूसरे को हानि हो और सत्य भंग हो तथा व्यवहार में अप्रतीति हो, 'सहसाकार' नाम का दोष है ।

३ सच्छन्द—सामायिक में ऐसे गीत गाना, जिससे अपने या दूसरे में कामवृद्धि हो, 'सच्छन्द' दोष है ।

४ संक्षेप—सामायिक के पाठ या वाक्य को थोड़ा करके बोलना, 'संक्षेप' दोष है ।

५ कलह—सामायिक में कलहोत्पादक वचन बोलना, 'कलह' दोष है ।

६ विकथा—बिना किसी सदुइश्य के छो-कथा आदि चार विकथा करना, 'विकथा' दोष है ।

७ हास्य—सामायिक में हँसना, कौतुहल करना अथवा व्यंग पूर्ण शब्द बोलना, 'हास्य दोष' है ।

८ अशुद्ध—सामायिक का पाठ जल्दी जल्दी शुद्धि का ध्यान रखे बिना बोलना या अशुद्ध बोलना 'अशुद्ध' दोष है ।

९ निरपेक्ष—सामायिक में बिना सावधानी रखे बोलना 'निरपेक्ष' दोष है ।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उचारण न करना किन्तु गुनगुन घोलना 'मुम्मन' दोप है।

ये दस दोप वचन सन्धान्धी हैं। इन दस दोपों से वचन वचन शुद्धि है।

कुआसणं चलासणं चलादिङ्गो,

सावज्ज किरिया लंचणा कुंचण पसारणं।

आलस्समोडन भलविणासणं,

निहा वेयावश्यति वारस काय दोसा ॥

१ कुआसन—कुआसन घैठना जैसे पौंव पर पौंव चढ़ कर आदि 'कुआसन' दोप है।

२ चलासन—स्थिर आसन न घैठ कर धार-धार आस घदलना, 'चलासन' दोप है।

३ चल दृष्टि—दृष्टि को स्थिर न रखना, धार-धार इध उधर देखना 'चल दृष्टि' दोप है।

४ सावद्य क्रिया—शरीर से सावद्य किया करना, इशार करना या घर की रखवाली करना, 'सावद्य क्रिया' दोप है।

५ आलम्बन—यिना किसी कारण के दीवाल आदि क सहारा लेकर घैठना, 'आलम्बन' दोप है।

६ अकुंचन पसारन—यिना प्रयोजन ही हाथ पौं फैलाना समेटना, 'अकुंचन पसारन' दोप है।

७ आलस्य—सामायिक में बैठे हुए आलस्य मोड़ना 'आलस्य' दोष है।

८ मोड़न—सामायिक में बैठे हुए हाथ पैर की छँगलियाँ चटकाना 'मोड़न' दोष है।

९ मल दोष—सामायिक में बैठे हुए शरीर पर से मैड उतारना 'मल' दोष है।

१० विमासन—गले में हाथ लगा कर शोक-प्रस्त की तरह बैठना, अथवा विना पूँजे शरीर खुजलाना या चलना 'विमासन' दोष है।

११ निद्रा—सामायिक में बैठे हुए निद्रा लेना, 'निद्रा' दोष है।

१२ वैयावृत्य अथवा कम्पन—सामायिक में बैठे हुए निष्कारण ही दूसरे से व्यावच कराना 'वैयावृत्य' दोष है और स्वाध्याय करते हुए घूमना यानी दिलना या शीत-ऊष्ण के कारण कौपना 'कम्पन' दोष है।

ये चारह दोष काय के हैं। इन दोषों को टालने से काय शुद्धि होती है। मन, वचन और काय के दोष ऊपर बताये गये हैं, इन सब से बचना, भाव शुद्धि है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की शुद्धि से सामायिक के लिए शुद्ध भूमिका होती है।

१० मुम्मन—सामायिक के पाठ आदि का स्पष्ट उच्चारण न करना किन्तु गुनगुन बोलना 'मुम्मन' दोष है।

ये दस दोष वचन सन्ध्यन्धी हैं। इन दस दोषों से वचन वचन शुद्धि है।

कुआसणं चलासणं चलादिट्टो,

सावज्ज किरिया लंबणा कुंचण पसारणं।

आलस्समोडन मलविणासणं,

निहा वेयावच्चति वारस काय दोसा ॥

१ कुआसन—कुआसन बैठना जैसे पौँव पर पौँव चढ़ा कर आदि 'कुआसन' दोष है।

२ चलासन—स्थिर आसन न बैठ कर धार-धार आसन थद्धना, 'चलासन' दोष है।

३ चल दृष्टि—दृष्टि को स्थिर न रखना, वार-धार इधर उधर देखना 'चल दृष्टि' दोष है।

४ सावद्य क्रिया—शरीर से सावद्य क्रिया करना, इशारे करना या घर को रखवालों करना, 'सावद्य क्रिया' दोष है।

५ आलम्बन—विना किसी कारण के दीवाल आदि का सहारा लेकर बैठना, 'आलम्बन' दोष है।

६ अकुंचन पसारन—विना प्रयोजन ही हाथ पौँव कैलाना समेटना, 'अकुंचन पसारन' दोष है।

कायोत्सर्ग में रहने पर शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं के होने पर भी कायोत्सर्ग अभंग रहने के लिए, कायोत्सर्ग के नियमों का स्मरण 'तस्स उत्तरी' पाठ द्वारा करके यह प्रतिज्ञा करे, कि मेरा कायोत्सर्ग तब तक अभंग रहे, जब तक मैं 'अरिहन्त भगवान् को नमस्कार रूप' वाक्य न बोलूँ । 'तस्स उत्तरी'<sup>१</sup> पाठ पूर्ण होते ही, कायोत्सर्ग करके उन दोषों को विशेष रूप से स्मरण करके आदोचना करे, जो जीवों की विराधना रूप हुए हों ।

कायोत्सर्ग समाप्त होने पर आत्मा को शुद्ध दशा में स्थिर करने के लिए 'लोगस सूत्र' का पाठ पढ़े, जिससे आत्मा में जागृति हो और आत्मा सामायिक प्रहण करने के योग्य बने । आत्मा में जागृति लाने और आत्मा को ध्येय-साधन के योग्य बनाने का एक मात्र साधन परमात्मा की प्रार्थना करना ही है ।

'लोगस सूत्र' का पाठ बोल कर, सामायिक की प्रतिज्ञा स्वरूप 'करेमि भर्ते' पाठ बोल कर, सामायिक स्वीकार करे । यह करके, फिर परमात्मा की प्रार्थना स्वरूप 'शक्तवृ' ( नमोऽथुण् ) दो बार बोल कर 'सिद्ध तथा अरिहन्त' भगवान् को नमस्कार करे ।

बहुत से लोग सामायिक द्वारा आत्म-ज्योति जगाने के लिए

<sup>१</sup> अन्य दर्शनों में समाधि के लिए शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को रोकने का विधान है लेकिन जैन-दर्शन में शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को बिना रोके ही समाधि प्राप्त करने का विधान है । — सम्पादक ।

विशुद्ध भूमिका में पड़ा हुआ थीज ही निरोग अंकुर देता है और जो वृक्ष निरोग है, वही फलदृप भी होता है।

सामायिक की भूमिका की विशुद्धि के पश्चात् सामायिक प्रहण करने की विधि का भी पूरी तरह पालन होना चाहिए। सामायिक प्रहण करने के लिए तत्पर व्यक्ति को अपने शरीर पर एक धोती और एक ओढ़ने का वस्त्र, इन दो वस्त्रों के सिवाय और कोई बबन रखना चाहिए, किन्तु उसे हृष्ट वस्त्र जैसे कोट, कुर्ता आदि और सिर पर जो वस्त्र हों, चाहे वह टोपी हो, पगड़ी हो, या साफ़ा हो, स्थाग देना चाहिए यानी ढतार कर अलग रख देना चाहिए। पश्चात् सामायिक के लिए उपयोगी उपकरण जैसे रजोहरण, मुद्दन्वयिका और आसन आदि प्रहण करके, उस भूमि के प्रमार्जित करना चाहिए, जहाँ बैठ कर सामायिक करना है। भूमि प्रमार्जन करके प्रमार्जित भूमि पर आसन विद्धा, मुद्दपत्ति पान्ध लेनी चाहिये और फिर नमस्कार मन्त्रों का स्मरण करना चाहिए। नमस्कार मन्त्र का स्मरण करने के पश्चात्, गुरु महाराज को घन्दन करके उनसे सामायिक करने की आशा माँगनी चाहिए।

यह सब हो जाने पर सामायिक करने से पहिले जीवों पर अपना द्वारा जो विराधना हुई है, उसका ईरिया पथिक पाठ द्वारा स्मरण करना चाहिए और विशेष स्मरण करने के लिए छायोस्सर्ग करना चाहिए। कायोस्सर्ग का उद्देश्य, कायोस्सर्ग करने की विधि और

जल्ती हुई आग रख कर भी कोई व्यक्ति कढ़ाई में भरे हुए दूध में चंफान न भाने देता चाहे, तो यह कैसे सम्भव है। दूध के नीचे प्रज्ज्वलित आग होने पर, दूध शान्त नहीं रह सकता, किन्तु उफान खावेगा ही। इसी तरह जब तक भोग्योपभोग्य पदार्थ के प्रति मन में आसक्ति है, ममत्व है, तब तक चित्त स्थिर कैसे हो सकता है। चित्त को शान्त अथवा स्थिर करने के लिए यह आवश्यक है, कि जिससे चित्त अशान्त रहता है, उन भोग्योपभोग्य पदार्थ का ममत्व स्थाग दे और इस ओर अधिक से अधिक गति करे। शाकारों ने इसीलिये सामायिक से पहिले वे आठ व्रत बताये हैं, जिनको स्वीकार करने पर इच्छा या वासना सीमित हो जाती है तथा चित्त की अशान्ति मिटती है। उन आठ व्रतों के पश्चात् सामायिक का नववां व्रत बताया है। शाकारों द्वारा बताये गये सामायिक के पहिले के आठ व्रतों को जो भव्य जीव स्वीकार करते हैं, उनकी वासना भी सीमित हो जाती है और उनमें अर्थ-अनर्थ तथा कृत्या-कृत्य का विवेक भी जागृत रहता है। इससे वे विवेकी जीव, उपयोग सहित सामायिक की विधि का पालन करने और सामायिक के समय चित्त स्थिर रखने में समर्थ होते हैं।

इस तरह की शुद्धि के साथ ही, सामायिक में चित्त स्थिर रखने के लिए स्थान पान और रहन-सहन का शुद्ध होना भी आवश्यक है। इसलिए भूमिका शुद्ध करके सामायिक करने पर

सामायिक की विधि पूरी नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो उपयोग-रहित होकर सामायिक का पाठ घोल कर सामायिक प्रश्न करते हैं। विधि और उपयोग के अभाव के कारण, चित्त इस्थिर न रहना स्वाभाविक है, और तब कहते हैं, कि सामायिक हमारा चित्त तो स्थिर रहता ही नहीं है, हम सामायिक करके क्या करें ! ऐसे लोगों की समझ में यह नहीं आता, कि जब हमने सामायिक की विधि का पालन ही उपयोग पूर्वक नहीं किया है तब सामायिक में हमारा चित्त लगे तो कैसे ! चित्त-विना प्रयत्न से तो स्थिर होता नहीं है। इसके लिए प्रयत्न का होना आवश्यक है और सामायिक में चित्त को स्थिर करने का पहिला प्रयत्न उपयोग सहित सामायिक की विधि का पालन करना है।

चित्त की स्थिरता का आधार, इच्छा-वासना की उपशमन पर भी है। जिसकी इच्छा-वासना जितने अंश में उपशम होगी वही द्वारा जावेगी, भोग्योपभोग्य के साधनों के प्रति विरक्ति वही जावेगी, उतने ही अंश में चित्त भी स्थिर रहेगा। इसलिए यह सामायिक में चित्त को स्थिर रखना है, तो उन कारणों को खोजकर मिटाना आवश्यक है, जो कारण चित्त में अशान्ति उत्पन्न कर बाले हैं। जो मनुष्य घूँहे पर चढ़ी हुई कढ़ाई में के दूध को शान्त रखना चाहता है, उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह कानों के नीचे जो आग जल रही है उसे बलग कर दे। कढ़ाई के नी-

ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर न रहने दे ! अन्त में उसने विचार किया, कि मैं अपनी पत्री से तो पूछ देखूँ, कि उसने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है ! इस तरह विचार कर, उसने अपनी पत्री को बुला उससे कहा, कि आज सामायिक में मेरा चित्त अस्थिर रहा, स्थिर नहीं हुआ । मैंने अपने कार्य एवं खान-पान की आलोचना की, फिर भी ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जिससे चित्त में अस्थिरता आवे । क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हुवा है, जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और मेरा चित्त सामायिक में अस्थिर रहा हो ।

उस श्रावक की पत्री भी धर्मपरायणा श्राविका थी । पति का कथन सुनकर उसने भी अपने सब कार्यों की आलोचना की । पश्चात् वह अपने पति से कहने लगी, कि मुझ से दूसरी तो कोई ऐसी शुटि नहीं हुई है, जिसके कारण आपके खान-पान में दूषण आवे और आपका चित्त सामायिक में न लगा, लेकिन एक शुटि अवश्य हुई है । हो सकता है, कि मेरी उस शुटि का ही यह म हो, कि आपका चित्त सामायिक में न लगा हो । मेरे आग नहीं रही थी । मैं, भोजन बनाने के लिए चूल्हा बिन के यहाँ आग लेने गई । जब मैं पहुँची, सब मुझे यांद आया कि मैं

भी जब कभी सामायिक में चित्त न लगे, तब अपने ज्ञान-पान और रहन-सहन की आड़ोचना फरके, चित्त स्थिर न रहने के कारण की खोज करनी चाहिए और उस कारण को मिटाना चाहिए। ज्ञान-पान और रहन-सहन की छोटी-सी अशुद्धि में चित्त को किस प्रकार अस्थिर बना देती है, और चंतुर शारीर से उस अशुद्धि को किस प्रकार मिटाता है, यह बताने के लिए एक कथित घटना का उद्देश्य यहाँ अप्रासंगिक न होगा।

एक धर्म निष्ठा आवक था। वह तियमित रूप में सामायिक किया करता था और इसके लिए उन सब नियमोपनियम की भली प्रकार पाठन करता था, जिनका पाठन फरने पर शुद्ध रूप से सामायिक होती है, अथवा सामायिक करने का उद्देश्य पूर्ण होता है।

एक दिन वह आवक, नित्य की तरह सामायिक करने के लिए बैठा। निरय तो उसका चित्त सामायिक में लगता था परन्तु उस दिन उसके चित्त की चंचलता न मिटी। उसने अपने पिठ को स्थिर फरने का यहूत प्रयत्न किया, लेकिन सब व्यर्थ। वह सोचने लगा, कि आज ऐसा कौन-सा कारण दुमा है, जिससे मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है, किन्तु इधर-उधर भागा ही किरता है! इस तरह सोच कर, उसने अपने सब कार्यों की आड़ोचना की, अपने ज्ञान-पान की आड़ोचना की, किन्तु उसे

ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जो सामायिक में चित्त को स्थिर न रहने दे ! अन्त में उसने विचार किया, कि मैं अपनी पत्नी से तो पूछ देखूँ, कि उसने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया है, जिसके कारण मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगता है ! इस तरह विचार कर, उसने अपनी पत्नी को बुला उससे कहा, कि आज सामायिक में मेरा चित्त अस्थिर रहा, स्थिर नहीं हुआ । मैंने अपने कार्य एवं खान-पान की आलोचना की, किर भी ऐसा कोई कारण न जान पड़ा, जिससे चित्त में अस्थिरता आवे । क्या तुमसे कोई ऐसा कार्य हुआ है, जिसका प्रभाव मेरे खान-पान पर पड़ा हो और मेरा चित्त सामायिक में अस्थिर रहा हो ।

उस श्रावक की पत्नी भी धर्मपरायणा श्राविका थी । पति का कथन सुनकर उसने भी अपने सब कार्यों को आलोचना की । पश्चात् वह अपने पति से कहने लगी, कि मुझ से दूसरी तो कोई ऐसी श्रुटि नहीं हुई है, जिसके कारण आपके खान-पान में दूषण आवे और आपका चित्त सामायिक में न लगे, लेफिन एक श्रुटि अवश्य हुई है । हो सकता है, कि मेरी उस श्रुटि का ही यह परिणाम हो, कि आपका चित्त सामायिक में न लगा हो । मेरे घर में आज आग नहीं रही थी । मैं, भोजन बनाने के लिए चूल्हा सुड़गाने के बास्ते पढ़ोसिन के यहाँ आग लेने गई । जब मैं पढ़ोसिन के घर के द्वार पर पहुँची, तब मुझे याद आया कि मैं

आग ले जाने के लिए तो कुछ लाई नहीं, फिर आग किसमें ले जाऊँगी ! मैं आग लाने के लिए कंदा ले जाना भूल गई थी । पड़ोसिन के द्वार पर कुछ कंडे पड़े हुए थे । मैंने, सहज मात्र से उन कंडों में से एक कंडा उठा लिया, और पड़ोसिन के यहाँ से उस कंडे पर आग लेकर अपने घर लाई । मैंने, आग जलाकर भोजन बनाया । पड़ोसिन के द्वार पर से पड़ोसिन की स्वीकृति बिना ही मैं जो कण्डा उठा कर लाई थी, उस कण्डे को भी, मैंने भोजन बनाते समय चूल्हे में जला दिया । पड़ोसिन के घर से मैं बिना पूछे जो कण्डा लाई थी, वह कण्डा चोरी या बेद्दक का था । इसलिए हो सकता है कि मेरे इस कार्य के कारण ही आपका चित्त सामायिक में न लगा हो । क्योंकि उस कण्डे को जलाकर बनाया गया भोजन आपने भी किया था ।

पत्नी का कथन सुनकर आशक ने कहा कि उस ठीक है ! उस कण्डे के कारण ही आज मेरा चित्त सामायिक में नहीं लगा । क्योंकि वह कण्डा अन्यायोपार्जित था । अन्यायोपार्जित वस्तु ये उसके द्वारा बनाया गया भोजन जब पेट में हो, तब चित्त रिक्त कैसे रह सकता है । अब तुम पड़ोसिन को एक के पदले दो कण्डे पापस करो, उसमें क्षमा माँगो और इस पाप का प्रायश्चित्त करो । आविका ने ऐसा ही किया । यह कथानक या घटना ऐसी ही नहीं हो या रूपक मात्र हो इसका मतलब तो यह है कि जो दुष्कृति

सामायिक करना चाहता है, उसको अपना खान-पान और रहन-सहन भी शुद्ध रखना चाहिए और जश भी सामायिक में चित्त न लगे, अपने खान-पान और रहन-सहन की आलोचना करके अशुद्धि मिटानी चाहिए। जिस व्यक्ति का जैसा आहार-विहार है, उसका चित्त भी वैसा ही रहेगा। यदि आहार-विहार शुद्ध है, तो चित्त स्थिर रहेगा, लेकिन यदि शुद्ध नहीं है, तो उस दशा में सामायिक में चित्त स्थिर कैसे रह सकता है !

सामायिक में ऐठे हुए व्यक्ति को शान्त और गम्भीर भी रहना चाहिए। साथ ही सब के प्रति समभाव रखना चाहिए, चाहे किसी के द्वारा अपनी कैसी भी हानि क्यों न हुई हो या क्यों न हो रही हो। सामायिक में बैठा हुआ श्रावक इस पंचम आरे में भी किस प्रकार समभाव रखता है तथा भौतिक पदार्थ की हानि से अपना चित्त अस्थिर नहीं होने देता है, यह बताने के लिए एक घटना का वर्णन किया जाता है, जो सुनो हुई है।

दिली में एक जौहरी श्रावक सामायिक करने के लिए बैठा। सामायिक में बैठते समय उसने अपने गले में पहना हुआ मूल्यवान कण्ठा उतार कर अपने कपड़ों के साथ रख दिया। बहीं पर एक दूसरा श्रावक भी उपस्थित था। उस दूसरे श्रावक ने जौहरी श्रावक को कण्ठा निकाल कर रखते देखा था। जब वह जौहरी

आवक सामायिक में था तब उस दूसरे आवक ने, जीहरी के कपड़ों में से वह कण्ठा निकाला और जीहरी को कण्ठा बताइ उससे कहा कि मैं यह कण्ठा ले जाता हूँ। यह कहकर वह दूसरे आवक, कण्ठा लेकर कलकत्ता के लिए चल दिया। यद्यपि वह कण्ठा मूल्यवान था और जीहरी आवक के देखते हुए अस्ति जीहरी आवक को यता फर वह दूसरा आवक कण्ठा ले जा रहा था, फिर भी जीहरी आवक सामायिक से विचलित नहीं हुआ। यदि वह चाहता तो उस दूसरे आवक को कण्ठा ले जाने से रोड सकता था, अथवा हो-हङ्गा करके उसको पफङ्गवा सकता था, लेकिन यदि वह ऐसा करता तो उसकी सामायिक भी दूषित होती और सामायिक लेते समय उसने जो प्रश्याल्यान किया था, वह भी टूटता। जीहरी आवक दद निश्चयी था, इसलिये कण्ठा जाने पर भी वह सामायिक में समझाय प्राप्त करता रहा।

सामायिक करके जीहरी आवक अपने घर आया। उस समय भी उसको कण्ठा जाने का खेद नहीं था। उसके घर बालों ने उसके गले में कण्ठा न देखकर, उससे कण्ठे के लिए पूछा भी कि कण्ठा कहाँ गया, लेकिन उसने घर बालों को भी कप्टे का पता नहीं यताया। उनसे यह भी नहीं कहा, कि मैं सामायिक में ऐसा हुआ था उस समय अमुक व्यक्ति कण्ठा ले गया, किन्तु वही कहा कि कण्ठा सुरक्षित है।

वह दूसरा श्रावक कण्ठा लेकर कलकत्ता गया। वहाँ उसने वह कण्ठा बन्धक (गिरवी) रख दिया, और प्राप्त रूपयों से व्यापार किया। योगायोग से, उस श्रावक को व्यापार से अच्छा लाभ हुआ। श्रावक ने सोचा, कि अब मेरा काम चल गया है, इसलिए अब कण्ठा जिसका है उसे वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार सोचकर वह कण्ठा छुड़ाकर दिल्ली आया। उसने अनुनय, विनय और क्षमा प्रार्थना करके, वह कण्ठा जौहरी श्रावक को दिया तथा उससे कण्ठा गिरवी रखने एवं व्यापार करने का हाल कहा। उस समय घरवालों एवं अन्य लोगों को कण्ठा-सम्बन्धी सब बात मालूम हुई।

मतलब यह कि कोई कैसी भी क्षति करे, सामायिक में बैठे हुए व्यक्ति को स्थिर-चित्त होकर रहना चाहिए, समझाव रखना चाहिए, उस हानि करनेवाले पर क्रोध न करना चाहिए, न यद्दा लेने की भावना ही होनी चाहिए।

श्री उपासक दशाङ्ग सूत्र के छठे अध्ययन में, कुण्डकोलिक श्रावक का वर्णन है। उसमें कहा गया है, कि कुण्डकोलिक श्रावक अपनी अशोक बाटिका में अपना उत्तरीय यस्ता और अपनी नामाङ्कित मुद्रिका उत्तार कर धर्म चिन्तवन कर रहा था। उस समय वहाँ एक देव आया। कुण्डकोलिक को विचलित करने के लिए, वह देव, कुण्डकोलिक का अलग रखा हुआ मुद्रिका सहित बछ उठाऊँ

आकाश में ले गया और आकाश-स्थित होकर उस देव ने कुण्डकोलिङ्ग से सैद्धान्तिक प्रभोत्तर किये। यानी भगवान् महावीर के पुरुषार्थी और गोशालक के होनहारवाद के सम्बन्ध में कुण्डकोलिङ्ग से भातचीत की। कुण्डकोलिङ्ग ने देव द्वारा किये गये प्रभों का उत्तर देकर देव को निरुत्तर करने का प्रयत्न तो अवश्य किया, लेकिन अपना उत्तरीय यस्ता या अपनी मुट्रिका प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की।

कुण्डकोलिङ्ग श्रावक, उस समय सामायिक में नहीं था। फिर भी उसने इस प्रकार धैर्य और दृढ़ता रखी, तो सामायिक करनेवाले में कैसा धैर्य और कैसी दृढ़ता होनी चाहिए, यह उत्तर इस आदर्श से सीखने की आवश्यकता है।

'आदर्श' सामायिक उसी की हो सकती है, जिसका वित्त सामायिक में स्थिर और भारमभाव में छोन हो। निश्चयनय वाली ने ऐसी सामायिक को ही सामायिक माना है, जो मन, वचन, काय को एकाताप्रपूर्वक की जावे। इसके विरुद्ध जिस सामायिक में चित्त दूसरी जगह रहता है, भारमभाव में छोन नहीं होता, वह सामायिक निश्चयनय से सामायिक हो नहीं है। इसके लिए एक कथा भी प्रसिद्ध है, जो इस प्रकार है:—

एक श्रावक सामायिक लेकर बैठा था। उसी समय एक आदमी ने उसके यहाँ आकर उसको पुत्र-नवघू से पूछा कि तुम्हारे

संसुर कहाँ हैं ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि संसुरजो इस समय बाजार में पंसारी के यहाँ सोंठ लेने गये हैं । वह आदमी श्रावक की पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, बाजार में जा श्रावक की सोंठ करने लगा, परन्तु उसे श्रावक का पता न मिला । वह फिर श्रावक के घर आया और उसने श्रावक की पुत्र-वधू से कहा, कि सेठजी बाजार में तो नहीं मिले, वे कहाँ गये हैं ? श्रावक की पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे मोची बाजार में जूता पहनने गये हैं । वह आदमी फिर श्रावक की सोंठ में गया, परन्तु श्रावक वहाँ भी नहीं मिला, इसलिए लौटकर उसने फिर श्रावक की पुत्र-वधू से कहा कि वे तो मोची बाजार में भी नहीं मिले ! मुझे उनसे एक आवश्यक कार्य है इसलिए ठीक धता दो कि वे कहाँ गये हैं । पुत्र-वधू ने उत्तर दिया कि अब वे सामायिक में हैं ।

वह आदमी बैठ गया । श्रावक की सामायिक समाप्त हुई । सामायिक पालकर उसने उस आदमी से बातचीत की और फिर अपनी पुत्र-वधू से कहने लगा, कि तुम जानती थी कि मैं सामायिक में बैठा हुआ था, फिर भी तुमने उस आदमी को सज्जी बात न बताकर व्यर्थ के चक्कर क्यों दिये ! संसुर के इस कथन के उत्तर में वह ने नम्रता-पूर्वक कहा कि मैंने जैसा देखा, उस आदमी से जैसा ही कहा । आप शरीर से तो सामायिक में बैठे थे, लेकिन आपका चित्त पंसारी और मोची के यहाँ गया था या नहीं ?

पुत्र-वधू का उत्तर सुनकर, उस आवक ने अपनी भूळ स्वीकार की और भविष्य में सावधान रहकर सामायिक करने की प्रतिज्ञा की।

यह कथा कल्पित है या वास्तविक है यह नहीं कहा जा सकता। इसके द्वारा धताना यह है कि निश्चयनय वाले द्रव्य सामायिक को सामायिक नहीं मानते, किन्तु उसी सामायिक को सामायिक मानते हैं जो मन, धर्म, काय को एकाप रख कर उपयोग सहित की जाती है और जिसमें आरम-भाव में तछीनता होती है। ऐसी सामायिक से ही आरम-कल्याण भी होता है और ऐसी सामायिक का ही लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। यानी धर्म और सामायिक के प्रति लोगों के दृष्ट्य में अद्वा होती है।



## सामायिक व्रत के अतिचार

---

व्रत की आराधना शुद्ध हो इसके लिए व्रत के अतिचारों को जानना आवश्यक है। क्योंकि जब तक व्रत को दूषित करने वाले कारण नहीं जान लिये जाते, तब तक उन कारणों से बचकर व्रत को शुद्ध नहीं रखा जा सकता। इसीलिए शास्त्रकारों ने आगमों में सामायिक व्रत के दोषों का भी स्वरूप बता दिया है, जिससे उन दोषों को समझा जा सके और उनसे बचा जा सके।

व्रत चार प्रकार से दूषित होते हैं, अतिक्रम से, व्यतिक्रम से, अतिचार से और अनाचार से। इन चारों का रूप घटाने के लिए एक कवि ने कहा है:—

मन की विमलता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा ।

शीलचर्या के विलंघन को व्यतिक्रम है कहा ॥

हे नाथ! विषयों में लिपटने को कहा अतिचार है ।

आसक्त अतिशय विषय में रहना महानाचार है ॥

**अर्थात्**—मन की निर्मलता नष्ट होकर मन में अकृत्य-कार्य इसे का संकल्प करना, अतिक्रम कहलाता है । ऐसा संकल्प कार्य स्वरूप में परिणत करने और व्रत नियम का उल्हङ्करण करने के लिए उद्धत होना उपर्युक्त कार्य का प्रारम्भ कर देना, व्यतिक्रम है । इससे आगे यद्यपि विषयों को और आकर्षित होकर व्रत नियम भंग करने के लिए सामर्प्य जुटाना यानी तैयारी करना अतिचार है और व्रत नियम भंग कर छाड़ने अनाचार है ।

इन चारों में से अनाचार दोष से तो व्रत सर्वथा भग्न है जाता है, लेकिन शेष तीन दोषों से व्रत आंशिक भंग होता है अर्थात् प्रथम के तीन दोषों से व्रत मलीन होता है । इसलिए इन दोषों से बचने पर ही व्रत का पूर्णतया पालन हो सकता है ।

जिन तीन दोषों से व्रत में मलीनता आती है, उनमें सब उपर्युक्त दोष अतिचार है । इसलिए अतिचार का रूप व्रत दिया जाता है और वह इसलिए कि इस दोष से न बचने पर व्रत मलीन हो जावेगा और इस दोष से आगे यढ़ने पर व्रत न हो जावेगा ।

सामायिक व्रत के पौर्ण अतिचार हैं, जो इस प्रकार हैं, मुद्दुप्रणिधान, बचन मुद्दुप्रणिधान, काय मुद्दुप्रणिधान, सामायि-

मति-भ्रंशा और सामायिकानवस्थित। इन अतिचारोंकी घोड़े में व्याख्या की जाती है।

( १ ) मन का सामायिक के भावों से बाहर प्रवृत्ति करना, मन को सांसारिक प्रपञ्चों में दौड़ाना और अनेक प्रकार के सांसारिक कार्य विपद्धक संकल्प-विकल्प करना, मनः दुष्प्रणिधान नाम का अतिचार है।

( २ ) सामायिक के समय विवेक रहित कड़, निष्ठुर व असम्भव बोलना, निरर्थक या सावध वचन कहना, वचन-दुष्प्रणिधान है।

( ३ ) सामायिक में शारीरिक घपलता दिखलाना, शरीर से कुचेष्टा करना, विना कारण शरीर को फैलाना, सिकोड़ना या असावधानी से चलना, काय दुष्प्रणिधान है।

( ४ ) मैंने सामायिक की है, इस बात को भूल जाना या कितनी सामायिक प्रहृण की है यह विस्मृत कर देना, अथवा सामायिक करना ही भूल जाना, सामायिक मति-भ्रंशा है।

( ५ ) सामायिक से ऊर्धना, सामायिक का समय पूरा हुआ या नहीं, इस बात का बार-बार विचार लाना या सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले ही सामायिक समाप्त कर देना, सामायिकानवस्थित है। यदि सामायिक का समय पूर्ण होने से पहिले, जान बूझ कर सामायिक समाप्त की जाती है, तब तो

अनाचार है, लेकिन 'सामायिक का समय पूर्ण हो गया होगा' ऐसा विचार फर समय पूर्ण होने से पहिले ही सामायिक समाज कर दे, तो अतिचार है।

इन पाँचों अतिचारों को जानकर इनसे वधने पर ही सामायिक व्रत का पूरी तरह पाठ्य हो सकता है।





# देशावकाशिक ब्रत





## देशावकाशिक व्रत

**श्रावक** के बारह व्रतों में से दसवाँ और शिक्षा व्रतों में से दूसरा व्रत देशावकाशिक है। श्रावक, अहिंसादि पाँच अणुव्रत को प्रशस्त बनाने और उनमें गुण उत्पन्न करने के लिए दिक्‌परिमाण तथा उपभोग-परिभोग परिमाण नाम के जो व्रत स्वीकार करता है, उनमें वह अपनी आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार जो मर्यादा रखता है, वह जीवन भर के लिये होती है। यानि दिक्‌व्रत और उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत जीवन भर के लिये स्वाकार किये जाते हैं और इसलिए इन व्रतों को स्वीकार करते समय जो मर्यादा (छूट) रखती जाती है वह भी जीवन भर के लिये होती है। लेकिन श्रावक ने व्रत लेते समय जो मर्यादा रखती है, यानि आवागमन के लिए जो क्षेत्र रखता है,

तथा भोग्योपभोग के लिए जो पदार्थ रखे हैं, उन सब का उपयोग वह प्रति दिन नहीं करता है। इसलिए एक दिन रात के लिए इस मर्यादा को भी घटा देना, आवागमन के क्षेत्र और भोग्योपभोग पदार्थ की मर्यादा को कम कर देना ही देशावकाशिक प्रत है। स्थानाङ्ग सूत्र के चतुर्थ स्थान के तीसरे उद्देशो में टीकाकार इस प्रत की व्याख्या करते हुए लिखते हैं :—

देशे दिग्ब्रत अहितस्य दिक्षपरिमाणस्य विभागोऽवर्णा  
शोऽवस्थानमवतारो विपयोतस्य तद्देशावकाशं तदेव देशा-  
वकाशिकम् दिग्ब्रत अहितस्य दिक् परिमाणस्य प्रतिविन  
संक्षेप करण लक्षणे वा ।

धर्थात्—दिक् प्रत धारण करने में जो अवकाश रखा है, उसको प्रति दिन संबोध करने का नाम देशावकाशिक प्रत है।

इस पर से यह प्रश्न होता है कि उक्त टीका में तो दिक् परिमाण प्रत में रखी गई मर्यादा घटाने को ही देशावकाशिक प्रत कहा गया है। उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थ की मर्यादा घटाने का विधान इस जगह नहीं है। फिर दिक् प्रत और उपभोग-परिभोग परिमाण प्रत, इन दोनों में रखी गई मर्यादा घटाने का विधान क्यों किया जाता है? इस प्रश्न का समाधान करने के लिए वृत्तिकार कहते हैं :—

दिग्ब्रत संक्षेप करणमणुवताऽऽदि संक्षेप करणस्याप्युप-  
लक्षणं दृष्टव्यं तेषामपि संक्षेपस्थावश्यं कर्तव्यत्वात् ।

अर्थात् - देशावकाशिक व्रत में दिक् व्रत की मर्यादा का संक्षेप करना सुख है, लेकिन उपलक्षण से अन्य अणुव्रतों को भी अवश्य संक्षेप करना चाहिये, ऐसा वृद्ध पुरुष प्रतिपादन करते आये हैं।

इस कथन से स्पष्ट है कि जिस व्रत में जो मर्यादा रखी गई है, उन सभी मर्यादाओं को घटाना, आवश्यकता से अधिक छूट रखी द्वारा मर्यादा को परिमित कर ढालना ही देशावकाशिक व्रत है। उदाहरण के लिए चौथे अणुव्रत में स्वदार विषयक जो मर्यादा रखी गई है, उसको भी घटाना। इसी प्रकार पाँचवें और सातवें व्रत में रखी गई मर्यादा भी घटाना। इस प्रकार व्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा रखी गई है, उस मर्यादा को घटा ढालना यही देशावकाशिक व्रत है।

अब यह बताया जाता है कि इस देशावकाशिक व्रत को स्वीकार करने का उद्देश्य क्या है।

विवेकी श्रावक की सदा यह भावना रहा करती है कि 'वे लोग धन्य हैं, जिन्होंने अनित्य, अशाश्वत एवं अनेक दुःख के स्थान रूप गृहवास को त्याग कर संयम ले लिया है। मैं ऐसा करने के लिए अभी सशक्त नहीं हूँ, इसी से गार्हस्थ्य जीवन विता रहा हूँ। फिर भी सुझ से जितना हो सके, मैं गृहवास में रहता हुआ भी त्याग-मार्ग को अपनाऊँ।' इस भावना के कारण श्रावक ने व्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा रखी है उस मर्यादा को भी वह

घटाता है, जो अवकाश रखा है उसे भी संक्षेप करता है और इसी के लिए व्रत को स्वीकार करता है।

आवक के लिए प्रति दिन चौदह नियम चिन्तन करने की जो प्रथा है, वह प्रथा इस देशावकाशिक व्रत का ही रूप है। उन चौदह नियमों का जो प्रति दिन विवेक पूर्वक चिन्तन करता है उन नियमों के अनुसार मर्यादा करता है तथा मर्यादा का पालन करता है, वह सद्गत ही महा लाभ प्राप्त कर लेता है। प्रन्थों में वे नियम इस प्रकार कहे गये हैं:—

सचित् दब्ब विगड्ह, पञ्ची ताम्बुल वत्थ कुसुमेषु।

वाहण सयण विलेवण, वम्भ दिशि नाहण भर्त्तेषु ॥

अर्थात्—१-सचित् वस्तु, २-दब्ब, ३-विगड्ह, ४-जूते, खड़ी, ५-पान, ६-वस्त्र, ७-पुष्प, ८-चाहन, ९-शयन, १०-विलेवण, ११-ग्रहाचर्य, १२-दिक्, १३-स्नान और १४-भोजन।

१ सचित्—पृथ्वी, पानी, घनस्पति, फल-फूल, सुपारी इलायची, बादाम, धान्य-बोज आदि सचित् वस्तुओं का यथाशक्ति त्याग अथवा यह परिमाण करे कि मैं इसने द्रव्य और इतने वज्र से अधिक उपयोग में न लेंगा।

२ द्रव्य—जो पदार्थ स्वाद के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार तैयार किये जाते हैं, उनके विपय में यह परिमाण करे कि आँ मैं इतने द्रव्य से अधिक द्रव्य उपयोग में न लेंगा। यह मर्यादा स्नान-पान विपयक द्रव्यों की जाती है।

३ विगय—शरीर में विकृति उत्पन्न करने वाले पदार्थों को विगय कहते हैं। दूध, दही, घृत, तेल और मिठाई ये पाँच सामान्य विगय हैं। इन पदार्थों का जितना भी त्याग किया जा सके, उतने का करे अथवा मर्यादा करे कि आज मैं अमुक-अमुक पदार्थ काम में न लँगा अथवा अमुक पदार्थ इतने बजन से अधिक शाम में न लँगा।

४ मधु और मक्खन ये दो विशेष विगय हैं। इनका निष्कारण उपयोग करने का त्याग करे और सकारण उपयोग की मर्यादा करे।

मध एवं मांस ये दो महा विगय हैं। श्रावक को इन दोनों नि सर्वथा त्याग करना चाहिये।

५ पन्नी—पाँव की रक्षा के लिए जो चीजें पहनी जाती, जैसे—जूते, मोजे, खड़ाऊ, बूट आदि इनकी मर्यादा करे।

६ ताम्बुल—जो वस्तु भोजनोपरान्त मुख शुद्धि के लिए ही जाती है, उनकी गणना ताम्बुल में है। जैसे—पान, सुपारी, ग्रयची, चूरन आदि, इनके विषय में भी मर्यादा करे।

७ वस्त्र—पहनने, ओढ़ने के कपड़ों के लिए यह मर्यादा कि अमुक जाति के इतने वस्त्र से अधिक वस्त्र काम में लँगो।

८ कुसुम—सुगन्धित पदार्थ, जैसे—फूल, छन्द, तेल व अधारिक आदि के विषय में भी मर्यादा करे।

८. वाहन—हाथी, घोड़ा, डैंट, गोदी, तींगा, भोटर, रेड, नाव, जहाज आदि सवारी के साधनों के, जाहे वे साधन स्थल के हों अथवा जल या आकाश के हों, यह मर्यादा करे कि मैं अमुक अमुक वाहन के सिवाय आज और कोई वाहन काम में न लैंगा।

९. शयन—शैथा, पाट, पाटला, पलंग, बिस्तर आदि विषय में मर्यादा करे।

१०. विक्षेपन—शरीर पर लेपन किये जाने वाले जैसे—केसर, चन्दन, तेल, साबुन, अञ्जन, मञ्जन आदि के सभी में प्रकार एवं भार की मर्यादा करे।

११. ब्रह्मचर्य—स्थूल प्रह्लाद्यर्थ यानी स्वदार्दन-सन्तोष, परम विरमण व्रत स्वीकार करते समय जो मर्यादा रखी है, उसका यथा शक्ति संकोच करे, पुरुष पंत्री संसर्ग के विषय में और पति संसर्ग के विषय में त्याग अथवा मर्यादा करे।

१२. दिशि—दिक्-परिमाण व्रत स्वीकार करते सा आवागमन के लिए मर्यादा में जो क्षेत्र जीवन भर के लिए इस उस क्षेत्र का भी संकोच करे तथा यह मर्यादा करे कि आज इतनी दूर से अधिक दूर ऊर्ध्व, अद्य या तिर्यक् दिशा में गम गमन न करूँगा।

१३. स्नान—देश या सर्व स्नान के लिए भी मर्यादा कि आज इससे अधिक न करूँगा। शरीर के कुछ भाग को देश स्नान है और सब भाग को घोना सर्व स्नान कहा जाता।

१४ भक्ते—भोजन, पानी के सम्बन्ध में भी मर्यादा करे कि मैं आज इतने प्रमाण से अधिक न खाऊँगा न पीऊँगा ।

ये चौदह नियम देशावकाशिक व्रत के ही अन्तर्गत हैं। इन नियमों से व्रत विधयक जो मर्यादा रखी गई है उसका संकोच होता है और आवकपना भी सुशोभित होता है ।

कई लोग इन चौदह नियमों के साथ असि, मसि और कृषि इन तीन को और मिलाते हैं। ये तीनों कार्य आजीविका के लिए किये जाते हैं। आजीविका के लिए जो कार्य किये जाते हैं, उनमें से पन्द्रह कर्मादान का तो आवक को स्थान होता है। शेष जो कार्य रहते हैं, उनके विषय में भी प्रतिदिन मर्यादा करे ।

१ असि—शब्द, औजारादि के द्वारा परिश्रम करके अपनी जीविका की जाय, उसे 'असि' कर्म कहा जाता है ।

२ मसि—कलंम, दबात, कांगज के द्वारा लेख या गणित कला का संयोग किया जाय, उसे 'मसि' कर्म कहा जाता है ।

३ कृषि—खेती के द्वारा या उन पदार्थों का क्रय-विक्रय करके आजीविका की जाय उसको 'कृषि' कर्म कहा जाता है ।

उपरोक्त तीनों विषय में आवकोशित कार्य को मर्यादा रख कर शेष के स्थान करे ।



दया या छः काय ब्रत स्वीकार करने के लिए किये जाने वाले प्रस्त्याख्यान, जितने करण और योग से चाहें, उतने करण व योग से कर सकते हैं। कोई दो करण तीन योग से पाँच आख्यव द्वारा सेवन करने का स्थाग करते हैं। यानी यह प्रतिष्ठान करते हैं वि मैं मन, वचन और काय से पाँच आख्यव द्वारों का सेवन न करुँगा न दूसरे से कराऊँगा। इस तरह की प्रतिष्ठान करने वाला व्यक्ति प्रतिष्ठान करने के पश्चात् जितने समय तक के लिए प्रतिष्ठान लो। उतने समय तक न सो स्वर्य ही व्यापार, कृषि या दूसरे आरम्भ समारम्भ के कार्य कर सकता है, न अन्य से कह कर करवा है सकता है। लेकिन इस तरह की प्रतिष्ठान करने वाले के लिए जो वस्तु बनी है, उस वस्तु का उपयोग करने से प्रतिष्ठान नहीं दूर्घट है। इस ब्रत को एक करण तीन योग से भी स्वीकारा जा सकता है। जो व्यक्ति एक करण तीन योग से यह ब्रत स्वीकार करता है और आख्यव द्वार के सेवन का स्थाग करता है, वह स्वर्य तो आरम्भ, समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता, लेकिन यदि दूसरे से

दया मत करे, उसकी निन्दा करना अनुचित है। इसी प्रकार दया मत करने वाले लोग भी यदि रसनेन्द्रिय पर संयम रखें, तो किसी भी इस मत की निन्दा करने का अवसर इसी न मिले और यह मत आदर्श माना जावे।

इह कर आरम्भ, समारम्भ के काम कराता है, तो ऐसा करने से उसका त्याग भी नहीं होता। क्योंकि उसने दूसरे के द्वारा आरम्भ, समारम्भ कराने का त्याग नहीं किया है।

इसी तरह इस व्रत को स्वीकार करने के लिए जो प्रत्याख्यान किये जाते हैं, वे एक करण और एक योग से भी हो सकते हैं। ऐसे प्रत्याख्यान करने वाला व्यक्ति, केवल शरीर से ही आरम्भ, समारम्भ के कार्य नहीं कर सकता। मन और वचन के सम्बन्ध में तो उसने त्याग ही नहीं किया है न कराने या अनुमोदन का ही त्याग किया है। ये त्याग बहुत ही अल्प हैं, इनमें आश्रवों का बहुत कम अंश त्याग जाता है और अधिकांश प्रत्याख्यान नहीं होते।

कई लोगों को यह भी पता नहीं होता कि हमने किस प्रकार के त्याग द्वारा दया या छः काया व्रत स्वीकार किया है। ऐसे लोग इस व्रत के लिए किये जाने वाले प्रत्याख्यान के भेदों को नहीं जानते और ऐसे लोगों को त्याग कराने वाले नीचों श्रेणी का ही त्याग करते हैं। ऐसा होते हुए भी, ऐसे लोगों की वृत्ति की उड़ना मुनियों की वृत्ति से की जाती है, जो असंगत है। यदि इस सम्बन्ध में विवेक से काम लिया जावे, तो किसी को इस व्रत के विषय में कोई आळेप करने का अवसर न मिले।

ऐसा व्रत भी एक प्रकार का पौष्टि व्रत ही है। पौष्टि उसे

कहते हैं, जिसके द्वारा धर्म का पोषण किया जावे। पौष्टि की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि—

पोषं-पुष्टिं प्रकमाद् धर्मस्य धन्ते करोतीतिपौषधः ।

अथवा

पोसे इ कुशल धर्मे, जंता हंतादि चागऽणुद्वाणं ।

इह पोसहो स्तिमणति, विहिणा जिण भासिंणेय ॥

अर्थात्—प्राणातिशात् विरमण आदि के शुभ आचरणों द्वारा धर्म पौषण देना, पौष्टि है।

पूर्वकाल में इस तरह के पौष्टि होने का प्रमाण श्री भगवान् सूत्र के १२ वें शतक के प्रथम उद्देशो में शंखजी और पोखड़ी श्रावक के अधिकार में पाया जाता है, जिनने आहार करके पूर्व पौष्टि किया था। इस पौष्टि को करने के लिए, पाँच आस द्वार के सेवन का त्याग करके सामायिकादि में समय डाल चाहिए। यह ग्रन्थ स्वीकार करने वाले श्रावक को, ग्रन्थ के द्विंदिस प्रकार की चर्या रखनी चाहिए, यह संक्षेप में बताया जाता है।

श्रावक को जिस दिन पौष्टि ( दयाया छः कार्या ) करना है, उस दिन समस्त सावध व्यापार त्याग कर, पौष्टि करने योग्य धर्मोपकरण लेकर पौष्टिशाळा अवधा जहाँ साधु महारमा विराजते

हों † उस स्थान पर उपस्थित होना चाहिए। पश्चात् साधुजी महाराज को बन्दन-नमन करके, अपने शरीर और चब्बों का प्रतिलेखन करे, तथा उच्चार प्रस्तवण आदि परठने योग्य चीजों को परठने की भूमि का परिमार्जन करे। फिर ईर्या पथिकी किया के पाठ से, उस किया से निष्टृत होकर गुरु महाराज या घड़े श्रावक और जब अकेला ही हो तब स्वतः गुरु महाराज की आशा लेकर पौष्ट्र व्रत (दया या छः काया) स्वीकार करे, तथा सामायिक व्रत लेकर स्वाध्याय, ज्ञान, ध्यान आदि से धर्म का पुष्ट अवलम्बन ग्रहण करे। ऐसा कोई कार्य न करे कि जिससे व्रत में बाधा पहुँचे। यदि स्वाध्याय करने की योग्यता न हो, तो नमस्कार मन्त्र का जाप करे और गुरु महाराज उपदेश सुनाते हों, तो उपदेश श्रवण करे। पश्चात् सामायिकादि पाल कर आहार करने के लिए जावे। आहार करने के लिए जाने के समय, पौष्ट्रशाला से निकलते हुए 'आवस्सही आवस्सही' कहे और मार्ग में यत्रापूर्वक ईर्या शोधन करता हुआ चले। भोजन करने के स्थान पर पहुँच कर, ईर्यापथिक कायोर्सर्ग करे। फिर भोजन करने के पात्र का प्रतिलेखन करके आहार करने बैठे। उस समय यदि भावना करे कि 'मुझे आहार तो करना

<sup>†</sup> धायिका को अपनी पौष्ट्रशाला या महासतियों के स्थान में उपस्थित होना चाहिये।

ही पड़ेगा, लेकिन आहार करके कोई विशेष गुण निपत्ताहै। वे पुरुष धन्य हैं, जो आहार त्याग कर अथवा आयम्बिल करके निवी करके पीपथ करते हैं। मुक्ति में ऐसी क्षमता नहीं है, इस से मैं इस प्रकार का आहार करता हूँ।' इस प्रकार त्यागदृष्टि वाले लोगों की प्रशंसा करता हुआ आहार करे, जो नीचे वर्ता गई विधि से हो।

असुर सुरं अद चव चवं, अद्दुअ मविलं वियं अपरिसादिं  
भण वय काय गुच्छो, भुंजइ साहुब्व उवउत्तो ॥

अर्थात्—भोजन करते समय सुडसुदाट न करे न घपचपाट औ इसी तरह न यहुत जल्दी भोजन करे, न बहुत धीरे। भोज्य पद नीचे न गिरने दे, किन्तु मन, वचन, काय को गोप कर साड़ी की तर उपयोग सहित आहार करे।

इस विधि से भोजन करे और वह भी परिमित। इस छिए कहा है कि 'जाया माया ए मुखा।' यानि जिससे जितने आहार से जीवन यात्रा निभ सके, क्षुधा मिट आ आळस्य न हो, प्रकृति सात्त्विक और शरीर स्वस्थ रहे, वैसा उतना ही परिमित आहार करे।

आहार करके, प्रासुक जळ से तुपा मिटावे और हाथ, स्वच्छ करे। फिर नमस्कार मन्त्र का उचारण करके उठे, तिविहार या चौविहार का प्रत्याख्यान करके जिस स्थान

पौष्ठ किया है, उसी स्थान पर उपस्थित होकर सामायिकादि धर्म गार्य में लग जावे ।

आहार करने पर निहार भी करना अनिवार्य होता है । इसलिए पौष्ठ में निहार-उभार प्रस्तुवण आदि परठने की आवश्यकता हो, तब 'आवस्सही आवस्सही' कह कर साधु की गरह ईर्या शोधता हुआ और यदि रात हो तो पूँजता हुआ घंटिल भूमि पर जावे । वहाँ भूमि का परिमार्जन या प्रतिलेखन घरके, शकेन्द्र महाराज की आङ्ग भूमि कर परठे । परठने के अशात् प्राप्तुक जलादि से शुद्धि करके, तीन बार 'वोसिरे वोसिरे' कहे और फिर अपने स्थान पर आकर 'निस्सही निस्सही' कह कर तथा ईर्यावहि का कायोत्सर्ग कर ज्ञान, व्यान में तल्लीन रो जावे ।

पौष्ठ के दिन, दिन के विश्वले प्रहर में पहनने तथा छोड़ने, बेढ़ाने के बख और मुखवस्त्रिका रजोहरण आदि का प्रतिलेखन करके, रात में शयन करने के लिए संथारा जमा ले । दिवस की अर्पणा पर देवसी प्रतिक्रमण करके परमात्मा का गुणानुवाद तथा वाच्याय, ज्ञान, व्यान आदि करे । जब एक प्रहर रात व्यतीत हो जावे, उसके बाद परमात्मा का स्मरण करता हुआ रजोहरण से अपना शरीर एवं संथारा का ऊपरी भाग पूँजे और निन्द्रा का

<sup>८</sup> यह विशेष उच्चार (पढ़ी नीत) के हिस्से है ।

प्रमाद मिटा ले । फिर रात के पिछले पहर में जागृत होकर निश्चिन्ने के समय देखे गये कुस्वप्न और दुःखप्न के लिए काषेस्त्र फरके, स्वाध्याय या परमात्मा के भजन में मन हो जावे । देखि उस समय इस तरह न थोड़े, जिससे दूसरे की निश्चिन्न भग्न हो जावे । फिर समय होने पर रायसी प्रतिक्रमण करके सूर्योदय से जाने पर थोड़ने, बिछाते तथा पहनने के घट्ठ एवं मुख्यविशिष्ट रजोहरण आदि का प्रतिलेखन करके यह जाने कि सोते समय मेरी असावधानी से किसी जीव की विराधना तो नहीं हुई है । पश्चात् पौष्पध (दया या छः काया) का प्रत्याख्यान पाले ।

यह पौच अणुब्रतों के पालन और पौच आस्वद्वारके सेवन का त्याग करने रूप पूर्ण दिन रात के देशावकाशिक व्रत की तरह हुई । अब योद्दे समय के लिए पौच आस्वद्व के सेवन का त्याग करने रूप देशावकाशिक व्रत का स्वरूप बताया जाता है । इस प्रकार के देशावकाशिक व्रत को आधुनिक समय में 'संवर' कहा जाता है । योद्दे समय के देशावकाशिक व्रत यानि संवर के विषय कहा गया है कि—

दिग्ब्रतं यावज्जीव, संवत्सर चातुर्मासी परिमाण या देशावकाशिक तु, दिवसे प्रहर मुहूर्तादि परिमाण । अर्थात्—दिक्मत जीवन, भर, वर्ष भर या चार मास के द्वयीकारा जाता है, इसी तरह देशावकाशिक घृत दिन, प्रहर या मुहूर्त आदि के लिए भी किया जाता है ।

‘‘इससे स्पष्ट है’’ कि जो देशावकाशिक ब्रत दिन भर यानी चार या आठ पहर के लिए स्वीकारा जाता है, उसको पौष्टि कहते हैं और जो प्रहर, मुहूर्त आदि थोड़े समय के लिए स्वीकारा जाता है, उसे संवर कहते हैं।

थोड़े समय का देशावकाशिक ब्रत यानि संवर, जितने भी थोड़े समय के लिए स्वीकार करना चाहे, कर सकता है। पूर्वाचार्यों ने सामायिक ब्रत का काल कम से कम ४८ मिनिट के एक मुहूर्त का नियत किया है। इससे कम समय के लिए यदि पौच्छ धार्मक त्याग करना है, तो उस त्याग की गणना संवर नाम के देशावकाशिक ब्रत में ही होगी। जब अवकाशाभाव अथवा अन्य कारणों से विधिपूर्वक सामायिक करने का अवसर न हो, तब इच्छानुसार समय के लिए आस्तव से निवृत्त होने के बास्ते संवर किया जा सकता है।

वर्तमान समय में देशावकाशिक ब्रत चौविहार उपवास न करके कई लोग प्रासुक पानी का उपयोग करते हैं और इस प्रकार से किये गये देशावकाशिक ब्रत को भी पौष्टि कहते हैं। परन्तु बास्तव में इस तरह का पौष्टि, देशावकाशिक ब्रत ही है। पौष्टि ग्यारहवें ब्रत में होता है, वैसें ही दशवें ब्रत में भी हो सकता है। ग्यारहवें ब्रत का पौष्टि तब होता है, जब चारों प्रकार के आहार का पूर्णतया त्याग कर दिया जाते और चारों प्रकार के पौष्टि को

पूरी तरह अपनाया जावे । जो इस तरह नहीं किया जाता है किन्तु सामान्य रूप में किया जाता है, उसकी गणना दरावें व्रत के पौष्ठ यानी देशावकाशिक व्रत में है । इसके अनुसार वप करके पानी का उपयोग करने अथवा शरीर में छगाने, मछने रूप तेज़ का उपयोग करने पर भी उपवास में दरावें व्रत का ही पौष्ठ हो सकता है, न्यारहवें व्रत का पौष्ठ नहीं हो सकता ।

तात्पर्य यह है कि इस प्रकार पौष्ठ के अनेक भेद हैं । जिसमें चारों आहार का पूर्णतया स्थान और चारों प्रकार के पौष्ठ का पालन किया जाता है, वही पौष्ठ न्यारहवें व्रत का पौष्ठ है । शेष पौष्ठ दरावें व्रत के पौष्ठ में ही हैं । दरावें व्रत का पौष्ठ तपपूर्वक भी किया जा सकता है और आहार करके भी । इसलिए यदि श्रावक चाहे और विवेक से काम ले तो वह प्रात्येक समय दरावें व्रत निपज्जा सकता है ।



## देशावकाशिक ब्रत के अतिचार

---

इस देशावकाशिक ब्रत की रक्षा के लिये हानी महा पुरुषों  
ने ब्रत को दूषित करने वाले कामों की गणना  
अतिचार में करके, उन कामों यानि अतिचारों से बचते रहने के  
लिए सावधान किया है। देशावकाशिक ब्रत के पाँच अतिचार हैं,  
जो इस प्रकार हैं—आनयन प्रयोग, प्रेष्यवण प्रयोग, घट्टानुपात,  
रूपानुपात, बाह्यपुद्गल प्रक्षेप। इन अतिचारों की व्याख्या नीचे  
की जाती है:—

१ आनयन प्रयोग—दिशाओं का संकोच करने के पश्चात्  
आवश्यकता उत्पन्न होने पर मर्यादित भूमि से बाहर रहे हुए  
सचित्तादि पदार्थ किसी को भेज कर मँगवाना अथवा किसी को

भेज कर मर्यादित क्षेत्र से घाहर के समाचार मँगवाना, आनंदन प्रयोग नाम का अतिचार है।

इस विषय में टीकाकार ने घहुत कुछ लिखा है। उनमें कथन है कि यदि श्रावक स्वयं काम करे तो वह विवेक से काम ले सकता है और चिकने कर्म का वन्धु टाल सकता है, लेकिन दूसरे के द्वारा काम कराने पर, श्रावक इस भाव से वंचित ही रहता है।

२ प्रेष्यवण प्रयोग—दिशाओं की मर्यादा का संश्लेषण करने के पश्चात् प्रयोजनवश मर्यादा से घाहर की भूमि में किंवदूसरे के द्वारा कोई पदार्थ या सन्देश भेजना प्रेष्यवण प्रयोग नाम का अतिचार है। अपना पाप टालने के उद्देश्य से दूसरों के उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने को आझा दे कि अमुकार्य तुम्हे करना ही पड़ेगा, यह भी प्रेष्यवण प्रयोग नाम का अतिचार है।

३ शब्दानुपात—मर्यादा के घाहर की भूमि से सम्बन्धित कार्य उत्पन्न होने पर मर्यादा की भूमि में रह कर ऐसा टिच्छा या खेलारा आदि शब्द करना कि जिससे दूसरे लोग शब्द कर चुले का आशय समझ सकें और उसके पास आजावें या कर सकें, शब्दानुपात नाम का अतिचार है।

४ रूपानुपात—मर्यादा में रखी हुई भूमि के घाहर कोई कार्य उत्पन्न होने पर इस तरह की शारीरिक वेष्टा करना।

जिससे दूसरा व्यक्ति आशय समझ जावे, यानि शारीरिक चेष्टा द्वारा संकेत करना, रूपानुपात नाम का अतिचार है।

**५. बाह्य पुद्गल प्रक्षेप**—मर्यादित भूमि के बाहर का कार्य उपस्थित होने पर ढेला, कंकर आदि चीजें मर्यादित भूमि के बाहर फेंक कर दूसरे को संकेत करना, बाह्य पुद्गल प्रक्षेप नाम का अतिचार है।

ऊपर बताये गये अतिचारों में से प्रारम्भ के दो अतिचार, अतिचार की कोटि में तभी तक हैं, जब तक अतिचार में बताये गये कार्य बिना उपयोग से यानि भूल से किये जावें। इस पर से यह प्रश्न होता है कि जब प्रारम्भ के दोनों अतिचार में बताये गये कार्य को करनेवाला व्यक्ति ब्रत की अपेक्षा रखता है और इसीलिए वह स्वयं न जाकर दूसरे को भेज रहा है, तब उसका गर्य भूल से हुआ कैसे कहा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह दशवाँ ब्रत दो करण तीन योग से होता है। इसलिए ब्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति मर्यादित भूमि के बाहर तो स्वयं ही जा सकता है, न किसी को भेज ही सकता है। इस होते हुए भी, अपने लिए मर्यादित भूमि से बाहर न जाने वा ध्यान तो रखना, लेकिन दूसरे को न भेजने का ध्यान न रखना, पौर भेज देना, अतिचार है। यदि दूसरे को न भेजने के नियम वा ध्यान होने पर भी इस नियम की उपेक्षा करके दूसरे को

मर्यादित भूमि से बाहर भेजा जावे तब तो अनाधार ही है। शेष तीन अतिचार, घ्रत की अपेक्षा रखते हुए भी माया कषट है किये जाते हैं, परन्तु घ्रत की अपेक्षा रखो जाती है, इसलिए अतिचार ही है, लेकिन प्रबल अतिचार है।

इन अतिचारों को समझ कर घ्रतधारी को इनसे बचते रहना चाहिए। इन अतिचारों से बचे रहने पर ही घ्रत का पूरी तरा पालन होता है।




३

## पौषधोपवास ब्रत





## पौषधोपवास ब्रत



**श्रा**वक के बारह ब्रतों में से न्यारहवाँ और श्रावक के चार शिक्षा ब्रतों में से तीसरा ब्रत पौषधोपवास ब्रत है। इस ब्रत को स्वोकार एवं पालन करने पर, आत्मा का उत्थान होता है, आत्मा परम शान्ति को प्राप्त करता है और आत्मा को समाधि प्राप्त होती है। पौषधोपवास ब्रत श्रावक के लिए कहे गये चार प्रकार के विश्राम-स्थल में से एक है।

श्री स्यानाङ्ग सूत्र में, भगवान् महावीर ने एक भारवाहक और उसके विश्राम-स्थल का उदाहरण देकर, उस उदाहरण को श्रावक पर घटाया है। उस उदाहरण में कहा गया है कि भारवाहक के लिए विश्राम के चार स्थल हैं। वे स्थल इस प्रकार हैं—

( १ ) भार को एक कन्धे पर से दूसरे कन्धे पर रखने के समय, जब ऐसा करने के लिए भार खिसकाया जाता है, तब कुछेक देर के लिए विश्वामित्रा है ।

( २ ) मल-मूत्र त्यागने को कुछ अधिक देर के लिए अंपने ऊपर से भार उतारा जाता है, तब विश्वामित्रा है ।

( ३ ) जब रात हो जाती है, तब किसी देवल, सराय आदि स्थान में रात भर के लिए भार उतारा जाता है, तब विश्वामित्रा है ।

( ४ ) जब चलते-चलते निर्दिष्ट स्थान पर पहुँच जाता है तब भार उतार देता है और विश्वामित्रा पाता है ।

भारवाहक की तरह गृहस्थ श्रावक भी जो गृह संसार से भार घटन कर रहा है, चार स्थल पर ही विश्वामित्रा पाता है । यानि चार स्थल पर ही वह गृह संसार के बोझ से हल्का होता है औ तब सर्वे विश्वामित्रा है । वे चार स्थल इस प्रकार हैं—

( १ ) 'मैं अणुद्रत, गुण व्रत आदि व्रत स्वीकार करे पौष्पघोपवास करता हुआ विधर्ण, ऐसा करना ही मेरे लिए कल्याण कर है' इस प्रकार की भावना करना, श्रावक के लिए उसी प्रकार का विश्वामित्र स्थल है, जिस प्रकार का विश्वामित्र स्थल भारवाहक लिए कन्धा बदलना होता है ।

( २ ) साध्य योग के रथाग और निर्धय योगों का स्वीकृ-

रूप सामायिक लेकर चित्त को समाधि भाव में प्रवर्त्तना, यह दूसरा विश्राम-स्थल है। अथवा देशावकाशिक व्रत स्वीकार करके अपने ऊपर के भार को कुछ समय के लिये कम करना, यह भी गृहस्थ श्रावक के लिए दूसरा विश्राम-स्थल है।

(३) अष्टमी, चतुर्दशी, पक्ष्यो आदि पर्व के दिन, रात्रि दिवस के लिए पौषधोपवास करना, तीसरा विश्राम-स्थल है।

(४) अन्त समय में समस्त सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर, संलेखणा, संथारा आदि करके शेय जोवन को समाधि प्राप्त करने में लगा देना, यह चौथा विश्राम-स्थल है।

इन चारों प्रकार के विश्राम-स्थल में से पौषधोपवास गृहस्थ श्रावक के लिए उसी प्रकार का तीसरा विश्राम-स्थल है, जैसा तीसरा विश्राम-स्थल भारवाहक के लिए रात्रि-निवास रूप बताया गया है। पौषधोपवास की व्याख्या करने के लिए शास्त्रकार लिखते हैं—

पौषधे उप वसनं पौषधोपवासः नियम  
विशेषाभिधानं चेदं पौषधोपवासः ।

**अर्थात्**—धर्म को पुष्ट करने वाले नियम विशेष धारण करके उपवास सहित पौषधशाला में रहना, पौषधोपवास व्रत है।

शास्त्रकारों ने पौषधोपवास के चार भेद कहे हैं। वे इहते हैं—

पोसहोववासे चउविहे पञ्चते तं जहा आहार पोसहे,  
शरीर पोसहे, चम्भचेर पोसहे, अव्यवहार पोसहे।

अर्थात्—पौपधोपवास घार प्रकार का होता है। आहार पौपध,  
शरीर पौपध, ब्रह्मचर्य पौपध और अव्यापार पौपध।

इन चारों पौपध की थोड़े में अलग अलग व्याख्या की जाती है।

१ आहार पौपध—आहार का, रुया करके धर्म के  
पोषण देना, आहार पौपध है।

प्रति-दिन आहार करने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के  
विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे धर्म कार्य में वाधा होती है।  
साथ ही आहार प्राप्त करने में, पकाने में और खाने, पचाने आदि  
में भी समय जाता है। उस समय को बचा कर धर्म का पोषण  
करने में लगाने और आहार करते रहने के कारण उत्पन्न विकारों  
को शमन करने के लिए उपवास पूर्वक धर्मानुष्ठान में लगाते ही  
नाम आहार रुया पौपध है। यह आहार रुया पौपध दो प्रकार  
का है, देश से और सर्व से। क्षुधा-बेदनी का परिपह नहीं जीव  
सके इसलिये क्षुधा-कुकरी को टुकड़ा फेंकने रूप शरीर को मार  
देने के लिये आयंविड़ करना, निवी करना। अथवा पकासन  
यियासना करके धर्म को पोषण देना। देश से आहार पौपध है  
और सम्पूर्ण दिन, रात्रि चौविहार उपवास करना सर्व से आहार  
रुया पौपध है।

२ शरीर पौष्प—स्नान, उष्टन, विलेपन, पुष्प, गन्ध,  
अलंकार, वस्त्र आदि से शरीर को अलंकृत करने का त्याग करके  
धर्मानुष्ठान में लगाना, शरीर पौष्प है।

शरीर पौष्प भी दो प्रकार का होता है। एक तो देश से  
और दूसरा सर्व से। शरीर-अलंकार के साधनों में से कुछ  
त्यागना और कुछ न त्यागना, देश से शरीर पौष्प है। जैसे  
प्राज मैं उष्टन न लगाऊँगा, तेल मर्दन न करूँगा या अमुक कार्य  
न करूँगा। इस प्रकार शरीर-अलंकार के कुछ साधनों का त्याग  
करना, देश से शरीर पौष्प है और दिन रात के लिये शरीर-अलंकार  
के सभी साधनों का सर्वथा त्याग करना, सर्व से शरीर पौष्प है।

३ ब्रह्मचर्य पौष्प—तीव्र मोह उदय के कारण वेद जन्म  
वेष्टा रूप मैथुन और मैथुनाङ्ग का त्याग करके आत्म-भाव में रमण  
करना और धर्म का पोषण करना, ब्रह्मचर्य पौष्प है।

ब्रह्मचर्य पौष्प के भी दो भेद हैं। एक देश से ब्रह्मचर्य  
पौष्प और दूसरा सर्व से ब्रह्मचर्य पौष्प। अपनी पत्नी के  
सम्बन्ध में कोई मर्यादा करना देश से ब्रह्मचर्य पौष्प है और  
मैथुन का सर्वथा त्याग करके धर्म का पोषण करना, सर्व से  
ब्रह्मचर्य पौष्प है।

४ अव्यापार पौष्प—आजीविकोपार्जन के लिए किये

जाने वाले कुपि, वाणिज्य आदि व्यापार का त्याग करके धर्म का पौष्टि करना, अव्यापार पौष्टि है।

अव्यापार पौष्टि के भी देश से और सर्व से योगद हैं। आजीविका के लिए किये जाने वाले कार्यों में से कुछ का त्याग करना देश से अव्यापार पौष्टि है और सब कार्यों का पूर्ण रूपेज अहोरात्रि के त्याग करना, सर्व से अव्यापार पौष्टि है।

इन चारों प्रकार के पौष्टि को देश या सर्व से करना ही पौष्टिओपवास ग्रत है। जो पौष्टिओपवास देश से किया जाता है वह स-सामाजिक किया जावे तम भी हो सकता है और यों भी हो सकता है। जैसे-फेवल उपवास, आर्यंदिल आदि करे अथवा शरीर सुश्रुपा के अमुक प्रकार के त्याग करे, ब्रह्माघर्य का कुपि निमय दे या किसी प्रकार के व्यापार के त्याग करे परन्तु पौष्टि की वृत्ति धारण न करे, इस प्रकार के पौष्टि ( त्याग ) दर्शवें ग्रत के अंतर्गत माने गये हैं। किन्तु ग्यारहवां ग्रत तो सम्पूर्ण चारों प्रकार के सर्व त्याग कर सामाजिक पूर्वक + पूर्ण विवस, रात्रि को करे, उसे ही

५ सामाजिक पौष्टि का मतलब वृत्ति सहित चारों प्रकार के पौष्टि करना है। सामाजिक में सावध योग का ग्रह्यात्म्यान होता है। इसी प्रकार स-सामाजिक पौष्टि में भी चारों पौष्टि स्वीकार करने के सभ सर्व सावध योग का त्याग होता है। इसीलिए कटा गया है कि ग्यारहवां ग्रत से सामाजिक ही हो सकता है। सामाजिक रहित पौर्व की गणना दर्शवें ग्रत में होती है।

( प्रति पूर्ण पौष्पध ) इस ब्रत को कोटि में सुमार किया जाता है जिसके त्याग इस प्रकार पाठ बोल कर किये जाते हैं ।

“यारहवां पद्मिपुण्ण पोसहवयं, सव्वं, असणं, पाणं, खाइमं  
साइमं पचखामि, अबम्भ, सेवणं, पचखामि; उमुक्कमणि, हिरण,  
मुवण्ण, माला, वण, विलेवणं पचखामि, सत्य, मुसलाई, सव्व, सावज्ज  
योगं पचखामि, जाव, अहोरत्तं, पञ्जुवासामि दुविहं, तिविहेणं, न  
करेमि न कारवेमि, मणसा, वयसा, कायसा तस्स भन्ते पद्मिकमामि,  
निन्दामि गरिहामि अत्पाणं वोसिरामि ”

इस पाठ द्वारा चारों प्रकार का आहार सव्य प्रकार की शरीर, सुअंग, अब्रहाचर्य और समस्त सावद्य व्यापार का पूर्ण अहोरात्रि के लिये त्याग किया जाता है, यहां तक कि प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने के बाद पौष्पध वृत्ति धारण करने में जितनी भी देरी हो जावे उतना ही समय दूसरे दिन सूर्योदय हो जाने के बाद पौष्पधवृत्ति में कायम रहे, उसे ही प्रतिपूर्ण पौष्पध माना जाता है । सम्पूर्ण आठ प्रहर से कम पौष्पध को प्रतिपूर्ण पौष्पध में नहीं लिया जाता है ।

यदि कोई सम्पूर्ण आठ प्रहर का स-सामायिक पौष्पध ब्रत नहीं करके कम समय के लिये पौष्पध करना चाहे तो वह प्रतिपूर्ण पौष्पध तो नहीं कहा जाता, और शास्त्रोय विधि से तो ऐसा नहीं

होता। किन्तु ग्यारहवें घृत में शुमार किये जाने योग्य पौष्प छर सकता है क्षण ऐसा व्यवहार है।

सर्व सावद्य योग के स्यागपूर्वक पौष्पघोपवास घृत करने वाले का क्या कर्त्तव्य होता है, यह घृताने के लिए सुखविपाक सूत्र में सुधादुकुमार के वर्णन में कहा गया है कि—

तत्त्वेण से सुवादुकुमारे अन्नयाकयार्ह चाउदस्सटु मुदिद्धु  
पुण्णमासिणीपु जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छर्ह उवाग-  
च्छर्हेत्ता पोसहसाला पमज्जर्ह पमज्जर्हता उचार पासवण

† घर्त्तमान समय में ग्यारहवें पौष्प घृत के लिए पूरे आठ पहर के स्थान पर कम समय का करने की प्रथा भी है। बल्कि किसी छिंदि देश में पौष्पघृत की मर्यादा कम से कम पाँच पहर की भौंट-किसी छिंदि देश में चार पहर की भी है। यानि यह प्रथा है कि सूर्योत्त से पहर पौष्प स्वीकार कर लिया जाता है और रात भर पौष्प में रहकर सूर्योत्त दोनों पर पौष्प पाल लिया जाता है। इस तरह धारणा और परमारा भाष्यार पर भनेक प्रथाएँ हैं, लेकिन कम समय के लिए पौष्प करने वाले को भी एक दिन और एक रात के लिए यानि आठ पहर के लिए वाले प्रकार का आहार, अवश्यक्य, शरीर-अलंकार और आजीविका सम्बन्धी प्यापार का र्याग तो करना ही चाहिए। परन्तु घर्त्तमान समय में, जी पहर से कम समय के लिए पौष्प करने वालों द्वारा इस नियम का पूर्ण पालन होता नहीं देखा जाता। सूत्रों में तो प्रति पूर्ण पौष्प करने वाले के लिए आहारादि के साथ ही र्यापारादि का र्याग भी आवश्यक बताया गया है। इसलिए जिस प्रकार पानी पीकर उपवास करते वाले शारीर पर तैलादि मर्दन करने, कराने वाला व्यक्ति ग्यारहवें पौष्प

भूमि पड़िलेहि पड़िलेहिता दब्म संथारं संथरइ संथरइता  
दब्म संथारं दुरुहर्ई दुरुहर्ईता अटुमभत्तं पगिणहइ  
पगिणहइता पोसहसालाए पोसहिए अटुम भत्तं पोसहं पड़ि  
जागर माणे चिहरई।

**अर्थात्**—वह सुशाहुकुमार ( थमणोपासक ) किसी समय चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या या पूर्णिमा आदि पर्व दिन में जहाँ पर अपनी पौपध-  
शाला थी वहाँ आया । उसने सब से पहले पौपधशाला को स्वच्छ  
किया और परिमार्जन करके यह देखा कि कहाँ पेसे जीव तो नहीं हैं,  
जिनके कारण मेरे पौपध व्रत में कोई वाधा पहुँचे तथा असावधानी में  
मेरे से उन जीवों की विराधना हो जावे । फिर उसने ऐसी भूमि का  
निरोक्षण और परिमार्जन किया, जिसे परठने की भूमि अथवा स्थण्डल  
भूमि कहते हैं और शारीरिक धर्म के कारण मल-मूत्र स्वाग कर जहाँ  
रिंग जा सके । फिर पौपधशाला में दर्भादिक ( घास ) का संथारा  
( बिठौना ) किया । उस संथारे पर बैठकर उसने अष्टम भत्त यानि तीन  
दिन के उपवास ( तेला ) की तपस्या स्वीकार की और वह चारों प्रकार  
पौपध सहित समाधि-भाव में आत्मा को स्थिर करके विचरने लगा ।

सुशाहुकुमार राजपुत्र था । वह पाँचसौ रानियों का पति  
, उसके यहाँ प्रचुर संख्या में दासी-दास थे । यह सब होते हुए  
वह श्रावक था । सुशाहुकुमार केवल नाम का हो श्रावक न  
हीं कर सकता, उसी प्रकार व्यापार करके भी ग्यारहवाँ पौपध व्रत नहीं  
या जा सकता । किन्तु इस नियम की ओर लोगों का लक्ष्य कम ही  
ता है । ग्यारहवाँ व्रत, चारों प्रकार के पौपध और सामायिक सहित  
दो सकता है । सामायिक रहित या चारों प्रकार के पौपध का देश  
पालन करने पर ग्यारहवाँ व्रत नहीं हो सकता ।

था, किन्तु जीव, अजीव के स्वरूप और पुण्य, पाप के फ़ड़ का जानकार था। इस जानकारी के कारण न तो उसे सुख के समय हर्ष होता था न दुःख के समय खेद होता था। वह आत्मव, संवर आदि तत्त्वों को भी समझता था, इसलिए यथा संमव संवर और निर्जन के कारणों का ही व्यवहार करता था। वह मोक्ष प्राप्ति का इच्छुक था, इससे अष्टमो, चतुर्दशी आदि पर्व दिनों में पौष्ट्र किया करता था। वह किस प्रकार पौष्ट्र करता था, यह ऊपर पराया हो जा चुका है। वह धर्म से सम्बन्धित कार्मों को नौरों से नहीं करता था, किन्तु स्वयं करता था। इसीलिए उसने आप ही पौष्ट्रशाला का परिमार्जन किया। इसी प्रकार धर्म करने के लिए जिस सादगी की आवश्यकता है, वह सादगी भी उसमें थी। इसका प्रमाण है धर्म का संधारा। जो धार्मिक फार्यों में इस प्रकार कर्त्तव्यनिष्ठ रहता है और सादगी रखता है, वही धर्म का पालन भी कर सकता है और वही मोक्ष भी प्राप्त करता है। ऐसे ही व्यक्ति की धार्मिकता का प्रभाव दूसरे लोगों पर भी पड़ता है।

पौष्ट्र ग्रन्त स्वीकार करने के पश्चात् क्या करना चाहिए, यह बात सामायिक ग्रन्त का वर्णन करते हुए पताई जा सकती है। यही थोड़े में यहाँ उन घातों का पुनः वर्णन अप्राप्तिक न होगा।

पौष्ट्र ग्रन्त स्वीकार करने वाले आवक का जीवन, जिन्हें समय के लिए पौष्ट्र पौष्ट्र ग्रन्त स्वीकार किया है उतने समय के तिर

साधु जीवन के अनुरूप हो जाता है, इसलिए पौष्पध व्रत-धारी व्यक्ति को वैसे ही कार्य करना उचित है, जिनके करने से पौष्पध व्रत स्वीकार करने का उद्देश्य पूर्ण हो । पौष्पध व्रत-धारी श्रावक शो इंद्रियों तथा मन पर संयम रख कर, समस्त सांसारिक संकल्प, विकल्प त्याग देने चाहिए तथा आत्म-चिंतन, तत्त्व-मनन एवं परमात्म-भजन में ही तल्लीन रहना चाहिए । उसको सारा दिन और सारी रात इन्हीं कार्योंमें बिताना चाहिये । पौष्पध व्रत स्वीकार करने के पश्चात् गृह-संसार, आजीविकोपार्जन, खान-पान और शरीर-सुश्रुषा सम्बन्धी चिन्ता तो छूट ही जाती है । इसलिए पौष्पध व्रत का अधिक से अधिक समय धर्माराधन में ही लगाना चाहिए । रात में भी जितना हो सके उतना धर्म-जागरण करना चाहिए ।

पूर्व कालीन श्रावकों का जो वर्णन सूत्रों में है, उससे पाया जाता है कि अमुक श्रावक रात्रि का प्रथम भाग व्यतीत हो जाने पर जब धर्म-जागरण कर रहा था, तब उसके पास देव आया, जिसने श्रावक से अमुक-अमुक बातें कहीं, या श्रावक को अमुक उपसर्ग दिया । अथवा उस धर्म-जागरण करते हुए श्रावक ने ऐसी २ भावना की । इस वर्णन से स्पष्ट है कि देवता लोग धर्म-जागरण करने वाले श्रावक के पास ही आते हैं । किसी सोये हुए श्रावक को देव ने जगाया, ऐसा वर्णन कहाँ भी नहीं पाया

जाता। इसलिए पौष्टि ग्रन्थ-धारी आवक को रात के समय धर्मिक से धर्मिक धर्म-ज्ञानण करना चाहिए। पंचम गुण स्थान पर स्थित छोगों को शुभ ध्यान तो होता ही नहीं है। आर्त, ऐर और धर्म ये तीन ही ध्यान हो सकते हैं। इनमें से पौष्टि ग्रन्थ-धारी के लिए आर्त-ध्यान और रीढ़-ध्यान तो सर्वथा स्थान्य ही है। उसके लिए तो धर्म-ध्यान ही शोप रहता है, जो प्रशास्त मी है। इसलिए पौष्टि ग्रन्थ-धारी आवक को पौष्टि ग्रन्थ का समय धर्म-ध्यान में ही लगाना चाहिए।

शास्त्रकारों ने धर्म-ध्यान के आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, विपाक-विचय और संस्थान-विचय ये चार मेद बताये हैं। इन चारों भेदों का स्वरूप इस प्रकार है—

१ आज्ञा-विचय—जैन सिद्धान्त में वस्तु-स्वरूप का अर्थ वर्णन है, सर्वक्षण योतराग भावान् की आज्ञा को प्रधानता देने उस वस्तु-स्वरूप का चिन्तन करना, आज्ञा-विचय नाम का धर्म-ध्यान है। यह आज्ञा दो प्रकार की है। एक तो आगम-आज्ञा और दूसरी हेतुआद-आज्ञा। आगम-आज्ञा यह है, जो आत वर्ष द्वारा प्रतिपादित होने पर ही प्रमाण मानी जावे और हेतुआद आज्ञा यह है, जो अन्य प्रमाणों से भी प्रतिपादित हो।

२ अपाय-विचय—भारतमा का अहिंस करने वाले का नामा किस वरह हो, इस विषयक विचार करते हुए यह दोष-

कि अङ्गान एवं प्रमाद के वश होकर इन कर्मों का संचय मैंने ही किया है। अब श्री देव गुरु की कृपा से मेरे आत्मा में जिनेश्वर भगवान् के वचनों का प्रकाश हुआ है, इसलिए आत्मा को ऐसे कर्म से बचाऊँ जिससे मुझे किर इस दुःख रूपी अपाय का अनुभव न करना पड़े। इस तरह का विचार करना, अपाय-विचय नाम का धर्म-ध्यान है।

३ विपाक-विचय—किये हुए कर्म का फल (विपाक) ये तरह से अनुभव में आता है। शुभ कर्म के उदय से आत्मा को इष्ट पदार्थों का संयोग होता है तथा सुख मिलता है और शुभ कर्म के उदय से अनिष्ट पदार्थों का संयोग तथा दुःख मिलता है। इस प्रकार कर्म के विपाक के सम्बन्ध में विचार करते हुए यह मानना कि जो शुभाशुभ विपाक मिलता है वह मेरे किये हुए शुभाशुभ कर्म का ही परिणाम है। ऐसा विचारना, मानना, विपाक-विचय नाम का तीसरा धर्म-ध्यान है।

४ संस्थान-विचय—स्थिति, लय और उत्पात रूप आदि अन्त रहित लोक का चिन्तवन करना, संस्थान-विचय है। ऐसा लोक जीन भागों में विभक्त है, उर्ध्व लोक, अधः लोक और तिर्यक् लोक। रत्येक लोक में कौन-कौन जीव रहते हैं, उनकी गति, स्थिति क्या है और उन्हें कैसे सुख, दुःख का अनुभव करना होता है, इसका भिन्न-भिन्न विचार करना, संस्थान-विचय नाम का चौथा धर्म-ध्यान है।

धर्म-ध्यान के आज्ञा रुचि, नैसर्ग रुचि, सूत्र रुचि और अवगाढ़ रुचि ये चार लक्षण कहे गये हैं। इन लक्षणों से धर्म-ध्यान की पहचान होती है। इन लक्षणों का स्वरूप इस प्रकार हैः—

१ आज्ञा रुचि—भगवान् तीर्थद्वार ने तप, संयम आराधना के लिए जिन कार्यों का विधान किया है, उन कार्यों के विधायक वचनों पर अद्वा होना, आज्ञा रुचि है।

२ नैसर्ग रुचि—बिना किसी के उपदेश के ही, ज्योत्तर भाव की विशुद्धि से जाति-स्मृति आदि ज्ञान होकर तत्त्वों पर भ होना, नैसर्ग रुचि है।

३ सूत्र रुचि—ज्ञान प्रतिपादित सूत्रों का अभ्यास करने से तत्त्वों पर अद्वा होना, सूत्र रुचि है।

४ अवगाढ़ रुचि—मुनि, महारमाओं की सेवा में रह। उनका उपदेश सुनने से तत्त्वों पर अद्वा होना, अवगाढ़ रुचि है।

धर्म-ध्यान के चार अवलभ्यन हैं। अवलभ्यन यानि ज्ञान जिसके सहारे धर्म-ध्यान किया जा सके। ऐसे अवलभ्यनों नाम—वाचना, पूच्छना, पर्यटना और अनुप्रेष्ठा हैं। योड़े में। चारों को व्याख्या भी की जाती है।

(१) सत्साहित्य का वाचन, वाचना है। सत्साहित्य है, जिसके अध्ययन से आत्मा में तप, संयम, अदिसा आदि। भावना उत्पन्न हो या गृह्णि पावे।

( २ ) सत्साहित्य के वाचन से हृदय में जो प्रश्न उत्पन्न हों, उनका समाधान करने के लिए शुरु महाराज से पूछना, पूछना है।

( ३ ) सीखे यानि प्राप्त किये हुए ज्ञान का धारणार चिन्तन करना और प्राप्त ज्ञान दृढ़ करना, परियटना है।

( ४ ) प्राप्त ज्ञान के अर्थ एवं भेदोपभेद को जानने के लिए उस पर विचार करना, अनुप्रेक्षा है।

धर्मध्यान के चार अनुप्रेक्षा भी हैं—एकानुप्रेक्षा, अनित्यानुप्रेक्षा, अशरणानुप्रेक्षा और संसारानुप्रेक्षा। हृदय में उत्पन्न विचारधारा यानि भावना को अनुप्रेक्षा कहते हैं। इन चारों अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप भी थोड़े में घताया जाता है:—

१ एकानुप्रेक्षा—आत्मा को समस्त सांसारिक संयोगों से मिश्र तथा अकेला मान कर तत्सम्बन्धी भावना करना, एकानुप्रेक्षा है।

२ अनित्यानुप्रेक्षा—समस्त सांसारिक एवं पौद्गलिक संयोगों को अनित्य ( सदा न रहने वाले ) मान कर तत्सम्बन्धी भावना करना, अनित्यानुप्रेक्षा है।

३ अशरणानुप्रेक्षा—समस्त सांसारिक सम्बन्धों के लिए यह मानना कि ये मेरे लिए शरणदाता नहीं हो सकते और ऐसा गौर कर तत्सम्बन्धी भावना करना, अशरणानुप्रेक्षा है।

४ संसारानुप्रेक्षा—संसार के जन्म, मरण के क्रम एवं आवागमन सम्बंधी विचार करके किसीसे लेहन रखने की भावना करना, संसारानुप्रेक्षा है।

पौपद ग्रत-धारी आवक को अपना समय इस तरह भौम-व्य में ही विताना चाहिए। साय ही उन दोषों से बचे रहना चाहि जिनसे पौपद ग्रत दूषित होता है। ऐसे दोषों से बचने के ब उन दोषों की जानकारी होना आवश्यक है। उनमें से कुछ ऐसे हैं, जो पौपद ग्रत स्वीकार करने से पहिले करने पर भी। दूषित होता है और कुछ ऐसे हैं जो पौपद ग्रत स्वीकार करने किये जाने से ग्रत दूषित होता है।

पौपद के निमित्त से १ सरस आहार करना, २ मैथुन कर ३ फेश, नस्य कटाना, ४ वस्त्र धुलाना, ५ शरीर मण्डन कर और ६ सरलता से न खुल सकने वाले आभूषण पहनना, द्वयः दोप पौपद करने से पूर्व के हैं। इनके सिवाय यारह दोप वे जो पौपद ग्रत स्वीकार करने के पश्चात् आघरण में आने पर दूषित होता है। वे यारह दोप इस प्रकार हैं—

जो ग्रत-धारी नहीं है, उसको ७ व्यावच (संक्षा) करना अर्थ इससे व्यावच कराना या ऐसे व्यक्ति को आदर देना, ८ शरीर पसीना हीने पर शरीर को मल कर मैड उतारना, ९ दिन में न छेना, रुव में एक प्रहर रात जाने से पहले ही सो जाना अर्थ

पिंडी रात को धर्म-जागरण न करना, १० बिना पूँजे शरीर लुगलाना, ११ बिना पूँजे परठना, १२ निन्दा या विकथा करना, १३ भय खाना या भय देना, १४ सांसारिक बातचीत या कथा बार्ता करना कहना, १५ खी के अंगोपांग निहारना, १६ खुले मुँह श्रयन्त्रा से बोलना, १७ कलह करना और १८ किसी सांसारिक जाते से बुलाना। जैसे—पौषध व्रत-धारी को काकाजी, मामाजी, मुसराजी, सालाजी आदि नाते से न बोलना चाहिये ।

ये दोप पौषध व्रत को दूषित करते हैं, इसलिए इन दोषों से बचे रहना चाहिए। साथ ही हृद, सहनशील एवं शान्त रहना चाहिए। कई बार पौषध व्रतधारी को अनेक प्रकार के परिपद उपसर्ग भी होते हैं। यदि उस समय सहनशीलता न रहे तो पौषध व्रत भंग हो जाता है। उपासक दशाङ्क सूत्र में चुलनी पेता आदि श्रावकों का वर्णन है। जिनमें से कई श्रावकों को पौषध व्रत से विचलित करने के लिए देव गया। देव ने उनके गमने अनेक भयंकर हृश्य उपस्थित किये। उनके पुत्रों को गिर कर उन्हीं के सामने मार ढाला और मृत शरीर के टुकड़े तेल कहाह में ढाल कर पुत्रों का रुधिर मांस व्रत में बैठे हुए पिता (श्रावक) के शरीर पर छोंटा। जब यह सब करने पर भी वे श्रावक अविचल रहे, तब किसी की माता को मारने का कहा, किसी की पत्नि को मारने का भय दिखाया, किसी को रोग का भय

दिखाया और किसी को घनहरण का । इस तरह के सोमानीव भयंकर दृश्यों को देखकर व सुनकर उन ब्रतघारी श्रावकों की सहनशीलता कायम न रही । वे उस देव को पकड़ने के लिए उठे, लेकिन उनके हाथ वह देव न आया किन्तु यमा आया उस यम्भे को पकड़ कर उन श्रावकों ने जोर से हत्ता किया ।

इस तरह के वर्णन देकर शास्त्रांकार उन श्रावकों के लिए 'भगा वए' 'भगा पोसए' लिखते हैं । यानि यह लिखते हैं कि उन श्रावकों का ब्रत और पौष्टि भंग हो गया । इस पर से समालेना चाहिए कि पौष्टि ब्रत को अभंग रखने के लिए भावक ऐसा सहनशील रहना चाहिए । जो अपना पौष्टि ब्रत अभंग रखना चाहता है, वह मरणशायक उपसर्ग भी शान्तिपूर्वक उल्लेता है । किन्तु उपसर्ग से विचलित होकर ब्रत भंग नहीं करता है । महाराजा उदायन पौष्टि ब्रत में थे, तथ रात के समय एक साधु वेशघारी ठग ने उनको घोर उपसर्ग दिया अर्थात् उनके प्राण ले लिये । यदि महाराज उदायन चाहते तो वे होहता हैं उनके थे और उस दशा में सम्भव था कि उनके प्राण गोप्य जाते अबवा यह ठग पकड़ा भी जाता । लेकिन वे उपस्थिति में भी सहनशील हो रहे । इस तरह को क्षमा, सहनशीलता और हृदयता से ही उन्होंने तीर्थकर नाम गोप्य का उपार्जन किया था ये अगली चौथीसी में तीसरे तीर्थकर भगवान् होंगे ।

प्रतिकूल परिपह की ही तरह अनुकूल परिपह होने पर भी पौष्प व्रत-धारी श्रावक को दृढ़ ही रहना चाहिए। कैसा भी अनुकूल परिपह हो, विचलित न होना चाहिए। भगवान् शान्तिनाथ के पूर्व भवों के वर्णनमें एक जगह कहा गया है कि एक समय महाराजा मेघरथ पौष्प व्रत में बैठे हुए थे। उसी समय ईशान्यकल्प (स्वर्ग) में ईशान्येन्द्र महाराज ने अपनी इन्द्रानियों ही समा में प्रसंगवश राजा मेघरथ की प्रशंसा करते हुए कहा कि पौष्प व्रत में बैठे हुए महाराजा मेघरथ को धार्मिक धृति से विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये ही महामुज विषय में जन्मद्वीप के भरतक्षेत्र में शान्तिनाथ नाम के पंचम ककर्ता और सोलहवें तीर्थंद्वार होंगे।

इन्द्र द्वारा की गई महाराजा मेघरथ की प्रशंसा सुनकर अन्य इन्द्रानियों ने प्रसन्न हुईं, लेकिन सुरुपा और अतिरुपा नाम की इन्द्रानियों ने महाराजा मेघरथ की धर्मदृढ़ता की परीक्षा लेने का विचार किया। वे दोनों अप्सराएँ मर्यादोक में वहाँ आईं, जहाँ महाराजा मेघरथ पौष्पशाळा में पौष्पव्रत धारण करके ध्यानस्थ थे। उन अप्सराओं ने खियोचित शाव-भाव एवं कामोदीपक रामरंग द्वारा महाराजा मेघरथ को विचलित करने का बहुत प्रयत्न किया, परन्तु महाराजा मेघरथ अविचल ही रहे और कुभित न हुए। जब राव समाप्त हो चली और प्रातःकाल होने लगा, तब वे

अप्सराएँ हार मान कर, अपनी छोला समेट महाराजा मेघरथ को नमन करके तथा अपने अपराध के लिए क्षमा माँग कर अपने स्थान को गईं।

मतलब यह है कि पौष्ठ ब्रतधारी आवक को अनुकूल परिषद होने पर भी दृढ़ रहना चाहिए, विचलित न होना चाहिए। चाहे अनुकूल परिषद हों या प्रतिकूल परिषद हों, धैर्य पूर्वक उन्हें सा कर अविचल रहने और उनके प्रतिकार की भावना न करने पर ही पौष्ठ ब्रत अभंग रहता है। यदि परिषद के कारण विचलित हो उठा, परिषद के प्रतिकार अथवा परिषद देने वाले को दण्ड देने का प्रयत्न किया या ऐसी भावना की, तो उस दशा में पौष्ठ ब्रत भङ्ग हो जावेगा। परिषद देने वाले को दण्ड देने की बात तो दूर रही, उसके प्रति कठिन शब्द का प्रयोग करने पर मौ ब्रत दूषित हो जाता है।

महाशतक आवक जब गृह कार्य रेखा कर और प्रतिमा वहन कर रहे थे, तब तथा संयारा कर चुके थे, तब इस वरह दो बार उनकी पन्नी रेवती शृंगार करके महाशतकजी को विचलित करने के लिए महाशतकजी के पास गईं। वह महाशतकजी के सामने अनेक प्रकार के हाव-भाव करने लगी तथा महाशतकजी को विषय-भीग का आमन्त्रण देने लगा। उसने इस वरह पृथ्वी प्रयत्न किया लेकिन महाशतकजी दृढ़ ही थने रहे। रेवती, प्रथम

बार तो निराश होकर लौट गई, लेकिन दूसरी बार संथारा में फिर महाशतकजी के पास जाकर महाशतकजी को विचलित करने का प्रयत्न करने लगी। उस समय महाशतकजी को अवधिज्ञान हो गया था। महाशतकजी ने अवधिज्ञान द्वारा रेवती का भविष्य जानकर आनेश में आ रेवती से कहा कि तू निरर्थक कष्ट क्यों उठाती है। शीघ्र ही तुम्हे अर्पण होगा, जिससे तू आज के सातवें दिन मर कर रत्नप्रभा नाम की प्रथम पृथ्वी में चौरासी इच्छार वर्ष की आयु वाले नारकीय जीव के रूप में उत्पन्न होगी। महाशतकजी का यह कथन सुनकर, रेवती भयभीत होकर वहाँ से चली गई और भारत-रौद्र ध्यान करती हुई मर कर नर्क में गई।

यद्यपि महाशतकजो ने जो कुछ कहा था वह सत्य ही था, परन्तु या अप्रिय। इसलिए भगवान् ने महाशतकजी का व्रत दूषित हुआ भानकर गौतमस्वामी द्वारा महाशतकजी को आलोचना, प्रायश्चित्त करने की सूचना दी। महाशतकजी ने भगवान् की सूचना शिरोधार्य की ओर वैसा ही किया।

मतलब यह है कि पौष्पध व्रत-धारी को अप्रिय एवं कठोर सत्य बात भी न कहनी चाहिए। इसी तरह उन सब मानसिक, पाचिक तथा कायिक कार्यों से बचे रहना चाहिए, जिनसे पौष्पध व्रत दूषित होता है और वे ही कार्य करने चाहिए जिनके करने से धर्म पुष्ट होता है।

## पौषधोपवास व्रत के अतिचार

---

इस ग्यारहवें पौषधोपवास का उद्देश्य प्रमादावस्था से भास्मा को निकाल कर अप्रमत्तावस्था में स्थित होना है। इसलिए इस व्रत में प्रमाद को किंचित् भी स्थान नहीं है। योगी भी प्रमाद करने पर पौषधोपवास व्रत दूषित हो जाता है। पौषधोपवास व्रत किसकिस तरह के प्रमाद से दूषित होता है? यह बताने के लिए भगवान् ने पौषधोपवास व्रत के पाँच अतिचर्याये हैं, जो इस प्रकार हैं:—

१ अप्रतिलेखित दुष्प्रति लेखित शैया संथारा—पौष के समय काम में लिये जाने वाले पाट, पाटला, बिछौना, संथा आदि का प्रतिलेखन न करना, अथवा विधि-पूर्वक प्रतिलेखन

करना, यानि मन लगा कर प्रतिलेखन की विधि से प्रतिलेखन न करना और इस प्रकार के शैया, संथारा को काम में लेना, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित शैया संथारा नाम का अतिचार है।

प्रतिलेखन प्रातःकाल भी होना चाहिए और सायंकाल भी, रात के समय अन्धेरे में छोटे जीव नहीं दिख सकते। इसलिए सायंकाल को ही प्रतिलेखन कर लिया जाता है, जिसमें विछौने आदि में कोई जीव न रह जाय और उसकी विराघना न हो जाय। रात्रि समात होने के पश्चात् प्रातःकाल विछौना आदि का प्रतिलेखन यह देखने के लिए किया जाता है कि रात के समय मेरे द्वारा किसी जीव को विराघना तो नहीं हुई है! यदि हुई हो तो उसका प्रायश्चित्त किया जावे।

२ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शैया संथारा—पाट-पाटला, विस्तर आदि परिमार्जन न करना, अथवा विधि रहित परिमार्जन करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शैया संथारा नाम का दूसरा अतिचार है।

प्रतिलेखन और परिमार्जन में अन्तर है, इसी से दोनों के विषय में अलग-अलग अतिचार कहे गये हैं। प्रतिलेखन दृष्टि द्वारा होता है। यानि दृष्टि से देख लिया जाता है कि कोई जीव तो नहीं है। लेकिन परिमार्जन, पूजनी या रजोहरण द्वारा होता है। दिन के प्रकाश में तो प्रतिलेखन किया जाता है, लेकिन प्रकाश न

होने के कारण जब प्रतिलेखन नहीं हो सकता, तब रात्रि आदि में रजोहरण या पूँजनी द्वारा परिमार्जन किया जाता है और इस प्रकार यत्ना की जाती है।

३ अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रस्तवन भूमि— शरीर-चिन्ता से निवृत्त होने के लिए त्यागे जाने वाले पदार्थों के त्यागने के स्थान का प्रतिलेखन ही न करना या भली प्रकार प्रतिलेखन न करना, अप्रतिलेखित दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रस्तवन भूमि नाम का अतिचार है।

४ अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्तवन भूमि— तीसरे अतिचार में जिस स्थान का बर्णन किया गया है, उस स्थान का परिमार्जन न करना या भली प्रकार परिमार्जन न करना, अप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित उच्चार प्रस्तवन भूमि नाम का अतिचार है।

५ पौपधोपवास सम अननुपालन—पौपधोपवास व्रत का सम्यक् प्रकार से उपयोग सहित पालन न करना या सम्यक् रीति से पुरा न करना, पौपधोपवास सम अननुपालन नाम का अतिचार है।

इन अतिचारों से बचे रहने पर व्रत निर्दोष रहता है और आत्मा का उत्थान होता है।



४

## अतिथि-संविभाग व्रत





## अतिथि-संविभाग व्रत

**श्रा**वक के धारह व्रतों में से चारहवाँ और चार शिक्षा व्रतों

में से चौथा व्रत अतिथि-संविभाग है। श्रावक का जीवन कैसा धार्मिक हुआ है, श्रावक होने के पश्चात् जीवन में क्या विशेषता आई है और पाँच अणुव्रत तथा तीन गुणव्रत के पालन का प्रभाव उसके जीवन पर कैसा पड़ा है आदि बातों को जानने का साधन श्रावक के चार शिक्षा व्रत हैं। चार शिक्षा व्रत में से प्रथम के तीन शिक्षा व्रत का लाभ तो श्रावक को ही मिलता है, लेकिन चौथे अतिथि-संविभाग व्रत का लाभ दूसरे को भी मिलता है। इस व्रत का पालन करने से वाह्य जगत् को यह ज्ञात होता है कि जैन दर्शन कैसा विशाल है और जैन धर्म पालन करने वाले में विश्ववन्धुत्व की भावना कैसी प्रौढ़ रहती है।

अतिथि-संविभाग का अर्थ है, अतिथि के लिए विभाग करना। जिसके आने का कोई दिन या समय नियत नहीं है, जो बिना सूचना दिये अनायास आ जाता है, उसे अतिथि कहते हैं। ऐसे अतिथि का सत्कार करने के लिए भोजनादि पदार्थ में विभाग करना अतिथि-संविभाग है और ऐसा करने की प्रतिक्षा करने का नाम अतिथि संविभाग व्रत है। सूचों में इस व्रत को 'अहा संविभाग व्रत' कहा है, जिसकी व्याख्या करते हुए टोकाकार लिखते हैं—

यथा सिद्धस्य स्वार्थं निर्वर्तिं तस्येत्यर्थः असनादिः  
समिति संगतत्वेन पश्यात्कर्मादि दोप परिहारेण  
विभजनं साधवेः दानद्वारेण विभाग करणं यथा  
संविभागः ।

अर्थात्—अपने लिए बनाये हुए आहारादि में से, जो साधु पृण समिति सहित पश्यात् कर्म दोप का परिहार करके अशनादि प्रह्ल करते हैं, उनको दान देने के लिए विभाग करना अतिथि-संविभाग व्रत है।

जो महात्मा आरम्भ्याति जगाने के लिए सांसारिक खटपट स्याग कर संयम का पालन करते हैं, सन्तोष वृत्ति को धारण करते हैं उनको जीवन-निर्वाह के लिए अपने चास्ते तथ्यार द्वारा हुए आहरादि में से उन श्रमण-निपन्थों के कल्पनुसार दान देना, यथा संविभाग व्रत है। साधु महात्मा को आवक अपने लिए बनाई गई चीजों में से कौन कौन-सी चीजें दे सकता है और

साधुओं को किन-किन चीजों का दान देना श्रावक का कर्त्तव्य है, यह बताने के लिए शास्त्र में निम्न पाठ आया है:—

कप्पर्द में समणे निगन्थे फासु एसणिं असणं पाणं  
खाइमं साइमं वत्थं पडिगगहं कंबलं पायपुच्छणं तथा  
पडिहारे पीटु फलग सिज्जा संथारा ओसह भेसजेणं  
पडिलामे माणे चिहरई।

जर्यात्— (श्रावक कहता है) मुझे श्रमण-निग्रन्थों को, अधः कर्मादि  
सोलह उद्धमन, दोष और अन्य छब्बीस दोष रहित प्रासुक एवं पूर्णिक  
(उन महात्माओं के लेने योग्य) अशन, पान, स्नाय, स्वाय, वस्त्र, पात्र,  
कम्बल (जो शीतादि से बचने के काम में आता है), पादपौष्टन (जो  
जीव-रक्षा के लिए पूँजने के काम में आते हैं, वे रजोहरण या पूँजनी आदि),  
पीठ (वैठने के काम में आने वाले छोटे पाट), फलक (सोने के काम में  
आने वाले बड़े लम्बे पाट), शश्या (ठहरने के लिए घर), संथारा (चिडाने  
के लिए धास आदि), औपध और भेषज \* ये चौदह प्रकार के पदार्थ जो  
उनके जीवन-निर्वाह में सहायक हैं, प्रतिलाभित करते हुए विचरना  
कल्पता है।

ऊपर जो चौदह प्रकार के पदार्थ बताये गये हैं, इनमें से  
प्रथम के आठ पदार्थ तो ऐसे हैं, जिन्हें साधु महात्मा लोग  
स्वीकार करने के पश्चात् दान देने वाले को वापस नहीं लौटाते,  
लेकिन शेष छः द्रव्य ऐसे हैं कि जिन्हें साधु लोग अपने काम में

\* औपध उसे कहते हैं जो एक ही चीज़ को कूट या पीस कर  
घनाई हो और भेषज उसे कहते हैं जो भनेक चीजों के मिश्रण से घनी  
हो।



रखता है, जो साधु मुनिराज के काम में नहीं आ सकतों, तो वह श्रावक मुनिराजों को अशान, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पाठ आदि चीजों से प्रतिलाभित कैसे कर सकता है! श्रावक का दूसरा नाम श्रमणोपासक यानि साधु का उपासक (सेवा करने वाला) है। मुनि महात्मा श्रावकों से शरीर सम्बन्धी सेवा तो लेते नहीं। इसलिए श्रावक, मुनिराजों की सेवा उन चीजों से मुनिराजों को प्रतिलाभित करने के रूप में ही कर सकता है कि जो चीजें मुनि महात्मा के संयमी जीवन में सहायक हो सकती हैं और वे भी मुनि महात्मा के लिए बनाई हुई न हों, किन्तु अपने या अपने कुटुम्बियों के उपयोग के लिए बनाई अथवा खरीदी हुई हों। ऐसी दशा में जब श्रावक मुनि महात्मा के काम में आने वाली चीजों का उपयोग ही न करता होगा, तब वह मुनि महात्माओं को ऐसी चीजों से प्रतिलाभित कैसे कर सकेगा! साधु मुनिराजों को प्रतिलाभित करने का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, जिसके पास ऐसी चीजें हों।

आज गृहस्थों की मनोवृत्ति कुछ ऐसी संकुचित हो रही है कि वे जितने कपड़े सिलवाने होते हैं, उतने ही के लिए धाजार से कपड़ा खरीद लाते हैं। उनके घर में यिन सिला हुआ कपड़ा मिलना कठिन होता है। इसके लिए आर्थिक दुरावस्था का बहाना भी असंगत है। क्योंकि आर्थिक दुरावस्था का बहाना तो तब ठीक

हो सकता है, जब सिले हुए कपड़े आवश्यकता से अधिक न हों। लेकिन होता यह है कि लोग इतने अधिक सिले हुए कपड़े भर रखते हैं, कि जो बर्पें तक रखे रहते हैं, और जिन्हें पहनने का क्रम ही नहीं आता है। इसलिए विना सिला हुआ कपड़ा न रहने का कारण आर्थिक दुरावस्था नहीं हो सकता, किन्तु अविवेक ही हो सकता है। जिस में इस प्रकार का अविवेक है, वह मुनिराजों को प्रतिलाभित कैसे कर सकता है! यदि आवकों में इस विषयक विवेक हो, तो मुनिराजों को बजाज् या पंसारी की दुकान पर वस्तु याचने के लिए क्यों जाना पड़े, जहाँ सचित द्रव्य के संघटे की सम्भावना रहती है और दूसरे दोषों की भी सम्भावना रहती है।

जैन शास्त्रों में धर्म के चार धंग प्रधान कहे गये हैं। जिनमें से दान-धर्म, धर्म की पहली सीढ़ी है। दान के भेदों में मौ अभय-दान और सुपात्र-दान को ही श्रेष्ठ कहा गया है। सुपात्र-दान वह है, जिसका द्रव्य भी शुद्ध हो, दाता भी शुद्ध हो और पात्र भी शुद्ध हो। इन तीनों का संयोग मिलने पर महान् लाभ होता है।

द्रव्य शुद्ध हो, इस कथन का मतलब वस्तु की श्रेष्ठता नहीं है, किन्तु यह मतलब है कि जो द्रव्य अधः कर्मादि १६ दोषों से रहित हो, वथा जो मुनि महात्माओं के वप, संयम का सहायक एवं धर्मक हो। ऐसा ही द्रव्य शुद्ध माना जावा है। दाता वह

शुद्ध है, जो विना किसी प्रति-फल की इच्छा। अथवा स्वार्थ-भावना के दान देता है तथा जिसके हृदय में पात्र के प्रति श्रद्धा भक्ति हो। पात्र वह शुद्ध है, जो गृह-प्रपञ्च को रथाग कर संयम पूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा हो और जो संयम का पालन करने के लिए ही दान ले रहा हो। इन तीनों बातों का ऐकीकरण होने पर ही श्रावक इस बारहवें ब्रत का लाभ पाता है। बारहवें ब्रत के पाठानुसार तो ब्रत की व्याख्या यहाँ ही पूर्ण हो जाती है परन्तु इस ब्रत का उद्देश्य केवल मुनि महारमाओं को ही दान देना इतना ही नहीं है, किन्तु श्रावक के जीवन को उदार एवं विशाल बनाना भी इस ब्रत का उद्देश्य है। जीवन के लिए जो अत्यन्त आवश्यक है, उस भोजन में भी जब श्रावक दूसरे के लिए विभाग करता है, तब दूसरी ऐसी कौन-सी वस्तु हो सकती है, जिसमें श्रावक दूसरे का विभाग न करे, किन्तु जिसके अभाव में दूसरे लोग दुःख पावें और श्रावक उसको अनावश्यक ही भण्डार में ताले में बन्द कर रखें। श्रावक अपने पास के समस्त पदार्थों में दूसरे को भाग दे देता है और पदार्थ पर से ममत्व उतार कर दूसरे की भलाई कर सकता है क्योंकि श्रावकपन स्वीकार करने के पश्चात् श्रावकवृत्ति स्वीकार करने वाले का जीवन ही बदल जाता है। श्रावकपन स्वीकार करने वाले के लिए शास्त्र में कहा गया है:—

समणो घासए जाए अभिगगण जीवा जीवे जाव  
पड़िलामे माणे विरहई।

अर्थात्—वह थमणोपासक भवस्था में जन्मा है और जीव अजीव  
का ज्ञाता होकर यावत् प्रतिलाभित करता हुआ विघरता है।

इस पाठ के द्वारा आवक को द्विजन्मा कहा गया है। आवक  
का एक जन्म आवकपन स्वीकार करने के पहले होता है और  
दूसरा जन्म आवकपन स्वीकार करने के पश्चात् होता है। आवक  
होने से पहिले वह व्यक्ति जिन भोग्योपभोग्य पदार्थों में आसक्त  
रहता था, ममत्वपूर्वक जिनका संप्रह करता था और जिनके बिंदि  
छेरा, कंकाश एवं महान् अनर्थ करने के लिए उत्तारुं हो जाता था,  
दूसरी आवक होने के पश्चात् उन्हीं पदार्थों को अधिकरण रूप  
( कर्म बन्ध का कारण ) मानता है और उनसे ममत्व घटाता है  
तथा संचित सामग्री से दूसरे को सुख-सुविधा पहुँचाता है। इस  
प्रकार आवकरब स्वीकार करने के पश्चात् मनुष्य की भावना भी  
बदल जाती है और कार्य भी बदल जाते हैं। उसकी भावना  
विशाल हो जाती है। ऐसा होने पर ही आवक अपने लिए छापे  
गये 'द्विजन्मा' विशेषण को सार्थक कर सकता है, लेकिन यदि  
आवक होने पर भी सांसारिक पदार्थों के प्रति ममत्व बढ़ा हुआ  
ही रहे, तो उन दुःखियों को सुखी बनाने की भावना न आई तो  
उस दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका 'द्विजन्मा'  
विशेषण सार्थक है !

आज के बहुत से श्रावक दूसरे का हित करने और दूसरे का दुःख मिटाने के समय आरम्भ, समारम्भ की दुहाई देने लगते हैं, और आरम्भ, समारम्भ से बचने के नाम पर कृपणता एवं अनुदारता का व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा करना बहो भूल है। अपने भोग-विलास एवं सुख-सुविधा के समय तो आरम्भ, समारम्भ की उपेक्षा करना और दीनों का दुःख मिटाने के समय आरम्भ, समारम्भ की आड लेना कैसे उचित हो सकता है ! श्री भगवती सूत्र के दूसरे शतक के पाँचवें उद्देश्ये में तुंगिया नगरी के श्रावकों की श्रद्धि का इस प्रकार वर्णन है :—

अहू दित्ता विच्छिण्णा विपुल भवण सयणासण जाण  
चाहणाइणा चहुधण चहुजाय रुद रयया आओग  
परओग समउत्ता विच्छिण्य विपुल भत्त पाणा चहु  
दासी दास गो महिस गवेलग पमुआ, चहु जणस्स  
अपरिसुया, अभिगय जीवा जीवा जाव उसिय  
फलिहा अभंग दुखारा !

इस पाठ से स्पष्ट है कि तुंगिया नगरी के श्रावकों के यहाँ बहुत से दासी-दास एवं पशुओं का पालन होता था, बहुत-सा भात, पानी निपजता था और उनकी सहायता से बहुत लोगों की आजोविका चलती थी। इस कारण उनके यहाँ अधिक आरम्भ, समारम्भ का होना स्वाभाविक ही है। वे श्रावक होकर भी उनके यहाँ अधिक आरम्भ-सारम्भ होता था, सो क्या वे आरम्भ-समारम्भ

समणो चासए जाए अभिगगए जोधा जीवे जाव  
पहिलामे माणे विरहई ।

अर्थात्—वह अमणोपासक अवस्था में जन्मा है और जीव अजीव का ज्ञाता होकर यावत् प्रतिलाभित करता हुआ विघरता है ।

इस पाठ के द्वारा आवक को द्विजन्मा कहा गया है। आवक का एक जन्म आवकपन स्वीकार करने के पहले होता है और दूसरा जन्म आवकपन स्वीकार करने के पश्चात् होता है। आवक होने से पहले वह व्यक्ति जिन भोग्योपभोग्य पदार्थों में आसक रहता था, ममरवपूर्वक जिनका संप्रह करता था और जिनके लिए छेत्र, कंकाश एवं महान् अनर्थ करने के लिए उतारू हो जाता था, वही आवक होने के पश्चात् उन्हीं पदार्थों को अविकरण रूप ( कर्म बन्ध का कारण ) मानता है और उनसे ममरव घटाता है। उया संचित सामग्री से दूसरे को सुख-सुविधा पहुँचाता है। इस प्रकार आवकरव स्वीकार करने के पश्चात् मनुष्य की भावना भी बदल जाती है और कार्य भी बदल जाते हैं। उसकी भावना विशाल हो जाती है। ऐसा होने पर ही आवक अपने लिए लगाये गये 'द्विजन्मा' विशेषण को सार्थक कर सकता है, लेकिन यदि आवक होने पर भी सांसारिक पदार्थों के प्रति ममरव नहीं हुआ ही रहा, धीन दुःखियों को सुखी बनाने की भावना न भाईं तो उस दशां में यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका 'द्विजन्मा' विशेषण सार्थक है !

आज के बहुत से आवक दूसरे का हित करने और दूसरे का दुःख मिटाने के समय आरम्भ, समारम्भ की दुहाई देने लगते हैं, और आरम्भ, समारम्भ से बचने के नाम पर कृपणता एवं अनुदारता का व्यवहार करते हैं। लेकिन ऐसा करना बड़ी भूल है। अपने भोग-विलास एवं सुख-सुविधा के समय तो आरम्भ, समारम्भ की उपेक्षा करना और दीनों का दुःख मिटाने के समय प्रारम्भ, समारम्भ की आड़ लेना कैसे उचित हो सकता है ! श्री भगवती सूत्र के दूसरे शतक के पाँचवें उद्देश्ये में तुंगिया नगरी के श्रावकों की ऋद्धि का इस प्रकार वर्णन है :—

अद्वा दित्ता विच्छिण्ण विपुल भवण सयणासण जाण  
चाहणाइण्णा बहुधण बहुजाय रुच रयया आओग  
पाओग सम्पउत्ता विच्छिण्य विपुल भत्त पाणा बहु  
दासी दास गो महिस गवेलग पभुआ, बहु जणस्स  
अपरिभुया, अभिंगय जीवा जीवा जाव उसिय  
फलिहा अभंग दुवारा ।

इस पाठ से स्पष्ट है कि तुंगिया नगरी के श्रावकों के यहाँ बहुत से दासी-दास पर्वं पशुओं का पालन होता था, बहुत-सा भात, पानी निपजता था और उनकी सहायता से बहुत लोगों की आजीविका चलती थी । इस कारण उनके यहाँ अधिक आरम्भ, समारम्भ का होना स्वाभाविक ही है । वे आवक होकर भी उनके यहाँ अधिक आरम्भ-सारम्भ होता था, तो क्या वे आरम्भ-समारम्भ

फो नहीं समझते थे! क्या आरम्भ-समारम्भ को घटाने विषयक तत्त्व को वे नहीं मानते थे! वे इस तत्त्व को न जानते रहे हों, यह सम्भव नहीं। क्योंकि उक्त वर्णन में आगे चल कर तुंगिया नगरी के शावकों के लिए कहा गया है कि वे आस्तव, संवर, निर्जरा, किया, अधिकरण, घन्ध और मोच, इन तत्त्वों में कुशल हैं। ऐसा होते हुए भी, वे दूसरे लोगों का पोलन करने के समय भारम्भ, समारम्भ को आइ नहीं लेते थे। क्योंकि उनमें उदारता यी, दया थी। आज के लोग शाख में वर्णित वातों को पूरी तरह समझने के बदले, उनका दुरुपयोग कर डालते हैं। शाब्दिकारों ने इसे विषय को स्पष्ट करने के लिए ही उनकी द्रव्य ऋद्धि व उनके कार्य आदि का विवरण दिया है और साथ ही यह भी बता दिया कि वे कैसे तत्त्वज्ञ थे। इतना ही नहीं, किन्तु उनकी उदार का भी परिचय दिया है और यह भी बताया है कि जनहित समय वे भारम्भ-समारम्भ की आइ नहीं लिया करते थे।

मतलब यह है कि शावक अनुदार या कृपण नहीं होता है किन्तु वह अपनी घस्तु का लाभ दूसरे लोगों को भी देता है। शावक सूत्र के आठवें अध्ययन में अरणक शावक का वर्णन है कि उस वर्णन में कहा गया है कि जब अरणक शावक व्यापार के लिए विदेश जाने को तप्यार हुआ, तब उसने अपने कुदुमियों एवं सजातियों को आमन्त्रित करके प्रीति-भोजन कराया और

फिर उनसे स्वीकृति लेकर विदा हुआ। वह अपने साथ बहुत से उन लोगों को भी ले गया था, जो व्यापार करने की इच्छा रखते थे। समुद्र में एक देव ने अरणक को धर्म से विचलित करने के लिए उपसर्ग दिये, लेकिन अरणक अविचल ही रहा। तब वह देव अरणक को दो जोड़े दिव्य कुण्डल के देकर चला गया। अरणक ने उन दिव्य कुण्डलों पर भी ममत्व नहीं किया, किन्तु दूसरे को भेट कर दिये।

राज प्रसेनी सूत्र के अनुसार राजा परदेशी ने श्रावक होते ही यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं राज्य की आय के चार भाग करूँगा, जिनमें से एक भाग दानशाला में व्यय किया करूँगा जिससे श्रमण माहण आदि पथिकों को शान्ति मिला करे।

इस तरह के वर्णनों से स्पष्ट है कि श्रावक कृपण नहीं होता है, किन्तु द्वार होता है। वह दूसरे की भलाई से सम्बन्धित कामों के प्रसंग पर आरम्भ-समारम्भ या दूसरी कोई आङ लेकर घचने का प्रयत्न नहीं करता है। बल्कि वह जनहित का भी वैसा ही ध्यान रखता है, जैसा ध्यान अपना या कुटुम्ब के लोगों के हित का रखता है। बल्कि कभी-कभी वह, दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को भी कष्ट में डाल देता है। ऐसे ही श्रावक, धर्म की प्रशंसा भी करते हैं तथा राजा प्रजा में आदर भी पाते हैं।

उपासक दशाङ्क सूत्र में आनन्द श्रावक का वर्णन करते हुए

कहा गया है कि आनन्द श्रावक घट्टुत से राजा, राजेश्वर, तल्लवर, (कोतवाल) माडम्बी, कौटुम्बी, सेठ, सेनापति, सार्थवाह आदि को कार्य में, कार्य के कारण में, मंत्र (सलाह) में, कुदुम्ब की व्यवस्था में, गुप्त विचारों में, रहस्य की वातों में, किसी घात के निश्चय पर, आने में, व्यवहार कुशल था, पूछने लायक या और घार-थार पूछने लायक था। वह, उस नगर में मेढ़ी-प्रमाण आधार-भूत, आठम्बन-भूत, चक्षु-भूत एवं मार्गदर्शक था। यदि आनन्द श्रावक जनहित के कार्यों से आरम्भ-समारम्भ के नाम से या और किसी घटाने से धचा रहता, कृपणता और अनुदारता का व्यवहार करता होता, तो वह इस प्रकार की प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त कर सकता था ! किसी मनुष्य का ऐसा प्रभाव तभी हो सकता है और उसे ऐसी प्रतिष्ठा भी तभी प्राप्त हो सकती है, जब उसमें सत्य के साथ ही उदारता भी हो ।

धर्म में दान सब से पहला अंग है। सूत्रों में भी जहाँ किसी की अष्टदि, सम्पदा आदि की प्राप्ति के कारण का प्रश्न किया गया है, वहाँ यह प्रश्न भी किया गया है कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में क्या दिया था। यत्कि दूसरे कारणों के विषय में प्रश्न करने से पहले इसी कारण के विषय में प्रश्न किया गया है। व्यवहार में भी वही व्यक्ति प्रतिष्ठित माना जाता है, जो उदार है। कृपण व्यक्ति प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर सकता, किर चाहे वह कैसा भी कर्यों न हो।

उदार व्यक्ति की कीर्ति, उस व्यक्ति के न रहने पर भी अभिषट् रहती है। बल्कि लोग प्रातःकाल उन लोगों का स्मरण विशेष रूप से करते हैं जो दान के द्वारा अपनी कीर्ति फैला गये हैं। इस विषय में पंडित कालीदास द्वारा कहा गया यह इलोक भी प्रसिद्ध है:—

देवं भोज्य धनं धनं सुकृतिभिन्नों, संचयस्तस्वैः  
श्री कर्णस्य घलेश्च विक्रम पते, रत्यापि कीर्तिस्था ।  
अस्माकं मधुदान भोग रहितं, नष्टं चिरात् संचितं  
निर्वाणादिति नैज पाद युगलं, धर्यन्ति यो मक्षिकाः॥

( चाणक्यनानीति अध्याय ११ वाँ )

कहा जाता है कि राजा भोज ने एक मक्खी को पैर घिसते देख कर, कालिदास से प्रश्न किया कि यह मक्खी क्या कहती है? भोज के इस प्रश्न के उत्तर में कालिदास ने उक्त इलोक कहा। इस इलोक का भावार्थ यह है कि 'हे राजा भोज! तुम्हारे पास जो धन है, वह सुकृत में छागा दो, संचय करके न रखो। कर्ण घलि और विक्रम की विमल कीर्ति इस भूतल पर अब तक भी इसी कारण फैली हुई है कि उनने अपने पास का धन सुकृत में छाया था। मैंने ( शहद की मक्खी ने ) अपना मधु रूपी द्रव्य न तो किसी को दिया, न स्वयं ही खाया। परिणाम यह हुआ कि वह मेरा चिर संचित द्रव्य नष्ट हो गया, यानि लोग लूट कर लेगये। मैं अपनी इस कृपणता के लिए पैर घिस करं पश्चाताप करती हूँ। जो

छोग मेरी तरह कृपण रहेगे, उन्हें भी इसी प्रकार पश्चाताप करता पड़ेगा। क्योंकि कृपण का धन दान या भोग में नहीं लगता, किन्तु व्यर्थ ही नष्ट हो जाता है।'

धन किसी न किसी मार्ग से जाता जरूर है। वह एक जगह स्थिर नहीं रहता। किर दान देकर उसका सदुपयोग क्यों न कर लिया जावे! भर्तृहरि ने कहा है:—

दानं भोगो नाशस्ति स्तो, गतयो भवन्ति वित्तस्य ।

यो न ददाति न भुंके, तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥

(नीति शतक)

अर्थात्—धन की दान, भोग और नाश ये तीन गतियें हैं। यानि दान देने से जाता है, भोग में लगाने से जाता है या नष्ट हो जाता है। जो धन न दान में दिया जाता है, न भोग में लगाया जाता है, उसकी तीसरी गति अवदयेभावि है। यानि नष्ट हो जाता है।

दान और भोग में न आया हुआ धन जप नष्ट ही हो जाता है, तथा दान द्वारा उसका सदुपयोग ही क्यों न कर लिया जावे! क्योंकि ऐसा न करने पर धन तो नष्ट हो ही जावेगा, तथा पश्चाताप के सिवाय और यच पावेगा ही क्या? इस बात को दृष्टि में रख कर ही, आवक के लिए उदारता रखने का उपदेश दिया जावे। जो आवक इस उपदेश को कार्यान्वित करता है, वह अपने आरमा का भी कल्याण करता है और संसार में जैन धर्म के महस्त्य भी कैदाता है। छोग समाजने लगते हैं कि जैन धर्मानुयायी

श्रावक धन के दास नहीं होते, किन्तु धन के स्वामी होते हैं और वे धन का सदुपयोग करते हैं, उनमें कृपणता नहीं होती, किन्तु उदारता होती है।

इस वारहवें व्रत का श्रेष्ठतम आदर्श तो है श्रमण निग्रन्थों को उनके कल्पानुसार प्राप्तुक और एषणिक चौदह प्रकार का आहार देना। जो संसार-ब्यवहार और गृहादि को त्याग चुके हैं, जिनको शरीर-रक्षा के लिए आहार एवं वस्त्र तथा संयम पालन के लिए आवश्यक उपकरणों की ही आवश्यकता रहती है, जिनने अन्य सभी आवश्यकताएँ निःशेष कर दी हैं, ऐसे महात्माओं को दान देने का फल महान् है। इसलिए श्रावक का प्रयत्न यही रहना चाहिए कि ऐसे उत्कृष्ट पात्र को वह दान दे सके, और ऐसा दान देने के संयोग की प्राप्ति की ही भावना भी रखनो चाहिए। लेकिन इस तरह के संयोग विशेषतः उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकते हैं, जिनके द्वार अभंग हैं। यानि दान के लिए किसी के भी बास्ते बन्द नहीं हैं, किन्तु सभी अतिथियों के लिए खुले हैं। ऐसे लोगों को कभी ऐसे महात्माओं को दान देने का भी सुयोग मिल जावा है, जो गृह-संसार के त्यागी हैं और दान के उत्कृष्ट पात्र हैं। इसके विरुद्ध जिसका द्वार अतिथि के लिए बन्द रहता है, उसको ऐसा महान् शुभ संयोग किस प्रकार मिल सकता है! इस बात को स्पष्ट करने के लिए एक उपान्त दिया जाता है।

एक राजा के हाथ में जहरी फोड़ा हो गया था। वैद्यों ने कहा कि यह फोड़ा प्राण-घातक है लेकिन यदि यह राजहंस की चोंच से फूट जावे, तो उस दशा में राजा के प्राण बच सकते हैं।

वैद्यों द्वारा पताये गये उपाय के विषय में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि कैसे तो राजहंस आवे और कैसे वह इस छाले को फोड़े! इस प्रश्न को हल करने के लिए राजा ने एक मकान मनवाया जिसकी छत में ऐसा छेद रखा कि राजा का हाथ तो नीचे रहे, लेकिन वह छाला छत के ऊपर निकला रहे। यह करके उसने छत पर पक्षियों के चुगने के लिए अब ढलवाना प्रारम्भ किया। साथ ही, छाले के आस-पास हंसों के चुगने के लिए मोती भी ढलवाने लगा। उस छत पर अब चुगने के लिए पक्षी आने लगे तथा पक्षियों को चुगते देखकर हंस भी आने लगे। होते-होते उन हंसों के साथ एक दिन राजहंस भी आ गया। राजहंस मोती चुगने लगा। मोती चुगते हुए राजहंस ने राजा के हाथ के छाले को मोती समझ कर उस पर भी चोंच मार दी, जिससे छाला फूट गया और राजा स्वस्थ हो गया।

यद्यपि उस राजा का उद्देश्य राजहंस को बुलाना था, लेकिन राजहंस वही भावा, जब दूसरे पक्षी आते थे। यदि राजा ने दूसरे पक्षियों के लिए चुगने का प्रबन्ध न किया होता, तो राजहंस

कैसे आ सकता था! इसी के अनुसार श्रावक का उद्द्यत तो है पंच महाब्रतधारी उत्कृष्ट पात्र को दान देना, लेकिन ऐसे महात्माओं को वह अतिथि रूप में अपने यहाँ तभी पा सकता है और तभी उन्हें दान भी दे सकता है, जब वह सामान्य अतिथि का सत्कार करता रहेगा और उन्हें दान देता रहेगा। ऐसा करते रहने पर, उसे कभी उन महात्माओं को दान देने का भी सुयोग मिल सकता है, जो दान के उत्कृष्ट पात्र हैं और जिन्हें दान देने पर महान् फल प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रावक का कर्त्तव्य है कि वह सभी अतिथि का यथा शक्ति सत्कार करे। श्रावक के लिये शास्त्र में यह विशेषण आया है कि उसका अभंग द्वारा सदा खुला ही रहता है।

कोई कह सकता है कि 'श्रावक का बारहवाँ व्रत पंच महाब्रतधारी मुनिराजों को आहारादि देने से ही निपजता है, इसलिए शास्त्र में उन्हीं को दान देने का विधान है। दूसरे को दान देने का विधान नहीं है, किन्तु निपेध पाया जाता है। उदाहरण के लिए उपासक दशाङ्ग सूत्र में आनन्द श्रावक के वर्णन में आया है कि आनन्द श्रावक ने यह प्रतिज्ञा की कि अब से मुझे अन्य तीर्थों को, अन्य तीर्थियों के देवों को और अन्य तीर्थियों द्वारा प्रहीत जैन-साधु-लिंग को वन्दन नमस्कार करना, उनका आदर-सत्कार करना, उनके थोले बिना उनसे बोलना और उन्हें अशनादि देना

नहीं कल्पता है। इस वर्णन से अन्य लोगों को दान देना आवक के लिए निपिद्ध होना स्पष्ट ही है।<sup>१</sup>

इस प्रकार के कथन का समाधान यह है कि आवक के लिए धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से यह सब करना निपिद्ध है। क्योंकि धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से अन्यतीर्थी के साथ ऐसा व्यवहार करने पर मिथ्यात्व का पोपण होता है। आवक की देखानेद्वारा अन्य लोग भी अन्य तीर्थियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जिससे मिथ्यात्व की वृद्धि होगी। इसलिए धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से तो आवक के लिए, पंच महाप्रतिधारी महारामाश्रों के सिवाय दूसरे लोगों को दान देना निपिद्ध ही है, लेकिन व्यवहार-बुद्धि, उपकार-बुद्धि या अनुकर्मण की भावना से दान देने का नियेष कहीं भी नहीं है, किन्तु विधान है। उदाहरण के लिए उपासक दशाङ्क सूत्र में ही सकड़ाल पुत्र आवक के वर्णन में कहा गया है कि गोशालक मंखली पुत्र से प्रश्नोत्तर करने के पश्चात् सकड़ाल पुत्र ने गोशालक को पाट आदि चीजें दीं। इस प्रकार धर्म-बुद्धि या गुरु-बुद्धि से तो दूसरे को दान देने का नियेष है, लेकिन व्यवहारादि-बुद्धि से दूसरे को दान देने का आवक के लिए नियेष नहीं है। इसलिए आवक का कर्तव्य है कि वह सभी अतिथियों को दान देने के लिए अपने घर का छार सुडा रखे।

## अतिथि-संविभाग ब्रत के अतिचार

**शा**खकारों ने इस वारहवें ब्रत के पाँच अतिचार

बताये हैं, जिनसे ध्वना ब्रतधारी श्रावक का कर्त्तव्य है। अतिचारों से बचे रहने पर ही श्रावक का ब्रत निर्दोष रह सकता है और अतिचारों का सेवन करने पर ब्रत दूषित हो जाता है। इस ब्रत के पाँच अतिचार इस प्रकार हैं:—

१ सचित निष्क्रेपण—जो पदार्थ अचित होने के कारण मुनि महात्माओं के लेने योग्य हैं, उन अचित पदार्थों में सचित पदार्थ मिला देना, अथवा अचित पदार्थों के समीप सचित पदार्थ ढाल देना, सचित निष्क्रेपण नाम का पहला अतिचार है।

२ सचित परिधान—अचित पदार्थ के लाल सचित पदार्थ ढाँक देना, सचित परिधान नाम का दूसरा अतिचार है।

**३ कालातिक्रम**—जिस वस्तु के देने का जो समय है, वह समय टाल देना, कालातिक्रम नाम का तीसरा अतिचार है। उदाहरण के लिए किसी देश में अतिथि को आहार देने का समय दिन का दूसरा प्रहर है। इस समय को टाल देना, अतिथि को आहार देने के लिए उद्यत न होना, कालातिक्रम नाम का तीसरा अतिचार है।

**४ परोपदेश्य**—वस्तु देनी न पड़े, इस उद्देश्य से अपनी वस्तु को दूसरे की यताना, अगवा दिये गये दान के विषय में यह संकल्प करना कि इस दान का फल मेरे पिता, माता, भाई आदि को मिले, परोपदेश्य नाम का चौथा अतिचार है।

**५ मात्सर्य**—दूसरे को दान देते देखकर उसकी प्रविष्टपर्धा फरने की भावना रखकर दान देना, यानि यह यताने के लिए कि मैं उससे कम नहीं हूँ किन्तु बढ़कर हूँ, दान देना, मात्सर्य भास का पौर्ववाँ अतिचार है।

ये अतिचार, वारद्वये ग्रत को दूषित करने वाले हैं। इस लिए इन अतिचारों में बचते रहना चाहिए। ये अतिचार जब उक्त अतिचार के रूप में हैं, तब तक यो ग्रत को दूषित ही करते हैं, छेकिन अनाचार के रूप में होते ही ग्रत नष्ट कर देते हैं। इनके सिवाय कुछ अन्य फार्य भी ऐसे हैं, जिनसे ग्रव भूंग हो जाता है। वे कार्य इस प्रकार हैं:—

दाणन्तराय दोसा न देर्ह दिजजन्त यं च वारेर्ह ।  
दिणणे व परितपर्ह इति किवणता भवे भंगो ॥

अर्थात्—पूर्व संचित दानान्तराय कर्म के दोष से ऐसी कृपणता रहती है कि स्वयं भी दान नहीं देता है, दूसरे को भी दान देने से रोकता है और जिसने दान दिया है, उसको परिताप पहुँचाता है। इस तरह की कृपणता से, अतिथि-संविभाग व्रत भंग हो जाता है।

‘अनेक लोग कृपणता के कारण दान भी नहीं देना चाहते और अपनी कृपणता को छिपाकर उदारता दिखाने एवं पात्र तथा अन्य लोगों की दृष्टि में भले बने रहने के लिए ‘नाहीं’ भी नहीं करते, किन्तु अतिचारों में वर्णित कार्यों का आचरण करने लगते हैं यानि या तो अचित पदार्थ में संचित पदार्थ मिला देते हैं या अचित पदार्थ पर संचित पदार्थ ढाँक देते हैं, या भोजनादि का समय टाल देते हैं, अथवा अपनी चीज को दूसरे की बता देते हैं। ऐसा करके वे कृपण लोग अपनी चीज भी बचा लेना चाहते हैं, और साधु मुनिराजों के समीप भक्त एवं उदार भी बने रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा करना कपट है, अतिचार है और व्रत को दूषित करना है। इसलिए श्रावक को ऐसे कार्मों से बचना चाहिए।

इस कथन पर से क्षोई कह सकता है कि ‘जिसमें दान देने की भावना ही नहीं है, उस व्यक्ति में दान देने की भावना से निपजने वाला बारहवाँ व्रत ही कहाँ है! और जब व्रत नहीं है, तब अतिचार कैसे?’ इस कथन का समाधान यह है

कि यह व्रत एक तो अद्वा रूप होता है, दूसरा प्ररूपणा रूप होता है और तीसरा स्पर्शना रूप होता है। इन तीनों भेदों में से स्पर्शना रूप व्रत तो संयोग मिलने पर ही होता है, लेकिन अद्वा और प्ररूपणा रूप व्रत तो सदा ही वना रह सकता है। मायाचार या कपट से अद्वा और प्ररूपणा रूप व्रत भी दूषित हो जाता है। इसलिए अतिचार में वर्ताये गये कामों से आवक को संवधानी पूर्वक दूर रहना चाहिए।



## उपसंहार

इस प्रकार इन शिक्षा ब्रतों का स्वरूप संक्षेप में बताया गया है, विस्तार से वर्णन किया जाय तो एक २ ब्रत के ऊपर एक २ प्रन्थ बन सकता है, किन्तु प्रन्थ बढ़ने के भय से यहाँ संक्षेप में ही स्वरूप प्रतिपादन किया गया है। इन शिक्षा ब्रतों के स्वरूप को हृदयंगम करके जो भव्यात्मा ब्रतों का सम्यक् प्रकार से आराधन करेगा और अतिचारों एवं दोषों से घचता रहेगा तो वह श्रावक-पद का आराधक होकर स्वल्प-काल में ही वांच्छितार्थ को प्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त दशा को प्राप्त होगा। इत्यलम् ।



कि यह ग्रन्त एक तो अद्वा रूप होता है, दूसरा प्रसूपणा रूप होता है और तीसरा स्पर्शना रूप होता है। इन तीनों भेदों में से स्पर्शना रूप ग्रन्त तो संयोग मिलने पर ही होता है, लेकिन अद्वा और प्रसूपणा रूप ग्रन्त तो सदा ही घना रह सकता है। मायाचार या कपट से अद्वा और प्रसूपणा रूप ग्रन्त भी दूषित हो जाता है। इसलिए अतिथार में घताये गये कामों से धावक को संवधानी पूर्वक दूर रहना चाहिए।



